चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 10 जुलाई– 16 जुलाई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

देश का सबसे बड़ा ब्याज घोटाला

किसानों के धन की 30 साल से चल रही है सिलसिलेवार लूट

योगी जी! यह घोटाला नहीं दिख रहा आपको!

लखनऊ स्थित एलडीबी का आलीशान मुख्यालय : ऊंची बिल्डिंग, ओछी हरकत...

प्रभात रंजन दीन

- यूपी के नेता-नौकरशाह मिल कर बना रहे हैं घोटाले का रिकॉर्ड
- अरबों रुपए की लूट से खोखला हो गया यूपी ग्राम विकास बैंक
- सीबीआई जांच की सिफारिश ताक पर, बैंक को ही कर देंगे बंद
- नाबार्ड के अरबों रुपए खैरात समझ कर खा गए नेता-नौकरशाह
- अधिक ब्याज के रुपए कम दर पर देकर बैंकों से खाते रहे घूस
- कर्मचारी भविष्य निधि के करोड़ों रुपए भी हजम कर गए बेशर्म
- किसानों के नाम पर फर्जी ऋण बांट कर भी लूट रहे सरकारी धन

जिस महकमे में हर महीने अरबों रुपए का लेन-देन होता हो, वहां सूद की हेराफेरी से हर महीने करोड़ों रुपए झटके जा सकते हैं. जिस अधिकारी के आदेश पर अरबों रुपए कुछ खास बैंक में जमा होते हों, वह अधिकारी उस उपकृत-बैंक से लाखों रुपए की रिश्वत अलग से कमा सकता है. अगर बैंक से कम दर पर सूद लेने का राजीनामा हो जाए, तो चोर-रास्ते से अधिकारी की अतिरिक्त अकूत कमाई हो सकती है. घोटाले का यह नायाब फार्मूला उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक का आविष्कार है. यह संस्था भूमि विकास बैंक के नाम से मशहूर है. संक्षिप्त में इसे अब भी एलडीबी ही कहते हैं. लैंड डेवलपमेंट बैंक (एलडीबी) दरअसल नेताओं और नौकरशाहों के संरक्षण में चलने वाले घपले, घोटालों और फर्जीवाड़ों के लिए कुख्यात रहा है. लेकिन इस बार जो घोटाला हम उजागर करने जा रहे हैं, वह देश का संभवतः सबसे बड़ा ब्याज-घोटाला साबित हो सकता है. घोटाले का बोझ इतना भारी है कि एलडीबी डूब चुका है, बस उसके बंद होने की औपचारिक घोषणा होनी ही बाकी है.

नेता, नौकरशाह और एलडीबी के अधिकारी मिल कर घपला करते रहे हैं. इस पर कोई रोक नहीं है. अंदरूनी जांच होती है, सीबीआई से जांच की सिफारिशें होती हैं, फिर लीपापोती होती है और घोटाला जारी रहता है. यह इतना विकराल है कि जांच कमेटियां भी हार मान गईं और कहा कि घोटाला इतना भारी और विस्तृत है कि सीबीआई जैसी विशेषज्ञ एजेंसी ही इसकी जांच कर सकती है. लेकिन उन सिफारिशों को सत्ता-व्यवस्था अंगूठा दिखाती रहती है. सहकारिता विभाग की नसों से वाकिफ लोगों का कहना है कि एलडीबी का ब्याज घोटाला पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से हो रहा है, लेकिन सत्ता-व्यवस्था को इसकी कोई फिक्र नहीं है. घोटालों की जांच कराने के बजाय एलडीबी को बंद करने की कोशिशें हो रही हैं. योगी सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की एलडीबी के तत्कालीन समाजवादी भ्रष्ट निजाम से खूब छन रही है और वे एलडीबी का अस्तित्व समाप्त कर अरबों-खरबों के घोटाले का हमेशा-हमेशा के लिए पटाक्षेप कर देने पर आतुर हैं. योगी जी भी एलडीबी के तत्कालीन भ्रष्ट निजाम से खूब शिष्टाचारी हो रहे हैं.

एलडीबी के विकराल घोटाले की एक बानगी देखते हुए फिर इसके विस्तार में चलते हैं... वर्ष 2008 के केवल मई महीने का एक उदाहरण हम सैम्पल के तौर पर उठा लेते हैं. इस एक महीने में एलडीबी ने भारतीय स्टेट बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 01 अरब 72 करोड़ रुपए जमा किए. सूद के बतौर एलडीबी को आधिकारिक तौर पर 02 करोड़ 84 लाख 3 हजार 493 रुपए मिले. लेकिन इसी एक महीने में एलडीबी के सम्बद्ध अधिकारी ने 01 करोड़ 23 लाख 36 हजार 714 रुपए कमा लिए. रुपए जमा कराने के एवज में मिलने वाला कमीशन और कम ब्याज पर रुपए जमा करने के एवज में मिली घूस के करोड़ों रुपए इससे अलग हैं. आप सोचेंगे, कैसे? एलडीबी के भ्रष्ट अधिकारी स्टेट बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन से अनैतिक करार करते हैं और काफी कम ब्याज पर इतनी भारी रकम उन दो बैंकों में जमा करा देते हैं. इस तरह एलडीबी अधिकारी एक तरफ कम ब्याज के अंतर की कमाई करते हैं और दूसरी तरफ दोनों बैंकों से अलग से भारी कमीशन और घूस भी खाते हैं. किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) से एलडीबी को मिलने वाला धन आठ प्रतिशत और उसके ब्याज दर पर प्राप्त होता है. लेकिन एलडीबी के कमीशनखोर अधिकारी उसी राशि को कम ब्याज पर बैंक में जमा कराते हैं. यानि, एलडीबी को ब्याज का नुकसान अलग से उठाना पड़ रहा है. इसका ब्यौरा भी देखते चलें. 02 मई 2008 को स्टेट बैंक में 10 करोड़ रुपए 3.50 प्रतिशत के ब्याज पर 11 दिनों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा किए जाते हैं. उसी दिन उसी बैंक में छह अलग-अलग खातों में सात-सात करोड़ रुपए यानि 42 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज पर क्रमशः 16 दिन, 26 दिन, 31 दिन, 39 दिन, 47 दिन और 54 दिन के लिए फिक्स किए जाते हैं. दो मई को ही उसी बैंक में आठ करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत ब्याज पर 61 दिन के लिए फिक्स किए जाते हैं. उसी तारीख को उसी बैंक में एलडीबी की तरफ से 90 करोड़ रुपए जमा होते हैं, जिसे 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 91 दिनों के लिए फिक्स किया जाता है. हफ्तेभर बाद नौ मई को यूपी कोऑपरेटिव बैंक में छह अलग-अलग खातों में तीन-तीन करोड़ रुपए यानि 18 करोड़ रुपए क्रमशः 3.75 प्रतिशत ब्याज दर पर नौ दिन के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 19 दिन के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 24 दिन के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 32 दिन के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 40 दिन के लिए और 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 47 दिन के लिए फिक्स किए जाते हैं. उसी दिन 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर कोऑपरेटिव बैंक में 54 दिनों के लिए चार करोड़ रुपए भी फिक्स

(शेष पृष्ठ 2 पर)

4 मध्य प्रदेश : किसान लड़ रहे हैं

5 किसानों की क़र्ज़माफ़ी 'फैशन' कॉर्पोरेट की क़र्ज़माफ़ी 'ज़रूरत'

6 ग़रीबी का सरकारी इश्तेहार

7 चुनाव आयोग के पत्र से भाजपा परेशान

योगी जी! यह घोटाला नहीं दिख रहा आपको!

पृष्ठ 1 का शेष

किए जाते हैं. दो बैंकों में महज दो दिन में कुल एक अरब 72 करोड़ रुपए जमा होते हैं, लेकिन इस पर एलडीबी को महज दो करोड़ 84 लाख तीन हजार 493 रुपए ही ब्याज के बतौर मिल पाते हैं. जबकि 11 प्रतिशत ब्याज की दर से यह राशि तीन करोड़, 31 लाख 80 हजार 206 रुपए होनी चाहिए थी. यह बीच की रकम एलडीबी के भ्रष्ट अधिकारियों ने डकार ली. दस्तावेज बताते हैं कि 02 मई 2008 से 29 जून 2009 के बीच नाबार्ड से प्राप्त धनराशि को कम ब्याज पर विनियोजित करने से 08 करोड़ 96 लाख 754 रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचा.

एक वर्ष (2007-08) का एलडीबी का नुकसान देखें, तो आपको हैरत होगी. उस वित्तीय वर्ष का बैलेंस शीट बताता है कि एलडीबी को 02 अरब 80 करोड़ 26 लाख 90 हजार 444 रुपए का नुकसान हुआ. एक ईमानदार अफसर कहते हैं कि घपले और घोटालों की बुनियाद पर खड़ा एलडीबी जाने कितने नेताओं-नौकरशाहों की आर्थिक बुनियाद मजबूत करता रहा है. यह जो आपने एक उदाहरण देखा, इससे आपको पता चला कि एलडीबी के भ्रष्ट अधिकारी कितनी निपुणता और कितनी स्पीड से अवैध कमाई करते रहे हैं और नेताओं को कमवाते रहे हैं. ऐसे ढेर सारे आंकड़े और दस्तावेज 'चौथी दुनिया' के पास हैं, जो भीषण ब्याज-घोटाले का पर्दाफाश करते हैं. आगे भी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे. किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड की तरफ से भारी धनराशि आठ फीसदी ब्याज पर दी जाती है और उस धनराशि को पूरी बेशर्मी से लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से कम ब्याज पर देकर अंधाधुंध कमाई होती रहती है. एलडीबी का घाटा बढ़ता है तो बढ़ता रहे, एलडीबी की गैर-उत्पादक आस्तियां (एनपीए) बढ़ती हैं तो बढ़ती रहें, क्या फर्क पड़ता है. एलडीबी की गैर-उत्पादक आस्तियां आज उत्पादक आस्तियों के सिर चढ़ कर बोल रही हैं. राष्ट्रीयकृत (नेशनलाइज्ड) बैंकों का एनपीए बढ़ने पर खाई को ढंकने के लिए केंद्र सरकार देश में नोटबंदी लागू कर देती है. लेकिन एलडीबी का बढ़ता एनपीए नेताओं-नौकरशाहों की अकूत कमाई का थर्मामीटर माना जाता है. जिस बैंक का एनपीए 74 फीसदी तक पहुंच जाए, तो उस संस्था का क्या हाल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है.

सत्ता पर बैठे नेता और नौकरशाह मिल बैठ कर घोटालों की किस तरह लीपापोती करते हैं, उसे जानना भी कम रोचक नहीं है. जो ब्याज घोटाला पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से लगातार चल रहा था, उसका भांडा एलडीबी मुख्यालय के महाप्रबंधक अशोक कुमार द्विवेदी के खिलाफ आई एक शिकायत से फूटा. शिकायत सही अधिकारी के हाथ लग गई और उसकी जांच करा दी गई. इस जांच से ही भारी-भरकम घोटाले की परतें उधड़ने लगीं. लेकिन इस जांच से यह भी भेद खुल गया कि महाप्रबंधक द्विवेदी के खिलाफ जांच करने वाली कमेटी के सदस्य भी उस भीषण घोटाले में लिप्त हैं. घोटाला निकला नाबार्ड की तरफ से मिलने वाली हजारों करोड़ रुपए की विशाल धनराशि को बैंक में जमा करने के एवज में कमीशन खाने का. कमीशन खाने के चक्कर में घोटालेबाज अधिकारियों ने नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया. यह भी ध्यान नहीं रखा कि नाबार्ड से जितने प्रतिशत ब्याज पर रुपए लिए, बैंक में उससे अधिक के ब्याज दर पर रुपए रखे जाएं. आश्चर्य है कि घोटालेबाज अधिकारी अरबों रुपए की धनराशि महज चार से पांच प्रतिशत के ब्याज पर स्टेट बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराते रहे और उन बैंकों से करोड़ों रुपए कमीशन और घूस खाते रहे. जांच करने वाली कमेटी में मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) एसके त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक राम प्रकाश और सहायक महाप्रबंधक राजमणि पांडेय शामिल थे. कमेटी ने मामले की जांच किसी विशेषज्ञ एजेंसी से कराने की संस्तुति की. इस जांच कमेटी ने अनियमितताएं तो बहुत सारी पकड़ीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था नाबार्ड से आठ प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर मिलने वाली धनराशियों का अत्यंत कम ब्याज दर पर बैंकों में जमा कराया जाना. इस धंधे से अधिकारियों ने खूब अवैध धन कमाया और सरकारी संस्था को भीषण घाटे में झोंक दिया. कमेटी ने पाया कि भ्रष्ट अधिकारियों ने महज एक साल की अवधि में 08 करोड़ 96 लाख 754 रुपए का घपला किया. जांच कमेटी ने केवल एक दिन (26 जून 2008) का नमूना उठा कर उसकी सूक्ष्म जांच की, तो पता चला कि इस एक दिन में क्रमशः 02 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 47 दिनों के लिए, 2.75 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर 47 दिनों के लिए, 02 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर 54 दिनों के लिए, 04 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 54 दिनों के लिए, 02 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 61 दिनों के लिए, 04 करोड़ रुपए 2.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर 61 दिनों के लिए, 02 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 69 दिनों के लिए, 04 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर 69 दिनों के लिए, 02 करोड़ रुपए 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर 77 दिनों के लिए और इसी तारीख को 04 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर 77 दिनों के लिए अपने एक 'पसंदीदा' बैंक में जमा करा दिए. उस एक दिन में कुल 100.73 करोड़ रुपए कम ब्याज पर अपने 'मनचाहे' बैंकों में जमा कराए गए. इसी तरह 14 फरवरी 2008 को एक ही दिन में 185.99 करोड़ रुपए कम ब्याज दर पर जमा कराए गए. यह धनराशि नाबार्ड से 8.5 प्रतिशत के ब्याज दर मिली थी. जांच कमेटी ने यह सवाल भी पूछा कि जब ऋण वितरण 24 मार्च 2008 को करना था तो इतनी बड़ी धनराशि फरवरी महीने में क्यों मंगवाई गई और करोड़ों का नुकसान क्यों कराया गया? लेकिन इन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया. एक दिन में कितनी तीव्र गति से कमाई की जा सकती है उसका बड़ा उदाहरण आप ऊपर भी देख चुके हैं. जांच कमेटी ने यह माना है कि ऋण वितरण की आवश्यकता के अनुरूप नाबार्ड से धनराशि मंगाई गई होती और लेखा अनुभाग द्वारा अपने खाते में उपलब्ध धनराशि का विनियोजन योजनाबद्ध तरीके से किया गया होता, तो एलडीबी को इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचता. स्पष्ट है कि नाबार्ड से भारी भरकम राशि मंगा कर उसे बैंक में कम ब्याज पर रख कर अकूत कमाई होती रही है. कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि खुले बाजार में उपलब्ध ब्याज की प्रतिस्पर्धात्मक (कम्पीटीटिव) दर प्राप्त कर धन का विनियोजन नहीं किया गया, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक को चुन कर उनमें बहुत कम ब्याज पर बड़ी-बड़ी धनराशियां जमा की जाती रहीं. कमेटी ने खातों में गलतियों और अनियमितताओं का अंबार पाया.

एक शिकायतनामे की जांच में ब्याज घोटाला पकड़ में आने के बाद एलडीबी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवल किशोर ने स्टेट बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक से धनराशि निकाल कर उसे इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को 11 फीसदी ब्याज पर ट्रांसफर कर दिया. नवल किशोर ने इसके पहले तकरीबन सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को बुलाकर इतनी बड़ी धनराशि के ब्याज को लेकर रेट मांगी और 11 प्रतिशत ब्याज देने पर राजी हुए इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में धनराशि ट्रांसफर कर दी. इस त्वरित कदम से एलडीबी को करीब एक करोड़ रुपए का त्वरित फायदा पहुंचा. इस प्रकरण से प्रथम दृष्टया हजारों करोड़ की धनराशि को बैंक में जमा करने के एवज में कमीशन खाने का घोटाला आधिकारिक तौर पर प्रमाणित हो गया. एमडी के इस कदम से बौखलाए स्टेट बैंक ने शासन के समक्ष विरोध जताया, लेकिन मुख्य सचिव ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. इसका नतीजा यह निकला कि घोटालेबाजों और सत्ताधारी नेता ने नवल किशोर को ही तमाम षड्यंत्रों में फंसाना शुरू कर दिया. उनका तबादला किया गया, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, गिरफ्तार कराया गया और सारे तिकड़म रच कर उन्हें परिदृश्य से बाहर कर दिया गया. बहरहाल, यह सड़े हुए सिस्टम की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी.

एलडीबी के दस्तावेजों में इस संवाददाता को एक और अध्याय मिला, जो वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के बीच भारी ब्याज घोटाले की ओर ध्यान दिलाता है. इसके मुताबिक 02 मई 2008 को एक और ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसे अलग की फाइल में दबा कर रख दिया गया था. दो मई 2008 को हुए बड़े ट्रांजैक्शन का हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं. उसके अतिरिक्त भी उसी तारीख को 7.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर 90 करोड़ रुपए 56 दिनों के लिए बैंक में डाले गए थे. जबकि यह राशि नाबार्ड से 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिली थी. फिर 16 अप्रैल 2009 को 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर 88.50 करोड़ रुपए 72 दिनों के लिए बैंक में डाले गए, जो नाबार्ड से 8.5 प्रतिशत के ब्याज पर मिले थे. 29 जनवरी 2010 को 48 करोड़ रुपए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 57 दिनों के लिए बैंक में डाले गए, जो नाबार्ड से 7.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. फिर उसी दिन 47 करोड़ रुपए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर 57 दिनों के लिए बैंक में रखे गए, जो नाबार्ड से 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिले थे. 26 फरवरी 2010 को 50 करोड़ रुपए महज 4.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर 29 दिनों के लिए बैंक में जमा किए गए, जो नाबार्ड से 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर प्राप्त हुए थे. फिर उसी दिन 36.40 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर 29 दिनों के लिए बैंक में जमा किए गए, जो नाबार्ड से 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. वर्ष 2008, 2009 और 2010 के महज चार दिनों में कुल 359.90 करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए, जिसमें एलडीबी को 11 फीसदी ब्याज के हिसाब से 5 करोड़ 82 लाख 75 हजार 403 रुपए मिलते, लेकिन कम ब्याज पर देने के कारण एलडीबी को महज 3 करोड़ 40 लाख 49 हजार 785 रुपए ही ब्याज के बतौर प्राप्त हुए. जबकि उसे नाबार्ड को ब्याज की ऊंची दर पर भुगतान करना पड़ा. एलडीबी के भ्रष्ट अधिकारियों ने इन चार दिनों के ट्रांजैक्शन में ही 2 करोड़ 42 लाख 25 हजार 618 रुपए का वारा-न्यारा कर दिया. घोटाले के दस्तावेजों को खंगालने के क्रम में वर्ष 2009 की कुछ और कारगुजारियां देखने को मिलीं. 26 मार्च 2009 को एलडीबी ने 95.30 करोड़ रुपए महज 3.75 से 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में जमा कराए, जबकि नाबार्ड से यह राशि 8.5 प्रतिशत के ब्याज पर मिली थी. 16 अप्रैल 2009 को 88.50 करोड़ रुपए 7 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा कराए गए, जो नाबार्ड से साढ़े आठ प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 26 जून 2009 को एलडीबी ने 247.58 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए और आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी धनराशि अलग-अलग हिस्सों में बांट कर 1.5 प्रतिशत से लेकर अधिकाधिक 6.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा कराई गई. जबकि नाबार्ड ने यह राशि 8.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर दी थी. एक और कागज दिखा, जिसमें 29 जून 2009, 29 जनवरी 2010 और 26 फरवरी 2010 को लेन-देन का ब्यौरा है. 29 जून 2009 को 52.49 रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा कराए गए, यह राशि नाबार्ड ने साढ़े आठ प्रतिशत के ब्याज पर दी थी. 29 जनवरी 2010 को एलडीबी ने 95 करोड़ रुपए महज 5 प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में जमा कराए, जो उसे नाबार्ड से साढ़े सात प्रतिशत के ब्याज पर मिला था. 26 फरवरी 2010 को 128.40 करोड़ रुपए छह हिस्सों में बांट कर मात्र दो से पांच प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में रखे गए, जो एलडीबी को नाबार्ड से सात प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त हुए थे. इससे हुए भारी नुकसान का अंदाजा आप लगा सकते हैं. एलडीबी में बिल्कुल अंधेरगर्दी मची थी. इस सरकारी संस्था को अरबों रुपए का सिलसिलेवार नुकसान पहुंचाया जा रहा था. यह नुकसान भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को अकूत सम्पत्ति का मालिक बना रहा था.

जैसा हमने ऊपर भी बताया कि एलडीबी में ब्याज घोटाला तीन दशक से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है. वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2008 के बीच का भी संक्षिप्त जायजा ले लें. 10 नवम्बर 2003 को महज चार प्रतिशत के ब्याज दर पर 108 करोड़ रुपए

(शेष पृष्ठ 3 पर)

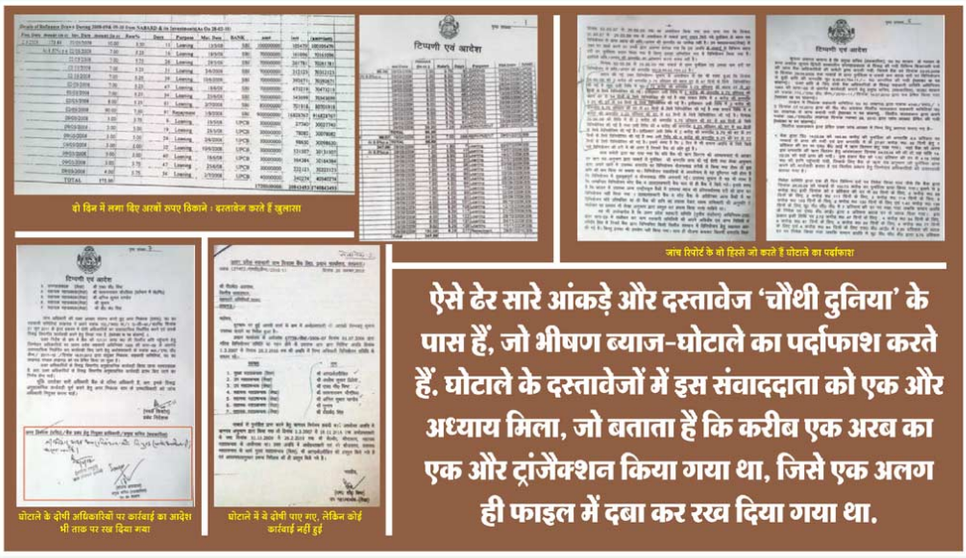

ऐसे ढेर सारे आंकड़े और दस्तावेज 'चौथी दुनिया' के पास हैं, जो भीषण ब्याज-घोटाले का पर्दाफाश करते हैं. घोटाले के दस्तावेजों में इस संवाददाता को एक और अध्याय मिला, जो बताता है कि करीब एक अरब का एक और ट्रांजैक्शन किया गया था, जिसे एक अलग ही फाइल में दबा कर रख दिया गया था.

ब्याज की हेराफेरी : देखिए 13 दिन का नुक़सान

एलडीबी के ब्याज घोटाले के छोटे-छोटे सैम्पल निकाल कर उनकी जांच करने वाले अधिकारियों ने भी कहा है कि यह इतना बड़ा और विकराल घोटाला है कि इसकी जांच सीबीआई जैसी विशेषज्ञ एजेंसी ही कर सकती है. अधिक ब्याज दर पर नाबार्ड से मिलने वाली बड़ी रकमों को कम ब्याज दर पर बैंक में फिक्स करने का एलडीबी अधिकारियों का 'खेल' कितना नुकसानदायक रहा, इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं. इसका सटीक पता तो सीबीआई की छानबीन से ही लग पाएगा. घोटाले के दस्तावेजों को खंगालते हुए एक ऐसा भी दस्तावेज हाथ लगा, जिसमें ब्याज-घोटाले के कारण एलडीबी को हुए नुकसान (लॉस) का जिक्र है. लेन-देन की कुछ तारीखों में कितना नुकसान हुआ, इसका जिक्र है, लेकिन इसे देखने से नुकसान की गहरी भयानक खाई का अंदाजा लग जाएगा. महज 13 दिनों में एलडीबी को कितनी हानि पहुंचाई गई, उसका एक छोटा विवरण देखिए :-

तारीख	नुकसान
01 मार्च 2007	2919332.19
21.06.2007	11203682.19
26.06.2007	9398700.00
28.06.2007	4202071.23
14.02.2008	3465489.04
26.03.2008	459465.76
02.05.2008	4156643.84
09.05.2008	634931.51
26.06.2008	4982767.12
26.03.2009	6568801.37
16.04.2009	10474520.55
26.06.2009	30380004.11
29.06.2009	7507875.34
उपरोक्त 13 दिनों का नुकसान	*64705543.84 (करोड़)*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 19
10 जुलाई- 16 जुलाई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एच-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

एलडीबी भवन

योगी जी! यह घोटाला नहीं दिख रहा आपको!

पृष्ठ 2 का शेष

जमा कराए गए थे, जो नाबार्ड से 6.5 से 8.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 15 दिसम्बर 2003 को एलडीबी ने चार प्रतिशत के ब्याज दर पर 121 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए, जो उसे नाबार्ड से 7.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 23 जनवरी 2004 को महज चार प्रतिशत ब्याज दर पर 70 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए गए जो नाबार्ड ने 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिए थे. एक मार्च 2004 को 40 करोड़ रुपए चार प्रतिशत के ब्याज दर जमा हुए जो नाबार्ड से 6.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 25 मार्च 2004 को 150 करोड़ रुपए महज 4.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में जमा कराए गए. यह राशि नाबार्ड से 6.75 प्रतिशत के ब्याज पर मिली थी. 29 मार्च 2004 को 107 करोड़ रुपए मात्र 4.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा कराए गए जो नाबार्ड ने 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिए थे. 29 जून 2004 को 113 करोड़ रुपए 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा कराए गए, जो नाबार्ड ने 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिए थे. 24 जनवरी 2005 को 242 करोड़ रुपए चार से साढ़े चार प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा कराए गए, जिसे नाबार्ड ने 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिया था. 28 फरवरी 2005 को 114 करोड़ रुपए चार प्रतिशत के ब्याज पर जमा हुए जो नाबार्ड से 6.75 प्रतिशत ब्याज दर पर मिले थे. 20 जून 2005 को 210 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में जमा कराए गए, जबकि नाबार्ड से उक्त राशि 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिली थी. 27 जून 2005 को 63 करोड़ रुपए 5.25 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा कराए गए, जो नाबार्ड से 6.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 17 मार्च 2006 को 124 करोड़ रुपए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक में जमा किए गए, जो नाबार्ड से 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 29 जून 2006 को 151 करोड़ रुपए 6.5 प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा हुए, जो नाबार्ड से 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिले थे. 06 फरवरी 2007 को 163.01 करोड़ रुपए पांच से लेकर छह प्रतिशत के ब्याज दर पर जमा किए गए थे, जो नाबार्ड से 7.25 प्रतिशत के दर पर मिले थे. वर्ष 2007 और 2008 के सात दिनों (2007 के 6 फरवरी, 1 मार्च, 21 जून, 26 जून और 2008 के 14 फरवरी व 26 मार्च) में हुए 651.23 करोड़ रुपए के 18 डिपॉजिट्स में से केवल तीन ऐसे डिपॉजिट दिखे, जिसे एलडीबी ने 9 प्रतिशत के ब्याज दर पर बैंक में जमा किया.

सहकारिता विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव सह निबंधक संजय अग्रवाल ने सहकारिता विभाग के वित्तीय सलाहकार और चार्टर्ड एकाउंटेंट पीके अग्रवाल से ब्याज घोटाले की जांच की औपचारिकता कराई थी. पीके अग्रवाल ने सैम्पल के रूप में एक छोटी अवधि की जांच की और उसमें करोड़ों का घोटाला पकड़ा. उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में घोटाले की आधिकारिक पुष्टि की और कहा कि पूर्ण अवधि की जांच कराई जाए तो केवल ब्याज के नुकसान की राशि ही अरबों में पहुंच जाएगी. कमीशन और रिश्वत खाने की राशि इससे अलग होगी. प्रबंध निदेशक की कमेटी ने एक साल की अवधि में आठ करोड़ 96 लाख 61 हजार 754 रुपए की कमीशनखोरी पकड़ी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर सहकारिता विभाग के निबंधक ने दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने अपर निबंधक ओंकार यादव को एलडीबी के सात दोषी अधिकारियों; मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) आरके दीक्षित, उप महाप्रबंधक (लेखा) अशोक कुमार द्विवेदी, उप महाप्रबंधक (लेखा) एससी बिष्ट, सहायक महाप्रबंधक (लेखा) सत्यनारायण चौरसिया, सहायक महाप्रबंधक (लेखा) अनिल कुमार पांडेय, सहायक महाप्रबंधक (लेखा) सुभाष चंद्र और सहायक महाप्रबंधक (लेखा) धर्मेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की जिम्मेदारी दी. लेकिन सत्ता-संरक्षित ओंकार यादव ने शासन का वह निर्देश दबा दिया. ओंकार यादव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अपर निबंधक अशोक कुमार माथुर को इसका जिम्मा दिया गया, लेकिन माथुर ने भी कुछ नहीं किया. फिर अतिरिक्त निबंधक और भंडारागार निगम के एमडी भूपेंद्र बिश्नोई को कार्रवाई शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई. बिश्नोई ने घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सारे दोषियों को क्लीनचिट दे दी. फिर यह मामला एलडीबी के चेयरमैन के पास गया, तो चेयरमैन भी घोटालेबाजों के पक्ष में खड़े हो गए और घोटाले को हरी झंडी दे दी. इसके बाद घोटाले की फाइलों का ढक्कन बंद कर दिया गया. घोटाला बदस्तूर जारी रहा. आठ प्रतिशत के ब्याज पर लिए गए नाबार्ड के अरबों रुपए को डेढ़ प्रतिशत से सेकर पांच-छह प्रतिशत ब्याज पर बैंक में रखने से सरकार को जो नुकसान हुआ और कम ब्याज पर रुपए देकर जो भारी कमीशन खाया गया उस धनराशि का हिसाब लेने और दोषियों पर कार्रवाई करने के बारे में सरकार ने कोई सुध ही नहीं ली.

सहकारिता विभाग के संयुक्त निबंधक डीके शुक्ल ने घोटाले के दोषियों पर दायित्व (लायबिलिटी) निर्धारित करने के लिए जिला सहायक निबंधक रविकांत सिंह, सहकारी निरीक्षक एमडी द्विवेदी और बीएल गुप्ता को अधिकृत किया था. इस जांच टीम ने भी एक छोटी अवधि की जांच की और 10 करोड़ 22 लाख 90 हजार 486 रुपए का नुकसान पकड़ा. रविकांत सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि कम अवधि में करीब 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, तो लंबी अवधि के दरम्यान कितना घोटाला किया गया होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. सिंह ने लिखा है कि पूरी अवधि की जांच संभव नहीं है. इसकी जांच किसी विशेषज्ञ एजेंसी से ही संभव है.

इस तरह अलग-अलग तीन जांच समितियों ने छोटी-छोटी अवधि का सैम्पल बना कर उसकी जांच की और अलग-अलग करोड़ों रुपए की घपलेबाजी पकड़ी. उधर, नाबार्ड ने भी इतनी बड़ी धनराशि को कम ब्याज पर बैंक में रखने पर औपचारिक तौर पर आपत्ति जताई और अपने स्तर पर मामले की जांच कर बड़े घोटाले की पुष्टि की. नाबार्ड ने भूमि विकास बैंक को धन देना करीब-करीब बंद ही कर दिया. इससे उबारने के लिए अखिलेश सरकार ने एलडीबी का 1650 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया. अखिलेश सरकार ने कहा कि किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है, जबकि असलियत में एलडीबी का डूबा हुआ धन माफ किया गया था. क्योंकि एलडीबी किसानों को दिया हुआ ऋण पहले ही वसूल कर चुका था. यहां तक कि किसानों को राहत देने के लिए उनके ऋण पर मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की राशि भी एलडीबी ने हड़प ली. सवाल है कि जब अखिलेश सरकार ने किसानों का 1650 करोड़ रुपए का ऋण माफ ही कर दिया था, तो वर्ष 2012-13 और 2013-14 में ऋण-वसूली की मांग क्यों बढ़ी? उसे तो कम होना चाहिए था? फिर इस दरम्यान नाबार्ड ने एलडीबी को धन देना क्यों बंद कर दिया? घोटाले की परतें उघाड़ने वाले इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है. न सरकार के पास और न एलडीबी के पास. इस महाघोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार के अलमबरदार बराबर के शरीक थे, इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराने की पहल कभी नहीं की गई. विडंबना यह है कि एलडीबी के अधिकारी कम ब्याज पर नाबार्ड का धन बैंकों में जमा कर कमीशन खाते रहे, लेकिन किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर 14 से 15 प्रतिशत तक ब्याज वसूलते रहे. लघु सिंचाई और पशुपालन के लिए दो लाख रुपए के ऋण पर किसानों से 14 प्रतिशत और दो लाख से अधिक के ऋण पर 14.25 प्रतिशत ब्याज वसूला गया. डेयरी, मधुमक्खी, मत्स्य पालन या ऐसे लघु रोजगार के लिए दो लाख के ऋण पर किसानों से 14.25 प्रतिशत और दो लाख रुपए से अधिक के ऋण पर 14.50 प्रतिशत ब्याज वसूला गया. कमीशन देने वाले बैंकों पर नरम रहने वाले अफसर किसानों से अधिक ब्याज वसूलने में जल्लाद बने रहते हैं.

एलडीबी में ब्याज घोटाला पकड़ में आने के बाद कमर्शियल बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा के रास्ते नीतिगत तरीके से खोल दिए जाने और नाबार्ड के सख्त रुख के कारण इधर ब्याज की लूट तो कम हुई लेकिन फर्जी ऋण बांटने का धंधा तेजी से बढ़ गया. इसका भी एक उदाहरण देखिए, ऋण पाने वाले किसानों की संख्या 23.96 लाख थी, लेकिन फर्जी नाम जोड़ कर इस संख्या को 29.15 लाख कर दिया गया और ऋण-राशि हड़प ली गई. फर्जी ऋण बांटने के ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं. इसके अलावा एलडीबी के अधिकारियों ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का पैसा भी खाना शुरू कर दिया. बकाया ऋण जमा करने वाले किसानों को यह बताया भी नहीं जाता कि उनके लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी आई है. किसान किसी तरह जद्दोजहद करके अपना ऋण जमा करते हैं और एलडीबी अधिकारी उनके लिए आई सब्सिडी का पैसा खाते रहते हैं. इसके अलावा एलडीबी में घूस लेकर ट्रांसफर-पोस्टिंग का धंधा भी खूब चल रहा है. भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण एलडीबी का दिवालिया निकल चुका है. कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा. नाबार्ड का पैसा तक जमा नहीं हो रहा. नौबत यहां तक आ गई कि एलडीबी को पिछले महीने कोऑपरेटिव बैंक में जमा रिजर्व फंड से 200 करोड़ रुपए निकाल कर काम चलाना पड़ा. रिजर्व फंड का यह रुपया ओवरड्राफ्ट के जरिए निकाला गया. इसी पैसे से वेतन बांटे गए. रिजर्व फंड से पैसा निकालना मना है. लेकिन एलडीबी में नियम-कानून कौन मानता है! ■

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के निगमों में निवेश कर डुबो दिए ईपीएफ के करोड़ों रुपए

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के निगमों में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए और वह धनराशि डूब गई. ट्रस्ट ने बिना किसी आधिकारिक गारंटी के उक्त धन इन्वेस्ट किया. निगमों ने वह पैसा खर्च कर दिया और उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपया मूलधन और ब्याज समेत डूब गया. इतनी बड़ी धनराशि के डूब जाने के बावजूद अब भी ईपीएफ में जमा धन को इन्वेस्ट करने का खेल जारी है. एलडीबी के ईपीएफ ट्रस्ट ने नई दिल्ली के एलियांज सिक्युरिटीज़, महाराष्ट्र के कोंकण इरीगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृष्णावेली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मेनन फाइनैंस सर्विसेज़, एके कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड और मध्यप्रदेश के तमाम निगमों में ईपीएफ में जमा करोड़ों की धनराशि इन्वेस्ट कर दी. इस निवेश के बदले उन निगमों से मूलधन की वापसी और ब्याज के भुगतान की कोई औपचारिक गारंटी नहीं ली गई. ट्रस्ट में शामिल अधिकारियों को 20 पैसे प्रति सैकड़ा (प्रति सौ रुपए) के हिसाब से कमीशन मिला, सबने उसका बंदरबांट किया और मस्त हो गए. एलडीबी के ईपीएफ ट्रस्ट में एलडीबी के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) दामोदर सिंह, महाप्रबंधक (प्रशासन) राम जतन यादव, महाप्रबंधक (ग्रैच्युइटी) अरुण कुमार बहुखंडी, सचिव (ट्रस्ट) मजहर हुसैन और कर्मचारी प्रतिनिधि नेत्रपाल सिंह वगैरह शरीक थे.

एलडीबी अधिकारियों ने ईपीएफ के करोड़ों रुपये भी हड़प लिये

मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसआईडीसी) में एलडीबी द्वारा इन्वेस्ट किया गया करोड़ों रुपया भी डूब गया. न मूलधन मिला, न ब्याज. एमपीएसआईडीसी को 12 प्रतिशत ब्याज पर धन दिया गया था. इसी तरह एलडीबी ने प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी (पिकअप) में भी ईपीएफ की राशि इन्वेस्ट की, उसमें भी भारी नुकसान हुआ. गनीमत मानिए कि बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकारी हस्तक्षेप से किसी तरह मूलधन रिकवर हो सका. ब्याज तो पूरा का पूरा डूब ही गया. सहकारिता विभाग के अतिरिक्त निबंधक व एलडीबी के चीफ जनरल मैनेजर प्रेम शंकर ने मामले की जांच की. जांच में पाया गया कि गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. जांच रिपोर्ट में इस प्रकरण की भी सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की गई. इस सिफारिश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सतर्कता समिति की बैठक हुई और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से कराए जाने का निर्णय लिया गया. शासन ने एलडीबी प्रबंधन को इस मामले में तत्काल एफआईआर करा कर शासन को सूचित करने का निर्देश दिया, ताकि आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्लू) से मामले की जांच शुरू हो सके. लेकिन एलडीबी प्रबंधन ने धृष्टतापूर्वक शासन के निर्देशों को ताक पर रख दिया. एलडीबी के एमडी रामजतन यादव ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, क्योंकि इस घपले में वे खुद भी लिप्त थे. यहां तक कि रामजतन यादव ने मामले को रद्द करने के लिए शासन को पत्र लिख डाला. शासन ने यादव के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. लेकिन मामला यथावत रह गया. न एफआईआर हुई और न जांच आगे बढ़ी. घोटालेबाज आज भी अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं. एलडीबी के मौजूदा एमडी श्रीकांत गोस्वामी हैं. गोस्वामी ने भी ईपीएफ घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई. गोस्वामी की खूबी है कि जब वे पद पर नहीं होते हैं, तो घपले-घोटाले पर सख्त कार्रवाई के लिए लिखते रहते हैं और जब खुद पद पर आते हैं तो घपले-घोटालों की फाइल दबा कर बैठ जाते हैं. बेवजह तो नहीं ही बैठते होंगे! फर्जी ऋण घोटाले की जांच कराने के लिए लखीमपुर खीरी के तत्कालीन जिलाधिकारी ने सहकारिता निबंधक को पत्र लिखा था. निबंधक ने तब सहकारिता विभाग के संयुक्त निबंधक रहे श्रीकांत गोस्वामी को जांच के लिए कहा. गोस्वामी ने जांच के बाद एलडीबी के तत्कालीन एमडी आलोक दीक्षित को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. लेकिन मामला दबा रह गया. अब गोस्वामी खुद एलडीबी के एमडी हैं. अब वे खुद ऐसे तमाम घोटालों की फाइलें दबा कर बैठे हैं. ऐसा वे बेवजह तो नहीं ही करते होंगे! ■

घोटाले की नहीं कराएंगे सीबीआई जांच, एलडीबी को ही कर देंगे बंद

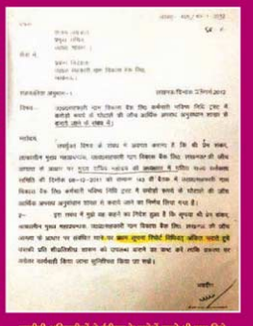

अलग-अलग शासनकाल में नेताओं और नौकरशाहों ने भूमि सुधार बैंक (एलडीबी) के जरिए खूब कमाई की. लेकिन घोटालों की जांच करने और घोटाले बंद करने की कभी कोई पहल नहीं हुई. घोटाला कर-करके एलडीबी को भीषण नुकसान में धकेल दिया और उसे आखिरी तौर पर बंद होने की स्थिति में ला खड़ा किया. समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में एलडीबी को पूरी तरह खोखला कर दिया गया. अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी घोटाले की सीबीआई जांच करने के बजाय एलडीबी को ही बंद करके उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में उसका विलय करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी गठित कर 15 दिनों के अंदर विलय के सारे बिंदुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है. विलय होने से एलडीबी के सारे दायित्व यूपी कोऑपरेटिव बैंक के मत्थे चले जाएंगे और घोटालेबाज चैन की सांस लेंगे.

एलडीबी को यूपी कोऑपरेटिव बैंक में शामिल करने के साथ-साथ जिला सहकारी बैंकों का भी यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विलय कर दिया जाएगा. सहकारिता मामलों के विशेषज्ञ ने बताया कि अंग्रेजों ने 1913 में जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई थी, उसी पॉलिसी पर अब भी ये बैंक चल रहे हैं. वैद्यनाथन कमेटी ने कहा भी था कि शॉर्ट-टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के लिए अलग-अलग बैंक रखने का कोई औचित्य नहीं है, सबको एक में विलय कर देना चाहिए. मध्यप्रदेश, उत्तराखंड व कुछ अन्य राज्यों में एलडीबी और कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर हो चुका. यूपी सरकार भी मर्जर की तैयारी में जुटी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में चार मई को नाबार्ड के अफसरों के साथ बैठक की. नाबार्ड ने एलडीबी समेत अन्य सहकारी बैंकों के विलय को लेकर एक प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा था. उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना किसानों को लघु और दीर्घ काल के ऋण देने के लिए की गई थी. इसमें जिला सहकारी समितियों को अल्पकालिक ऋण वितरण का दायित्व दिया गया था और सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को दीर्घकालिक ऋण वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण एलडीबी टाइटैनिक जहाज हो गया और सहकारी बैंक बंद होते चले गए. इन्हें जिंदा रखने की तमाम कोशिशें भी फेल हो गईं. बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नाबार्ड ने कई सुझाव शासन को भेजे हैं. उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (ग्राम विकास बैंक) की स्थापना वर्ष 1959 में सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी. अभी उत्तर प्रदेश में एलडीबी की कुल 323 शाखाएं हैं. उत्तरांचल की 19 शाखाएं बंद हो चुकी हैं. 262 शाखाएं तहसील स्तर पर और 80 शाखाएं विकास खंड स्तर पर हैं. ■

मध्य प्रदेश

किसान लड़ रहे हैं

हमारे राजनीतिक दलों के लिए किसान एक ऐसे चुनावी मुद्दे की तरह हैं, जिसे वे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. यह देश की करीब आधी आबादी की पीड़ा है, जो अब नासूर बनती जा रही है. विपक्ष में रहते हुए तो सभी पार्टियां किसानों के पक्ष में बोलती हैं और उनकी आवाज को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वे उसी विकास के रास्ते पर चलने को मजबूर होती हैं, जहां खेती और किसानों की कोई हैसियत नहीं है. सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन मौजूदा व्यवस्था में किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए अभिशप्त हैं.

जावेद अनीस

मध्य प्रदेश विडम्बनाओं और विरोधाभासों का गढ़ बनता जा रहा है. एक तरफ यह सूबा भुखमरी, कुपोषण और किसानों की बदहाली के लिए कुख्यात है, तो वहीं यह देश का ऐसा पहला सूबा भी है, जहां 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंट' की शुरुआत की गई है. विडम्बनाओं की इस कड़ी में यहां संवेदनहीनता और मक्कारी भी अपने चरम पर है. आंदोलनकारी किसानों को अपराधी घोषित किया जा रहा है और उनकी आवाज को कुचलने के हर संभव तरीके अपनाए जा रहे हैं. सरकार में बैठे लोग और प्रशासन हिप्पोक्रेट्स हो गए हैं, जिनका व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है. लगातार पांचवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुकी मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर गोलियां चलवाने का खिताब भी अपने नाम दर्ज करा चुकी है. आज शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश किसानों के गुस्से से उबल रहा है, जिसके पीछे घाटे की खेती, कर्ज़ के बोझ और सरकार की अनदेखी है. सरकार के लाख धमकाने, पुचकारने और फरेब के बावजूद उनका प्रतिरोध जारी है. करीब 11 साल से सूबे की गद्दी पर अंगद की तरह पैर जमाए शिवराज सिंह चौहान पहली बार विचलित नजर आ रहे हैं. अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रखने के लिए किसान अपने दोनों अंतिम हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक हथियार गोलियां-लाठियां खाकर आन्दोलन करने का है, तो दूसरा आत्महत्या यानी खुद को ख़त्म कर लेने का. आंदोलन शुरू होने के करीब पखवाड़े भर के भीतर ही सूबे के करीब 21 किसान आत्महत्या कर चुके हैं. उधर तथाकथित किसान पुत्र शिवराज सिंह की सरकार का पूरा जोर किसी भी तरह से इस पूरे मसले से ध्यान हटा देने या उसे दबा देने का है. पहले आन्दोलनकारियों को 'एंटी सोशल एलिमेंट' के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की गई और जब मामला हाथ से बाहर जाता हुआ दिखा तो खुद मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गए. ताजा शिगुफा मध्य प्रदेश सीआईडी ने छोड़ा है, मध्य प्रदेश में किसानों की मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजे गए अपने जवाब में सीआईडी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के आत्महत्या की बड़ी वजह खेती या कर्ज नहीं, बल्कि पारिवारिक कलह, शराब पीने, शादी, सम्पत्ति विवाद और बीमारी आदि है. बहरहाल किसानों का यह आक्रोश केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देशव्यापी है.

लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या यह कोई तात्कालिक समस्या है या इसका जुड़ाव पूरे कृषि क्षेत्र से है, जिसकी जड़ें पूंजी के नियमों से संचालित मौजूदा विकास की धारा में अन्तर्निहित हैं और जिनकी नियति जीडीपी के ग्रोथ पर सवार भारत को किसान मुक्त भारत में तब्दील कर डालने में है?

साम, दाम, दंड, भेद का खेल

आंदोलन के शुरू में मध्य प्रदेश के किसान लाखों लीटर दूध और सब्जी सड़कों पर फेंक कर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे. इसे शिवराज सरकार ने शुरू में इग्नोर करने की कोशिश की, जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ता गया. बाद में सरकार द्वारा आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के नेताओं को बुलाकर समझौता करने और आन्दोलनकारियों की मांगों को मान लेने का स्वांग रचा गया, जबकि भारतीय किसान संघ का इस आंदोलन से सम्बंध ही नहीं था. इसके बाद जब पुलिस द्वारा आंदोलन कर रहे 6 किसानों की हत्या कर दी गई, तो थ्योरी पेश की गयी कि आंदोलनकारी किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व थे जिन्हें कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था. यह दावा भी किया गया कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलायी गयी थी. उसी दौरान देश भर के अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए, जिसका टैग लाइन था किसानों की खुशहाली के लिए सदैव तत्पर मध्य प्रदेश सरकार. इसके बाद जब लगा कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो मारे गये किसानों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी गयी. पहले प्रत्येक मृतक को 10 लाख के मुआवजे देने की बात कही गयी फिर उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया और आनन-फानन में इस घटना के न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए. विपक्ष की तरफ से भी सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई. राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार किसानों के साथ युद्ध की स्थिति में है.

सत्ता का उपहास देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री खुद उपवास पर बैठ गए. मृतक किसानों के परिवारवालों को बुलाकर शिवराज ने ये जताने की कोशिश की कि किसान उनके साथ हैं. अगले दिन शिवराज ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में वहां मौजूद भीड़ से पूछकर उपवास तोड़ दिया. इस दौरान उन्होंने करीब एक दर्जन घोषणाएं भी कर डालीं. मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ने हिसाब लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल के पहले दस वर्षों में करीब 8 हजार घोषणाएं कर चुके हैं यानी औसतन दो घोषणाएं हर रोज, जिनमें से लगभग दो हजार पूरा नहीं किया जा सका है. पिछले तीन सालों में की गई 1500 घोषणाओं में से तो केवल 10 प्रतिशत ही पूरी हो सकी हैं. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि इस उपवास के दौरान की गई घोषणाओं का क्या होने वाला है.

बाद में एक न्यूज़ चैनल द्वारा मुख्यमंत्री के उपवास को लेकर जिस तरह के खुलासे किए गए, वो इस पाखंड को उजागर करते हैं. इस आयोजन के लिए 5-7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन तमाम चालबाजियों के बावजूद किसानों का गुस्सा बना हुआ है. अपने आप को किसान पुत्र के तौर पर पेश करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज शिंह की जमीन दरकती जा रही है. पिछले ग्यारह सालों के अपने कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. आने वाली मुसीबत को मौके में तब्दील कर देना उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है. यहां तक कि व्यापमं जैसे कुख्यात घोटाले के बाद भी वे अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब रहे हैं. आज एक बार फिर वे अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. जिस किसान हितैषी छवि को उन्होंने बहुत करीने से गढ़ा था, इस बार उसी को सबसे बड़ा झटका लगा है और यह झटका खुद किसानों ने ही लगाया है. गोलीकांड से ठीक पहले हालात बिलकुल अलग नजर आ रहे थे. उनकी बहुप्रचारित नर्मदा यात्रा खत्म ही हुई थी और विपक्ष हमेशा की तरह कमजोर और असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा था. लेकिन अब किसानों के गुस्से और गोलीकांड से फिजा बदली हुई नजर आ रही है. दरअसल आंदोलन के शुरू में जब किसान सड़क पर उतरे तो इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया. अगले साल विधान सभा चुनाव हैं और शिवराज सरकार अपने आप को सबसे कमजोर स्थिति में पा रही है, लम्बे समय बाद विपक्षी कांग्रेस में हलचल और जोश दोनों नजर आ रही है.

खतरनाक पैटर्न

किसानों के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा के नेताओं के जिस तरह से बयान आये हैं वे उस खास पैटर्न की ओर इशारा करते हैं जिसे हम पहले भी देख चुके हैं. अखबारों में छपी खबरों के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान गोली चलने से ठीक पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा था कि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व गड़बड़ी कर रहे हैं. ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए. इसके कुछ घंटों बाद ही मंदसौर से पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की ख़बरें आती हैं, सत्ताधारी पार्टी और सरकार से जुड़े कई नेताओं ने भी आन्दोलनकारियों को नकली, मुट्ठी भर किसान और विपक्ष की साजिश साबित करने पर पूरा जोर लगा रहे थे. यह वही पैटर्न है, जो सहारनपुर के दलित आंदोलनकारियों को अपराधी बताता है, कश्मीर में जनता को ढाल बनाता है भोपाल एन्काउन्टर की साजिश को सही बताता है और जिसका पूरा जोर आयोजनों, दिखावे और फील गुड फीलिंग लाने पर है.

पूरे कृषि क्षेत्र का संकट

यह केवल किसानों का नहीं बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र का संकट है, यह एक कृषि प्रधान देश की कृषक प्रधान देश बन जाने की कहानी है. 1950 के दशक में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत था, 1991 में जब नई आर्थिक नीतियां लागू की गई थीं, तो उस समय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 34.9 प्रतिशत था, जो अब वर्तमान में करीब 13 प्रतिशत के आस पास आ गया है. जबकि देश की करीब आधी आबादी अभी भी खेती पर ही निर्भर है. नई आर्थिक नीतियों के लागू होन के बाद से सेवा क्षेत्र में काफी फैलाव हुआ है, जिसकी वजह से आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में शुमार की जाने लगी है. लेकिन सेवा क्षेत्र का यह बूम उस अनुपात में रोजगार का अवसर मुहैया कराने में नाकाम रहा है.

नतीजे के तौर पर आज भी भारत की करीब दो-तिहाई आबादी की निर्भरता कृषि क्षेत्र पर बनी हुई है. इस दौरान परिवार बढ़ने की वजह से छोटे किसानों की संख्या बढ़ी है. जिनके लिए खेती करना बहुत ही मुश्किल एवं नुकसान भरा काम हो गया है और कर्ज लेने की मजबूरी बहुत आम हो गई है. एनएसएसओ के 70वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल 9.02 करोड़ काश्तकार परिवारों में से 7.81 करोड़ (यानि 86.6 फीसदी) खेती से इतनी कमाई नहीं कर पाते जिससे वे अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर सकें. खेती करने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है. दरअसल, खेती का सारा मुनाफा खेती सम्बंधी कारोबार से जुड़ी कम्पनियां लूट रही हैं. भारत के कृषि क्षेत्र में पूंजी अभी भी सीधे तौर पर दाखिल नहीं हुआ है. अगर इतनी बड़ी संख्या में आबादी लगभग जीरो प्रॉफिट पर इस सेक्टर में खप कर इतने सस्ते में उत्पाद दे रही है, तो फौरी तौर पर इसकी जरूरत ही क्या है. इसके साथ ही किसानी और खेती से जुड़े कारोबार तेजी से फल-फूल रहे हैं. फर्टिलाइजर, बीज, पेस्टीसाइड और दूसरे कृषि कारोबार से जुड़ी कम्पनियां सरकारी रियायतों का फायदा भी लेती हैं. यूरोप और अमेरिका जैसे पुराने पूंजीवादी मुल्कों के अनुभव बताते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए अंत में छोटे और मध्यम किसानों के उजड़ना पड़ा है. पूंजी का मूलभूत तर्क ही अपना फैलाव करना है, जिसके लिए वो नये क्षेत्रों की तलाश में रहता है. भारत का मौजूदा विकास मॉडल इसी रास्ते पर फर्राटे भर रहा है, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री और सूबों के मुख्यमंत्री दुनिया भर में घूम-घूम कर पूंजी के निवेश के लिये आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए लुभावने ऑफर प्रस्तुत किए जाते हैं. जिसमें सस्ती जमीन और मजदूर शामिल है. भविष्य में अगर विकास का यही रास्ता रहा, तो बड़ी पूंजी का रुख गावों और कृषि की तरफ मुड़ेगा ही, जिससे बड़ी संख्या में लोग कृषि क्षेत्र छोड़ कर दूसरे सेक्टर में जाने को मजबूर किए जाएंगे. उनमें से ज्यादातर के पास मजदूर बनने का ही विकल्प बचा होगा. जाहिर है यह सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय साबित होगा.

हमारे राजनीतिक दलों के लिए किसान एक ऐसे चुनावी मुद्दे की तरह हैं, जिसे वे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. यह देश की करीब आधी आबादी की पीड़ा है, जो अब नासूर बनती जा रही है. विपक्ष में रहते हुए तो सभी पार्टियां किसानों के पक्ष में बोलती हैं और उनकी आवाज को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वे उसी विकास के रास्ते पर चलने को मजबूर होती हैं, जहां खेती और किसानों की कोई हैसियत नहीं है. सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन मौजूदा व्यवस्था में किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए अभिशप्त हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक साल पहले 'चौथी दुनिया' ने बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश बन गया है 'मृत्यु प्रदेश'

इस रिपोर्ट में हमने बताया था कि मध्य प्रदेश किसानों के लिए क्या मृत्यु प्रदेश बनता जा रहा है. किन समस्याओं की वजह से किसान सिलसिलेवार आत्महत्याएं कर रहे हैं? शिवराज सिंह सरकार किसानों तक मदद पहुंचाने में क्यों विफल रही है? सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे कई सवालों की पड़ताल करने के लिए चौथी दुनिया की टीम ने मध्य प्रदेश के कई प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और सुदूर गांवों तक जाकर किसान परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल-चाल पूछा, ज़मीनी हक़ीक़त का जायजा लिया. मसलन, 25 अक्टूबर, 2015 को ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों की टीमें अलग-अलग गांवों में गई थीं. ज्यादातर अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उससे यह साबित हो गया कि किसानों ने नाकारा व्यवस्था से विवश होकर आत्महत्या की है. कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है. इन रिपोर्टों से यह तथ्य आधिकारिक तौर पर सामने आया कि किसान कर्ज में डूब कर फांसी का रास्ता चुन रहे हैं. कई अधिकारियों ने यह माना और लिखा कि गांवों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है. खाद और बीज को लेकर किसान परेशान हैं और खेती में हुए नुकसान और ऊपर से कर्ज के बोझ की वजह से वे आत्महत्या कर रहे हैं. इन रिपोर्टों से सकते में आई सरकार ने चार महीने में 342 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात स्वीकार की. ■

चौथी दुनिया

मृत्यु प्रदेश!

मध्य प्रदेश में बन रहा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब भर देती है, पर नेता को कुछ नहीं होता

किसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं!

मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी किसानों पर रासुका

तो क्या किसान अब इस देश के लिए खतरा बन गए है? मध्य प्रदेश सरकार के हाल के एक निर्णय से तो कम से कम ऐसा ही लगता है. मध्य प्रदेश में आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों से घबराई भाजपा सरकार ने जिलाधिकारियों को किसी भी व्यवित को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. इस आशय की अधिसूचना राजपत्र यानि गजट में भी प्रकाशित की गई है. राज्य सरकार के 19 जून के राजपत्र (गजट) में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना (असाधारण) प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि 'राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है.' अधिसूचना में आगे कहा गया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक की कालावधि में जिलाधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर रासुका की धारा 3 की उपधारा 3 का उपयोग कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 जून 2017—ज्येष्ठ 29, शक 1939

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2017

क्र. एफ-31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिये और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है.

राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक है.

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि संबंधित जिला दण्डाधिकारी अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर दिनांक 1 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की कालावधि के दौरान उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक शर्मा, सचिव.

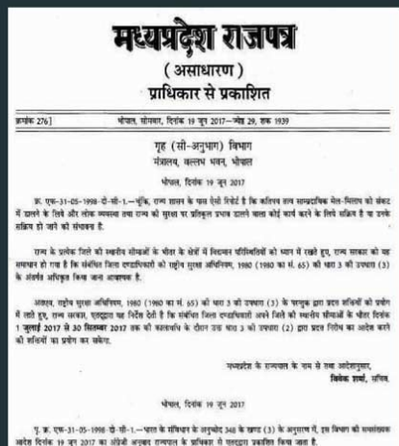

भोपाल, दिनांक 19 जून 2017

पृ. क्र. एफ-31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक शर्मा, सचिव.

551

दरअसल, पुलिस कार्रवाई में छह किसानों की मौत और एक के बाद एक 15 किसानों की आत्महत्या से मध्य प्रदेश सरकार बुरी तरह घबराई हुई है. इधर, 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के गांव-गांव में किसान विरोध कर रहे हैं. किसान आंदोलन की लहर काफी तेज हो गई है. किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं. दूसरी तरफ, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है. जाहिर है, ऐसे में सरकार के इस दमनकारी कानून को जमीन पर उतारने का मकसद आसानी से समझा जा सकता है. जिलाधिकारियों को दिए गए मनमानी गिरफ्तारी के इस अधिकार को प्रदेशभर में फैल रहे किसान असंतोष, जीएसटी के विरुद्ध व्यापारियों में असंतोष और सरकारी कारगुजारियों की वजह से जनता में उपजी बेचैनी का ही नतीजा माना जा सकता है. ■

दूरसंचार कम्पनियों को क़र्ज़ से उबारने के लिए सरकार ने कसी कमर

किसानों की क़र्ज़माफ़ी 'फैशन' कॉर्पोरेट की क़र्ज़माफ़ी 'ज़रूरत'

निरंजन मिश्रा

- रिलायंस जियो की मनमानी को सरकारी सहमति ने डुबोई बाकी कम्पनियों की नैया
- वित्तीय संकट से जूझ रही कम्पनियों के लिए सरकार उठाएगी 'सकारात्मक' कदम
- टाटा टेलीकॉम ने 29,000 करोड़ चुकाने के लिए मांगी 20 साल की मोहलत
- रिलायंस कम्युनिकेशन को 44,000 करोड़ चुकाने के लिए मिला दिसंबर तक का समय

किसानों की कर्जमाफी से वित्तीय अनुशासन बिगड़ने को लेकर चिंतित एसबीआई चेयरमैन की ये चिंता उस समय कम्पनियों के साथ हो जाती है, जब उन्हें कर्ज में रियायत देने की बारी आती है. कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर को सरकारी मदद के लिए हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य ने अपील की थी. उन्होंने कहा था, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि क्या कम्पनियां मुश्किल स्थिति का सामना कर रही हैं. अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो मिनिस्ट्री को पहल करनी चाहिए. उनके लिए प्रो-एक्टिव कदम उठाने की जरूरत है.

छले महीने की 23 तारीख को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा किसानों की कर्जमाफी को फैशन बताने वाले बयान से ठीक एक दिन पहले 22 जून को संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनियों की समस्याएं सुन रहे थे. दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मनोज सिन्हा की ये मुलाकात कंपनियों को घाटे और कर्ज की मार से बचाने को लेकर हुई थी. इस बैठक में भारती एअरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी, आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, टाटा संस के निदेशक इशात हुसैन और रिलायंस जियो के बोर्ड मेंबर महेंद्र नाहटा मौजूद थे. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि इस सम्बंध में जल्द ही अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट आने वाली है. सरकार कर्ज में फंसे इस उद्योग के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी.

> कर्जमाफी अब फैशन बन चुका है, कर्जमाफी केवल बहुत मुश्किल स्थितियों में ही होनी चाहिए. ये समाधान नहीं है. लेकिन किसानों का ख्याल रखना होगा.
>
>
>
> *-वेंकैया नायडू, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री*

> इस सम्बंध में जल्द ही अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट आने वाली है. सरकार कर्ज में फंसे दूरसंचार उद्योग के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी.
>
>
>
> *-मनोज सिन्हा, संचार राज्यमंत्री*

लिए सकारात्मक कदम उठाएगी.

गौर करने वाली बात ये है कि कॉर्पोरेट की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाने वाली सरकार किसानों से जुड़ी समस्याओं पर हमेशा ही उदासिन बनी रहती है. किसानों की कर्जमाफी या दूसरे मुद्दों पर तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, जब तक वे आंदोलन का रास्ता नहीं अपना लेते या सरकार को उनसे कोई चुनावी हित नहीं दिखता. हाल ही में तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ आंदोलन सबने देखा. किस तरह से वे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहे और किस तरह सरकार उन्हें नजरअंदाज करती रही. उनकी समस्याओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाने का आश्वासन तो दूर, प्रधानमंत्री जी उनसे मिले तक नहीं. वित्त मंत्री मिले भी, तो उन्होंने गेंद कृषि मंत्री के पाले में डाल दी और जब वे किसान कृषि मंत्री से मिले तो उन्होंने किसानों की समस्या को वित्त मंत्रालय से जुड़ा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया. उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी घूम-घूम कर कहते रहे कि भाजपा की सरकार आई, तो किसानों की कर्जमाफी की जाएगी. उस समय वेंकैया नायडू ने एक बार भी नहीं कहा कि ये कर्जमाफी अब फैशन बनती जा रही है. उस समय भरतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को भी ये नहीं दिखा कि किसानों की कर्जमाफी से वित्तीय अनुशासन बिगड़ेगा. जब सियासी हित सध गया, तब सभी को किसानों की कर्जमाफी से अर्थव्यवस्था को खतरा नजर आने लगा.

कॉर्पोरेट को राहत, किसानों पर आफत

कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के दबाव के आगे दम तोड़ते किसानों की खबरें हर दिन सामने आ रही हैं. इसी बीच खबर ये भी है कि अनिल अंबानी की कम्पनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 44,000 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए बैंकों ने दिसंबर तक का समय दे दिया है. वहीं, टाटा टेलिकॉम ने भी अपने 29,000 करोड़ के लोन भुगतान के लिए 20 साल का समय मांगा है. टाटा ने तो अपना नुकसान दिखाते हुए बैंकों से 5000 करोड़ का अतिरिक्त लोन भी मांगा है. भारत की एक प्रमुख जमा आकलन एजेंसी, रेटिंग इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2016 के बीच कम्पनियों पर करीब 7.4 लाख करोड़ का ऋण होगा, जिसमें से चार लाख करोड़ के करीब का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. ये सोचने वाली बात है कि किसानों की कर्जमाफी पर हायतौबा मचाने वाली सरकार और व्यवस्था कॉर्पोरेट की कर्जमाफी पर क्यों चुप्पी साध जाती है. और तो और इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत बता दिया जाता है. जब किसानों की कर्ज माफी की बात की जाती है, तो ऊपर बैठे जिम्मेदार लोगों को इसमें अर्थव्यवस्था का नुकसान दिखने लगता है. उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब कर्जमाफी लागू करने की योजना पर विचार हो रहा था, तब भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का एक बयान आया था कि ऐसी कर्जमाफी से वित्तीय अनुशासन बिगड़ जाता है और एक बार कर्ज माफ कर देने के बाद किसान फिर आगे भी ऐसी मांग करता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि किसानों की कर्जमाफी से वित्तीय अनुशासन बिगड़ने को लेकर चिंतित एसबीआई चेयरमैन की ये चिंता उस समय कम्पनियों के साथ हो जाती है, जब उन्हें कर्ज में रियायत देने की बारी आती है. कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर को सरकारी मदद के लिए हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य ने अपील की थी. उन्होंने कहा था, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि क्या कम्पनियां मुश्किल स्थिति का सामना कर रही हैं. अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो मिनिस्ट्री को पहल करनी चाहिए. उनके लिए प्रो-एक्टिव कदम उठाने की जरूरत है. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम ने तो कॉर्पोरेट कर्जमाफी को पूंजीवाद के काम करने का तरीका बता दिया.

भाई ने डुबोया, बैंक उबार रहे

अनिल अंबानी की कम्पनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 10 विभिन्न बैंकों का 44,000 करोड़ का कर्ज है. पहले से कर्ज के बोझ और अब घाटे की मार को कारण बताते हुए आरकॉम ने अभी कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई, जिसके बाद बैंकों ने उसे दिसम्बर तक का समय दे दिया. उसमें भी दिसम्बर तक कम्पनी पूरा कर्ज नहीं चुकाएगी. उसे बस कर्ज का 60 फीसदी ही भुगतान करना होगा. कम्पनी को दी गई इस राहत को स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग (एस.डी.आर.) का

> सरकार को बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों को राहत देने की जरूरत है. आपको उन कर्जों को माफ करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद इसी तरह से काम करता है. लोग गलतियां करते हैं, उन्हें कुछ हद तक माफ किया जाना चाहिए.
>
>
>
> *-अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार*

> टेलीकॉम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि क्या कंपनियां मुश्किल स्थिति का सामना कर रही हैं. अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो मिनिस्ट्री को पहल करनी चाहिए. उनके लिए प्रो-एक्टिव कदम उठाने की जरूरत है.
>
>
>
> *-अरुंधति भट्टाचार्य, चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक*

नाम दिया गया है. रिलायंस ने ये राहत पाने के लिए कई कारण बताए थे, जिनमें आरकॉम का रेटिंग गिरना भी प्रमुख था. मूडीज, फिच सहित कई एजेंसियों ने आरकॉम की रेटिंग घटा दी है. फिच रेटिंग्स ने आरकॉम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट को डाऊनग्रेड करते हुए डिफॉल्ट की आशंका जाहिर की थी. वहीं केयर रेटिंग्स और इक्रा ने कम्पनी को डाऊनग्रेड किया था. खराब रेटिंग के बाद आरकॉम के शेयर 20 प्रतिशत तक गिर गए हैं. इस भारी कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण कई बैंकों ने तो आरकॉम को अपनी एसेट बुक में स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) के तौर पर दर्ज कर लिया है. एसएमए लोन वो होते हैं जिसमें कर्ज लेने वाले ने ब्याज नहीं चुकाया होता है. अगर तय तारीख से 30 दिनों तक इन लोन का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे एसएमए 1 और अगर 60 दिनों बाद उसे एसएमए 2 श्रेणी में डाल दिया जाता है. लेकिन अगर 90 दिनों के बाद भी बैंक को बकाया वापस नहीं मिलता है, तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) में डाल देते हैं. रिलायंस कम्युनिकेशंस के इस केस से कॉर्पोरेट कर्जमाफी का पूरा खेल समझा जा सकता है.■

रिलायंस जियो ने दूरसंचार उद्योग को गर्त में ढकेल दिया

जिस जियो को दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति का अग्रदूत बताया गया, वो अब इस सेक्टर को डुबाने का कारण बनता दिख रहा है. रिलायंस जियो के फ्री प्लान्स अन्य दूरसंचार कम्पनियों के लिए भारी घाटे का सबब बन गए. 2016-17 में दूरसंचार उद्योग के कारोबार में पहली बार गिरावट आई है और कुल आय घटकर लगभग 2.10 लाख करोड़ रह गया है. आइडिया को 2016-17 में 404 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा और उसका रेवन्यू 0.8 प्रतिशत गिरकर 35,883 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. इससे पहले वित्त वर्ष 2015-16 में तो कम्पनी को 2,278 करोड़ का घाटा हुआ था. कम्पनी को हुए नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आइडिया ने पहली बार अपने प्रमोटर और चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के वेतन में भारी कटौती की है. वित्त वर्ष 2016-17 में बिड़ला की सैलरी 13.15 करोड़ से गिरकर 3.30 लाख रुपए हो गई. इतना ही नहीं कम्पनी ने कई डायरेक्टर्स के वेतन में भी भारी कटौती की है. आइडिया के नॉन-एग्जिक्युटिव डायरेक्टर संजीव आगा की सैलरी 16.7 लाख से कम होकर 5.90 लाख रुपए तक आ गई है. इस नुकसान को देखते हुए ही आइडिया ने वोडाफोन के साथ मर्जर का फैसला किया. इधर मुकेश अंबानी के भाई की कम्पनी रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी बुरा हाल है. कंपनी को जनवरी-मार्च तिमाही में 966 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था, जो उसका लगातार दूसरा तिमाही नुकसान था. इस नुकसान को देखते हुए ही रिलायंस ने एयरसेल और ब्रूकफील्ड के साथ डील करने का फैसला किया. टाटा टेलीकॉम को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है. वित्त वर्ष 2016-17 में उसके नेट वर्थ में 11,650 करोड़ की कमी आई है.

इधर रिलायंस जियो ने अपनी प्रतिस्पर्धी कम्पनियों के इन आरोपों को बे-बुनियाद बताया है और उल्टा इन कम्पनियों पर ही सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. रिलायंस जियो ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने मार्च में उचित लाइसेंस शुल्क नहीं दिया, जिससे सरकार को 400 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हुआ है.■

feedback@chauthiduniya.com

ग़रीबी का सरकारी इश्तेहार

चंदन राय

राजस्थान में बीपीएल कार्डधारियों के लिए एक अनूठा सरकारी फरमान आया है. इसके अनुसार, गरीबों को अगर सरकारी फायदा लेना है, तो उन्हें अपने घर पर 'मैं गरीब हूं' का इश्तेहार चस्पां करना होगा. सरकारी अधिकारियों का आदेश है कि अगर ऐसा नहीं किया, तो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा. यह कुछ ऐसा ही है, जैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बिजली अधिकारियों ने हाल में यह आदेश जारी किया है कि बिजली बिल डिफॉल्टर्स का नाम शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लिख दिया जाएगा. दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों की सार्वजनिक भर्त्सना करना. जहां पहले मामले में मकसद यह है कि बीपीएल कार्डधारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकें, वहीं दूसरे का मकसद यह है कि सार्वजनिक लानत-मलामत से आजिज होकर डिफॉल्टर्स बिजली बिल जमा करा देंगे. छोटे लोन डिफॉल्टर्स, जिसमें अधिकतर किसान होते हैं, के साथ बैंक भी कुछ ऐसा ही करते हैं. सवाल यह है कि एक तरफ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, फिर यह भी चाहती है कि उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचे. ऐसा करने से फायदा किसे होगा? गौर करें तो स्पष्ट है कि इस तरह के तुगलकी फरमान से अंततः सरकारी अधिकारी व बिचौलिए ही लाभान्वित होंगे.

राजस्थान के दौसा जिले में 50 हजार गरीबों के घरों पर गरीब होने का इश्तेहार लगा दिया गया है. घर के मुख्य गेट के पास पीले रंग से पोतकर लिख दिया गया है कि यह परिवार गरीब है और सरकारी मदद लेता है. हड़बड़ी में एक ही घर पर चार-चार बार इश्तेहार लगा दिया गया है, ताकि इसे मिटाया नहीं जा सके और आते-जाते सब की नजर इस पर पड़ सके. सामाजिक अपमान और लोक-लाज के भय से लोगों ने अब घरों से निकलना बंद कर दिया है. एक ग्रामीण ने बताया कि महज 10 किलो गेहूं के लिए हम लोगों को इस तरह अपमानित होना पड़ रहा है. अब तो गांववाले भी कहने लगे हैं कि अपना राशन गोदाम में ही रखो, लेकिन हमें इज्जत के साथ जीने दो. दौसा जिले के निवासी रामशंकर बताते हैं कि हमारी सामाजिक मान-मर्यादा तो गई ही, अब लोग हमारे यहां शादी-ब्याह भी बंद कर देंगे. अभी से गांव के लोगों ने हमारे साथ उठना-बैठना बंद कर दिया है. वे हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं. घरों की दीवार पर यह संदेश लिखवाने के लिए राज्य सरकार ने बीपीएल कार्डधारियों को 750 रुपए देने की पेशकश भी की थी. गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 4 करोड़ 37 लाख लोग बीपीएल योजना का लाभ उठा रहे हैं. यहां गरीबी का आलम यह है कि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडीशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गरीबों की मौजूदा संख्या अफ्रीका के सबसे निर्धन 25 देशों के गरीबों से भी अधिक है. 2016 में भीलवाड़ा में इसी तरह बीपीएल कार्डधारक परिवारों के घर के बाहर पीले रंग से लिख दिया गया था, ताकि पता चल सके कि कौन-कौन परिवार बीपीएल की सुविधा ले रहा है. गरीबी का सामाजिक प्रदर्शन कर वंचित तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित करने की नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं. कभी राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है. शशि थरूर के लिए भी यह एक कैटल क्लास है. दरअसल राजनेताओं द्वारा जाने-अनजाने में गरीबों का मजाक उड़ाने की एक रवायत बन गई है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो किसी दिन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे पर लिखवा देंगे-भारत एक गरीब देश है, हमसे दान लेता है.

भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने 6 अगस्त, 2009 में दीवारों पर लिखने का काम शुरू किया था. उस दौरान बीपीएल लिस्ट में कई अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया था. इन लोगों को बीपीएल लिस्ट से बाहर करने के लिए ही स्थानीय प्रशासन ने यह कदम उठाया है. राज्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि वसुंधरा राजे सरकार ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है. कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट कर इस मुद्दे को उठाया था. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी कहते हैं कि पीडीएस की सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलती है और यह उनका अधिकार है. सरकार इन लोगों को कोई खैरात नहीं दे रही है.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक हालिया सर्वे पर नजर डालें, तो पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक गरीब बच्चों का 31 फीसदी हिस्सा भारत में है. विश्व में 69 करोड़ गरीब बच्चे हैं, जिसमें से 22 करोड़ भारत में हैं. अफ्रीकी देश नाइजीरिया 8 फीसद, इथोपिया 7 फीसद और पाकिस्तान 6 फीसद के साथ हमसे काफी बेहतर स्थिति में हैं. सर्वे में स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन के स्तर को आधार बनाया गया था. यह स्थिति तब है, जब हम दुनिया भर में बच्चों के लिए सबसे बड़ी योजना समेकित बाल विकास सेवा, आईसीडीएस का संचालन कर रहे हैं. यह कार्यक्रम 80 हजार से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में संचालित हो रही है.

बच्चों की शिक्षा और पोषाहार के लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र देश भर में चलाए जा रहे हैं. लेकिन आप किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र का मुआयना कर लें, आपको आधे से अधिक बंद मिलेंगे. अगर खुले हैं भी तो यहां आने वाले अनाज बाजार में महंगे दामों पर बेच दिए जाते हैं. अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले अनाज पशुचारे के लिए बेच दिए जा रहे हैं. लखनऊ में बख्शी का तालाब विकासखंड के कठवारा, मदारीपुर, सोनवा सहित 280 केंद्रों पर यह धंधा खुलेआम चल रहा है. स्थानीय लोग बताते हैं कि ये अनाज केंद्र में नहीं रखे जाते, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने घर से ही इन अनाजों को बेच देती हैं. आंगनबाड़ी कार्यकताएं कहती हैं कि घटिया क्वालिटी के अनाज होने के कारण बच्चे इसे नहीं खाते हैं. हमें सुपरवाइजर को भी हर माह एक हजार रुपए देने पड़ते हैं. ऐसे में हमलोग मजबूरी में ही पोषाहार की बिक्री करते हैं. कह सकते हैं कि सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं की भांति पोषाहार योजना भी सरकारी अधिकारियों के लूट-खसोट और कमाने का जरिया बनकर रह गई है.

सच्चाई यह है कि सरकार गरीबों की असली संख्या से डर रही है. उसका मकसद गरीबी हटाना नहीं, बल्कि बीपीएल लाइन को थोड़ा और नीचे करना है, ताकि कम से कम गरीबों को सरकारी योजना में शामिल किया जा सके. सरकार लोकल्याणकारी योजनाओं पर कम से कम धन का आवंटन करना चाहती है. सरकार की चिंता यह है कि अगर गरीबों की संख्या 37.2 फीसद से ज्यादा बढ़ गई, तब खाद्य सब्सिडी के मौजूदा बिल में 6 हजार करोड़ रुपए का इजाफा हो जाएगा. यह बिल अभी 55, 780 करोड़ रुपए है. दुनिया भर के देश विश्व बैंक की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च करने की क्षमता के आधार पर गरीबी का आकलन करते हैं. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर का आकलन किया जाता है. इस सूचकांक के मुताबिक भारत में 55.4 फीसदी लोग गरीब हैं. अगर भारत इसे स्वीकार करता है तब खाद्य सब्सिडी का बोझ उठाना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा.

लेकिन हमारे देश ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है. गरीबों के चयन के लिए तीन श्रेणी बनाई गई है-सीधे तौर पर नजर आने वाले गरीब, सीधे तौर पर गरीबी की सीमा से बाहर के लोग और गरीबी के विभिन्न स्तर के लोग. सरकार जब चाहे सहूलियत के हिसाब से सरकारी योजनाओं में गरीबों को शामिल करती है और जब चाहे बाहर कर देती है. हर योजना के अपने-अपने गरीब नजर आते हैं. एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी योजना आयोग से पूछा था कि गांव में 15 रु. प्रतिदिन और शहर में 20 रु. प्रतिदिन से अधिक कमाने वाले व्यक्ति को वह किस आधार पर गरीबी रेखा से बाहर कर रहा है. सवाल यह है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय सरकार अगर इन गरीबों को अपनी नीतियों में प्राथमिकता दे, तो हम ज्यादा संवेदनशील समाज का निर्माण कर पाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अय्यूब पंडित की हत्या

कश्मीरियत और इंसानियत की हत्या है

हारून रेशी

श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर एक कश्मीरी पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या करने की वीभत्स घटना ने यहां के बुद्धिजीवियों को हिलाकर रख दिया है. लोगों ने इस घटना को कश्मीरियत और इंसानियत की हत्या करार दिया है. ये तीन दशक से जारी हिंसक दौर में अपने तरह की पहली घटना है. नरसंहार, अगवा, टॉर्चर और इंसानों को लापता करने जैसी घटनाएं यहां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन यहां हिंसक भीड़ ने अब तक किसी बर्बर घटना को अंजाम नहीं दिया है. इस घटना की जांच से संबंधित पुलिस अधिकारियों और मीडिया प्रोपेगेंडा को अगर अलग रखें तो चश्मदीद गवाहों और अन्य सूत्रों से अब तक जो जानकारियां मिली हैं, वे कुछ इस तरह हैं.

22 और 23 जून की मध्य रात को, जब शबे क़द्र थी, जामा मस्जिद में लाखों लोग इबादत कर रहे थे. ये रात मुसलमानों की नजर में सबसे पवित्र होती है, जिसमें रात भर जागकर लोग इबादत करते हैं. इस दौरान न सिर्फ श्रीनगर, बल्कि घाटी के सुदूर क्षेत्रों से भी लोग इबादत करने जामा मस्जिद पहुंचे थे. जामा मस्जिद के बाहर नौजवानों और बच्चों की भीड़ जमा थी. रात का समय होने के बावजूद कुछ दुकानें खुली थीं. हर तरफ तेज बल्बों की रौशनी बिखरी थी. रात के सवा बारह बज रहे थे. लोग बड़ी मस्जिद के अंदर आ-जा रहे थे. मस्जिद के बाहर भी एक सुखद वातावरण था. एक जगह पर कुछ लड़के, जिनमें से कुछ ने अपने चेहरे ढक रखे थे, भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे लगा रहे थे. वो ज़ाकिर मूसा के हक में भी नारे लगा रहे थे, जो वैचारिक मतभेद की वुनियाद पर हाल में हिज्बुल मुजाहिदीन से अलग हो गया था.

तभी सादा कपड़े में एक सांवला सा अजनबी आदमी अपने आईफोन से नारे लगाने वाले युवाओं की फोटो खींचने लगा. कुछ लड़कों ने उसे रोककर फोटो खींचने का कारण पूछा और उसकी पहचान लेनी चाही. जब युवाओं को पता चला कि वो सादा कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी है, तब उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावर और तमाशा देखने वाले उस पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे थे. कुछ लोग कह रहे थे कि मुखबिर पकड़ा गया. वहीं कुछ कह रहे थे कि आईबी अधिकारी है. कुछ कह रहे थे कि ये पुलिस का मुखबिर है यानी जितनी मुंह, उतनी बातें. खुद को खतरे में देखकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हमलावरों पर फायरिंग शुरू कर दी. इस

अप्रत्याशित हमले में तीन लड़के जख्मी हो गए. यह देखकर भीड़ पुलिस अधिकारी पर टूट पड़ी. उसे नंगा किया गया और उसके बाद उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उसके बचाव के लिए कोई सामने नहीं आया. इसके बाद शव को घसीट कर सड़क के एक कोने में फेंक दिया गया. कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस मरने वाले की फौरी तौर पर पहचान नहीं कर सकी. दूसरे दिन सुबह जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रमुख एसपी वैद्य ने श्रीनगर में एक आपात कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो डीएसपी रैंक का अधिकारी था और जामा मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात था. उसका नाम मुहम्मद अय्यूब पंडित था. वो जामा मस्जिद से दो किलोमीटर की दूरी पर नावपुरा में रहता था.

यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं. लाखों की भीड़ में एक अकेला पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था यानी इतने संवेदनशील क्षेत्र में वह अकेला सिक्योरिटी ड्यूटी पर क्यों था? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिहाज से भी इस रैंक के पुलिस अधिकारी के साथ छह-सात जवानों का होना जरूरी था. हमले के दौरान उसके अन्य साथी कहां थे? वो अपने फोन से नारे लगाने वालों के फोटो क्यों खींच रहा था? क्या ऐसा करना उसकी ड्यूटी का हिस्सा था? जब उस पर हमला हो रहा था तब महज कुछ सौ गज की दूरी पर स्थित पुलिस थाने से सिपाही घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचे? शव की शिनाख्त होने में इतना वक्त क्यों लगा? पुलिस को क्यों नहीं पता चला कि ये ड्यूटी पर मौजूद डीएसपी थे? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार और पुलिस महकमा ने शबे कद्र को लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महज एक डीएसपी पर डाल दी थी, जो अपनी सिक्योरिटी के बगैर सादा कपड़ों में ड्यूटी पर आया था. इन सारे सवालों का अब तक कोई संतोषजनक जवाब पुलिस की तरफ से नहीं आया है. लेकिन जिस अंदाज में उग्र भीड़ ने उस पुलिस अफसर की हत्या की, उसने कश्मीरी समाज को हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर वे लोग, जो आम तौर पर सेना की ज्यादती के खिलाफ लिखते रहते हैं, उन्होंने भी इस हत्या को इंसानियत की हत्या करार दिया. विभिन्न सियासी, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस हत्या की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया.

पुलिस ने फौरन बेरहमी से की गई इस हत्या की जांच शुरू कर दी और आनन-फानन में सैकड़ों हमलावरों में से बारह की पहचान कर ली. इनमें से अबतक पांच को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार लोगों में एक घायल बीस वर्षीय युवा दानिश मीर भी शामिल है, जो डीएसपी अय्यूब पंडित की फायरिंग से घायल हुआ था. दानिश के घरवालों के अनुसार, पुलिस उसे अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर से बाहर गिरफ्तार करके ले गई. घरवालों को उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि उसकी जांघ में गोली लगी है.

इस घटना ने कश्मीर पुलिस को और भी असुरक्षित बना दिया है. शायद इसीलिए पुलिस प्रमुख ने इससे एक दिन पहले जारी किए गए सर्कुलर में पुलिस जवानों को ईद की नमाज आम मस्जिदों की बजाय पुलिस लाइन में अदा करने और सावधानी से काम लेने की हिदायत दी थी. कश्मीर पुलिस वैसे भी मिलिटेंट्स का लक्ष्य है. डीएसपी की हत्या से दो हफ्ते पहले दक्षिणी कश्मीर के इच्छाबल क्षेत्र में मिलिटेंट्स ने एक हमले में छह पुलिस जवानों को गोलियों से भून डाला था. इसमें उनका अधिकारी भी शामिल था. मिलिटेंट्स ने पुलिस जवानों को मारने के बाद गोलियों से चेहरों को विकृत कर दिया था. जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज लाश उठाने घटनास्थल पर पहुंचे, तब आम नौजवानों ने उन पर पथराव शुरू कर दिए. अप्रैल माह में दक्षिणी जिला शोपियां में छुट्टी पर घर आए फौजी अफसर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की मिलिटेंट्स ने अगवा कर हत्या कर दी. उसके कुछ दिनों बाद यानी 28 मई को मिलिटेंट्स ने दक्षिणी कश्मीर के कोलगाम में 4 पुलिस जवानों और बैंक के दो सिक्योरिटी गार्डों की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस पर लगातार हो रहे हमलों ने उन्हें असुरक्षित बना दिया है. पुलिस अधिकारी पहले ही जवानों को ये हिदायत दे चुके हैं कि छुट्टी पर घर जाते समय सावधानी बरतें.

कुछ टिप्पणीकार यह आशंका जता रहे हैं कि पुलिस जवानों पर लगातार हो रहे हमलों के कारण कहीं समाज दो हिस्सों में न बंट जाए. आम पुलिस का जवान भी कश्मीरी समाज का ही हिस्सा है. डीएसपी मुहम्मद अय्यूब पंडित की नमाजे जनाजा में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. उनकी हत्या पर कश्मीर समाज के एक बड़े तबके ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो एक बड़ा संदेश है. लेकिन यहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जिन्होंने डीएसपी की पीट-पीटकर हत्या किए जाने को सही कदम बताया है. फेसबुक और सोशल मीडिया पर जहां इस हत्या की निंदा करने वालों की कोई कमी नहीं दिखाई दी, वहीं कुछ नौजवानों ने इस हत्या के समर्थन में भी लिखे. सच तो यह है कि डीएसपी की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे दो बातें स्पष्ट हो गई हैं कि कश्मीर में हिंसा की लहर भयानक रूप अख्तियार कर रही है. नौजवानों में एक तरफ मौत का डर खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ वो हिंसा की हर हद को लांघते नजर आ रहे हैं. ये वो स्थिति है जो पिछली तीन दशक के दौरान कभी भी देखने को नहीं मिली. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में राज्यसभा चुनाव

चुनाव आयोग के पत्र से भाजपा परेशान

वैसे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास हर हाल में इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देने का हरसंभव प्रयास करेंगे. दोनों पर कोई आरोप सिद्ध न हो, इस बात की कवायद अभी से शुरू हो गई है. यही कारण है कि जहां अजय कुमार के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को दी गई है, वहीं अनुराग गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग जांच करेगा. ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास हैं.

प्रशांत शरण

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और झारखंड से भाजपा सांसद महेश पोद्दार की सदस्यता रद्द हो सकती है. चुनाव आयोग ने झारखंड में 2016 में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त एवं चुनाव को प्रभावित करने के मामले में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार एवं राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए दोनों अधिकारियों को खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. अगर चुनाव आयोग ने इन लोगों पर लगे आरोपों को सही पाया तो यह चुनाव रद्द हो सकता है और इसके कारण उक्त दोनों सांसदों की सदस्यता समाप्त हो सकती है. झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हो और विधायकों की खरीद-फरोख्त न हो, यह असंभव है. 2016 के राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ. सम्पूर्ण विपक्ष के प्रत्याशी शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन की हार हुई और विधायकों के गणित का आंकड़ा फिट नहीं होने के बाद भी भाजपा के दोनों प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार ने बाजी मार ली. विपक्ष ने चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार और राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता पर विधायकों को धमकाने एवं लालच देकर विधायकों के खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया. इससे संबंधित सीडी भी चुनाव आयोग को दी गई. चुनाव आयोग ने जांच के बाद अजय कुमार एवं पुलिस अधिकारी को दोषी पाया और इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा. दोनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया. इस पर कोई कार्रवाई नहीं होते देख चुनाव आयोग ने 13 जून को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पुनः पत्र लिखा और जांच की कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया. अब मुख्य सचिव की स्थिति सांप छुछंदर वाली हो गई है. दोनों ही मुख्यमंत्री के काफी करीब माने जाते हैं.

राज्यसभा चुनाव में हार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव से ठीक पहले जान-बूझकर झामुमो विधायक चमरा लिंडा, कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और बिट्टू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, ताकि तीनों वोट नहीं दे सकें. झाविमो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की थी. एडीजी अनुराग गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार एवं अन्य के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए थे.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी ताजपोशी के बाद एक स्थानीय समाचार-पत्र के संवाददाता अजय कुमार को राजनीतिक सलाहकार बनाया था. वैसे कुमार ने कभी राजनीतिक ककहरा नहीं सीखा था और न ही इनका कोई राजनीतिक कैरियर रहा है. ऐसी चर्चा है कि जब अजय कुमार को समाचार-पत्र ने भाजपा संबंधित खबरों के संकलन की जिम्मेवारी सौंपी, तो रघुवर दास ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ समाचारों के लिए अजय कुमार का सहयोग लिया. गौरतलब है कि अर्जुन मुंडा एवं रघुवर दास राजनीति में एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. इनलोगों के बीच छत्तीस का आंकड़ा जगजाहिर है. जब रघुवर दास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो इन्हें तोहफा के रूप में राजनीतिक सलाहकार का पद दे दिया. चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद पद से हटाकर अब अपना प्रेस सलाहकार बना दिया है. इधर अनुराग गुप्ता के स्वजातीय होने की बात कही जा रही है और यह माना जा रहा है कि इस कारण ये मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा पुलिस अधिकारी हैं.

वैसे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास हर हाल में इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देने का हरसंभव प्रयास करेंगे. दोनों पर कोई आरोप सिद्ध न हो, इस बात की कवायद अभी से शुरू हो गई है. यही कारण है कि जहां अजय कुमार के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को दी गई है, वहीं अनुराग गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग जांच करेगा. यह दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास है और दोनों के खिलाफ किस तरह की जांच होगी. यह जगजाहिर है. इससे यह कहावत एक तरह से सही चरितार्थ होगा कि 'सैंया है कोतवाल तो डर काहे का'. पर चुनाव आयोग के सख्त रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी आदेश में अजय कुमार के खिलाफ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी जांच करेंगे. इस विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हैं, जो मुख्यमंत्री रघुवर दास के भी प्रधान सचिव हैं. राज्यसभा चुनाव में हुए हॉर्स ट्रेडिंग की जांच का जिम्मा एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया गया है. मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र भेजा है. एसीबी इस संबंध में शिकायत दर्ज कर उस सीडी की भी जांच करेगी, जिसमें राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेन्द्र साव से बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड है.

2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी एवं महेश पोद्दार को अपना उम्मीदवार बनाया था. नकवी की जीत के लिए तो आंकड़ा पर्याप्त था, पर महेश पोद्दार की जीत के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति करनी थी. इसके लिए राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी. उसके बाद रणनीति बनी. कांग्रेस विधायक निर्मला देवी, जहां बड़कागांव गोलीकांड सहित कुछ अन्य मामलों में आरोपी थी, वहीं उनके पति योगेन्द्र साव पर भी कुछ गंभीर मामले दर्ज हैं. ऐसी चर्चा है कि अजय कुमार ने निर्मला देवी के पति से सम्पर्क साधा. यह भी चर्चा है कि अजय विधायक पति से मिले और उन्हें भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का प्रलोभन दिया. उन पर एवं विधायक निर्मला देवी पर चल रहे मामलों को हटा लेने का प्रलोभन दिया गया, साथ ही अन्य तरह के भी लालच दिए गए. अजय कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को इस काम में लगाया गया.

2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी एवं महेश पोद्दार को अपना उम्मीदवार बनाया था. नकवी की जीत के लिए तो आंकड़ा पर्याप्त था, पर महेश पोद्दार की जीत के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति करनी थी. इसके लिए राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी. उसके बाद रणनीति बनी. कांग्रेस विधायक निर्मला देवी, जहां बड़कागांव गोलीकांड सहित कुछ अन्य मामलों में आरोपी थी, वहीं उनके पति योगेन्द्र साव पर भी कुछ गंभीर मामले दर्ज हैं. ऐसी चर्चा है कि अजय कुमार ने निर्मला देवी के पति से सम्पर्क साधा. यह भी चर्चा है कि अजय विधायक पति से मिले और उन्हें भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का प्रलोभन दिया. उन पर एवं विधायक निर्मला देवी पर चल रहे मामलों को हटा लेने का प्रलोभन दिया गया, साथ ही अन्य तरह के भी लालच दिए गए. अजय कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को इस काम में लगाया गया. विधायक पति के साथ अजय कुमार एवं अनुराग गुप्ता की बातचीत को योगेन्द्र साव ने टैप कर रखा था. जब इनलोगों का काम नहीं बना, तो राज्यसभा चुनाव के बाद बातचीत का ऑडियो टेप सीडी सार्वजनिक कर दिया गया. इस चुनाव में विपक्ष के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि दो विधायक अनुपस्थित रहे थे. झामुमो के चिमरा लिंडा और कांग्रेस विधायक बिट्टू सिंह को पार्टी के आला नेता मतदान के दिन खोजते रहे, पर ये दोनों भूमिगत हो गए थे. ऐसी चर्चा है कि इन दोनों विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा ने मोटी राशि दी थी. इस संबंध में चुनाव आयोग ने चमरा लिंडा एवं निर्मला देवी के लिखित बयान लिए थे. इन विधायकों के लिखित बयान के आधार पर चुनाव आयोग ने इन दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्टतया दोषी माना था. चुनाव आयोग को सौंपे गए सीडी में निर्मला देवी के पति के साथ इन दोनों अधिकारियों को बातचीत करते हुए दिखाया गया. सीडी में यह साफ सुना जा सकता है कि अजय कुमार निर्मला देवी के पति योगेन्द्र साव को पुलिस अधिकारी के आवास पर जाकर मुलाकात का दबाव बना रहे हैं. साथ ही यह भी लालच देते हुए दिख रहे हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. योगेन्द्र साव पर दर्ज मामलों को उठा लेने एवं अन्य तरह के प्रलोभन भी दिए गए.

राज्यसभा चुनाव में हार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव से ठीक पहले जान-बूझकर झामुमो विधायक चमरा लिंडा, कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और बिट्टू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, ताकि तीनों वोट नहीं दे सकें. झाविमो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की थी. एडीजी अनुराग गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार एवं अन्य के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने आयोग को इससे संबंधित सीडी भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें टेलीफोन पर की गई बातचीत का ब्यौरा था. दरअसल इस चुनाव में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी की जीत बिल्कुल पक्की मानी जा रही थी. इस कारण विपक्ष ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन को इस चुनाव में उतारा था. इस चुनाव में नकवी को 29 मत एवं महेश पोद्दार के पक्ष में 26-66 मत पड़े थे और दूसरी वरीयता के आधार पर महेश पोद्दार की जीत हुई थी. चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लिये जाने के बाद राजद सुप्रीमो ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में तो हॉर्स ट्रेडिंग होता ही है. उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. राजद सुप्रीमो ने कहा कि दोषियों के खिलाफ अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होना, इस बात का संकेत है कि पूरे मामले को रफा-दफा कर देनी की साजिश रची जा रही है. वहीं इस मामले को चुनाव आयोग तक ले जाने वाले झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव मामले में मैंने जो खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था, उसे चुनाव आयोग ने अपनी जांच में सही पाया है. इस चुनाव को तत्काल रद्द करना चाहिए और उस चुनाव में जीत कर गए लोगों की सदस्यता रद्द करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल को चाहिए कि वे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दें.

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है. चुनाव आयोग के पत्र से यह साफ हो गया है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त हुई है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है. हेमंत ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग के साथ ही दोनों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की भी मांग निर्वाचन आयोग से की है.

इधर भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत अपने भाई की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता जेबी तुबीद ने कहा कि झारखंड को थैलीशाहों का अड्डा बनाने वाले हेमंत को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए. अब यह देखना है कि चुनाव आयोग के पत्र के बाद राज्य सरकार आगे क्या करती है? ■

feedback@chauthiduniya.com

गाय पर एक समग्र राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आतंकवाद के मुद्दे की बात करें, तो ये अच्छा हुआ कि अमेरिका ने एक आदमी को आतंकवादी बताया है. ये कदम पाकिस्तान के प्रति झुकाव को नहीं दिखाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झुकाव भारत की ओर है और पाकिस्तान के खिलाफ है. यह घोषणा पाकिस्तान को याद दिलाती है कि हम यह सब हमेशा के लिए नहीं ले कर चल सकते हैं. पाकिस्तान को यह संदेश समझना चाहिए. नाराज कश्मीरी युवक जो पाकिस्तान की ओर देखते हैं, उनके लिए भी ये एक संदेश है. ये संदेश बताता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी समस्या के समाधान के इस मार्ग का समर्थन नहीं करता है. बेशक हमारी सरकार को बहुत कुछ करना है. राजनयिक मोर्चे, बातचीत के मोर्चे, राजनीतिक मोर्चे पर बहुत कुछ करना होगा. इन सब में समय लगता है. हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए.

पिछले दिनों के अखबार प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की खबरों से भरे हुए थे. भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है और प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना भी महत्वपूर्ण है. दुर्भाग्य से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री का अमेरिका के नए राष्ट्रपति से मिलना हमेशा एक अच्छा विचार रहा है. लेकिन भारत के लिए चिंता के कुछ विषय हैं. जैसे, अमेरिका का आतंकवाद के प्रति व्यवहार, एच1बी वीजा आदि. कोई भी यह देख सकता है कि एच1बी वीजा पर बहुत प्रगति नहीं हुई है. मुझे नहीं लगता कि भारत को इस मामले को दबाना चाहिए. क्योंकि भारत एक ऐसा देश नहीं है, जो एच1बी वीजा पर निर्भर है. हमें नौकरी चाहिए तो उन्हें भी तकनीकी जानकारों की जरूरत है. आतंकवाद के मुद्दे की बात करें, तो ये अच्छा हुआ कि अमेरिका ने एक आदमी को आतंकवादी बताया है. ये कदम पाकिस्तान के प्रति झुकाव को नहीं दिखाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झुकाव भारत की ओर है और पाकिस्तान के खिलाफ है. यह घोषणा पाकिस्तान को याद दिलाती है कि हम यह सब हमेशा के लिए नहीं ले कर चल सकते हैं. पाकिस्तान को ये संदेश समझना चाहिए. नाराज कश्मीरी युवक जो पाकिस्तान की ओर देखते हैं, उनके लिए भी ये एक संदेश है. ये संदेश बताता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी समस्या के समाधान के इस मार्ग का समर्थन नहीं करता है. बेशक हमारी सरकार को बहुत कुछ करना है. राजनयिक मोर्चे, बातचीत के मोर्चे, राजनीतिक मोर्चे पर बहुत कुछ करना होगा. इन सब में समय लगता है. हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए.

सरकार का दूसरा बड़ा फैसला एयर इंडिया के विनिवेश से जुड़ा है. इस निर्णय से जुड़े विवरण की अनुपस्थिति में कोई भी ये टिप्पणी नहीं कर सकता है कि यह अच्छा फैसला है या बुरा. सबसे पहले, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय यूपीए ने किया था. ये गलत सलाह पर आधारित फैसला था. लुफ्थांसा, स्विस एयर, ब्रिटिश एयरवेज आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली एयर इंडिया एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन थी. जबकि इंडियन एयरलाइंस का भारत में तब तक एकाधिकार था, जब तक सरकार ने निजी एयरलाइंस को आने की इजाजत नहीं दी. इंडियन एयरलाइंस का प्रदर्शन खराब नहीं था. प्रतिस्पर्धा के बावजूद, इसने बड़ी संख्या में उड़ानों और कामकाजी संस्कृति (वर्क कल्चर) के कारण अपनी जमीन बना ली थी. एयर इंडिया इस वजह से कमजोर पड़ गई, क्योंकि यहां बहुत अधिक स्टाफ थे और बहुत कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता थी. इसके अलावा, यह अफवाह थी कि यूपीए सरकार ने एयर इंडिया को अपनी चुकौती क्षमता से काफी अधिक विमान खरीदने की अनुमति दी थी. यूपीए सरकार ने कुछ मार्ग विदेशी एयरलाइंस को सौंप दिए, खासकर एमिरेट्स को. यह निर्णय बहुत टिकी था. सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए. उसे ऐसे वाणिज्यिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, जो उनके स्वयं के उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दे. लेकिन जो कुछ किया गया है, उसके बारे में वे हमें नहीं बताते. नागरिक उड्डयन मंत्रालय को क्या पता चला, वे हमें नहीं बताएंगे. वे अचानक कहते हैं, कर्ज इतना है कि हमें इसे बेचना चाहिए. जनता को पता होना चाहिए कि सही आंकड़ा क्या है. ब्याज मूल्यह्रास और कर से पहले एयर इंडिया की वार्षिक कमाई क्या है. इसे ईबीआईडीटीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) कहा जाता है. यदि वह सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी पैसा बना रहे हैं. फिर पूंजी पुनर्रचना की क्या आवश्यकता है? यह कहना कि एयर इंडिया का कर्ज 56 हजार करोड़ है, तो यह किसका है. यह सरकार का पैसा है. किसी उद्यम की देखभाल करने का तरीका यह है कि यदि वो पैसा कमा सकता है, तो उसे बनाए रखना चाहिए. अगर ईबीआईडीटीए नकारात्मक है, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है.

अब निजीकरण का सवाल आता है. इसे कौन खरीदेगा? निजी क्षेत्र सरकार नहीं है. वे केवल लाभ के लिए चीजें खरीदते हैं. यह कहना मूर्खता है कि हम इसका विनिवेश करेंगे. कौन इसे खरीदेगा? जब तक आप ऋण में कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक कौन खरीदेगा. पहले तो आप इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम बनाएं, इससे पहले कि आप खरीदार खोजने की कोशिश करें. बेशक सरकार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं. उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए. लेकिन सिर्फ मीडिया में एयर इंडिया को बेचने की घोषणा करने से एयर इंडिया के कर्मचारियों को दिक्कत आएगी. इसका एयरलाइंस पर हानिकारक असर होगा. उन्हें अपना होमवर्क कर के आना चाहिए और एक कार्य योजना लाना चाहिए.

फिर सवाल है गायों का. अच्छी बात ये है कि जहां तक देश की नीतियों का सम्बंध है, एनडीए सरकार, यूपीए से अलग नहीं है. ये अच्छा है, क्योंकि हमने 70 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है. चाहे जो भी प्रचार किया जाए या बीजेपी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन वे असहमत नहीं हो सकते. मनरेगा, आधार आदि यूपीए की नीतियां थीं. मौजूदा सरकार उसी पर चल रही हैं. अब गाय है. गाय के लिए राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है. मौजूदा नीति पर्याप्त नहीं है. वास्तव में कृषि संकट इतना है कि ऋण छूट देने के बाद भी आत्महत्याएं होती हैं. क्योंकि कृषि अलाभकारी हो गई है. ऋण माफी समाधान नहीं है. समाधान ये है कि कैसे उनकी आय बढ़ाई जाए. देश में पर्याप्त संख्या में किसान गाय और भैंस रखते हैं और दूध बेच कर कमाते हैं. जब फसलों की कीमत कम हो जाती है, तो दूध की बिक्री से मिला पैसा उनके काम आता है. यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है. अब यह गाय के मुद्दे से जुड़ा है. इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं. किसान कहता है कि हम गाय का इस्तेमाल करते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो हम इसे बेच देते हैं. स्वाभाविक रूप से ये गायें पशु वधशाला में चली जाती हैं, जहां से बीफ़ निर्यात होता है. अब आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसा कि प्रतीत होता है. किसान को उसे एक व्यापारी को बेचना होगा, जो उसे 10 से 20 हजार रुपए दे रहा है. आप किसान को और अधिक तनाव दे रहे हैं.

एक समग्र राष्ट्रीय नीति को समझना चाहिए. निश्चित तौर कोई ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए, जो गाय को हमेशा के लिए जीवित रहने की अनुमति दे. इंसान मर जाता है, गाय भी मर जाती है. भारत बीफ निर्यात में सबसे बड़ा देश है. अगर यह गाय का बीफ नहीं है, तो यह भैंस का मांस (बीफ) होगा. लेकिन एक बार जब आप कथित गोरक्षकों को हस्तक्षेप करने की इजाजत दे देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार सकता है. ट्रक रोक सकता है. ऐसे तो हम एक अंधकारमय समय की ओर बढ़ रहे हैं. देश कानून का पालन करने वाले लोकतंत्र की अपनी छवि को खो देगा. इसके बाद आप कैसे उम्मीद करेंगे कि अमेरिका और पश्चिमी देश आपके साथ व्यापार करें. या तो आप एक तीसरी दुनिया, अंधकारवादी, अंधविश्वासी, धार्मिक देश हैं या आप एक आधुनिक, वैज्ञानिक, आगे देखने वाला लोकतंत्र हैं. चुनाव आपको करना है.

ये लोग सोचते हैं कि वे मोदी के समर्थक हैं, मैं उनकी दुर्दशा समझता हूं. आरएसएस और वीएचपी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन उन्हें भी विकसित होना है. आरएसएस आज ऐसा नहीं है, जो 30 साल पहले था. मैं इन लोगों को जानता हूं. विश्व हिंदू परिषद ने एक बार राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था. क्या आज वह ऐसा कर सकता है? नहीं. समय बदलने के साथ चीजों को बदलना होता है. सरकार को एक समिति की स्थापना करनी चाहिए या इसे नीति आयोग को देना चाहिए. सरकार को गाय, दूध और कृषि संकट पर स्पष्ट नीति के साथ आना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उनके (सरकार) पास करने को बहुत कुछ है. योजना आयोग समाप्त किया जा चुका है. सरकार को अपना दिमाग लगाना चाहिए. वे ऐसे समाधान के साथ आगे आ सकते हैं, जो देश के लिए अच्छा हो. चाहे जो भी सरकार आए या जाए. एक सरकार आए और एक सरकार जाए, लोकतंत्र में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए. हमें आशा करनी चाहिए कि ऐसा कुछ होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

छद्म राष्ट्रवाद की ज़ुबान नहीं बोलने वालों की आवाज़ सुनिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

अपनी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें चल रही हैं. हमारे पास भी कई लोग कई बातें लिख कर भेजते हैं. इसे भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इस कहानी से उस आदमी की तकलीफ समझी जा सकती है. हम आपके सामने ये दो छोटी कहानियां रख रहे हैं. एक तो है कि जीएसटी के लिए क्या-क्या करना पड़ सकता है और दूसरा एक बालक और एक शिक्षक के बीच का संवाद है. हो सकता है ये संवाद आपको कुछ सीख सीख दे सके. सबसे पहले जीएसटी से जुड़ी इस कहानी को पढ़ें.

बस एक बड़ी दुकान ही तो लेनी पड़ेगी.

कुर्सी-टेबल लगा कर कंप्यूटर ही तो रखना पड़ेगा बस.

इंटरनेट का कनेक्शन और नया सॉफ्टवेयर ही तो डलवाना पड़ेगा बस.

एक समझदार सीए और क़ाबिल अकाउंटेंट ही तो रखना पड़ेगा.

7 तारीख़ तक टीडीएस के रिटर्न के अलावा 10 तारीख़, 15 तारीख़ और 20 तारीख़ को तीन और रिटर्न ही तो भरने पड़ेंगे, आपके क्रेडिटर्स और डेटर्स ने बिल्स अपलोड किए या नहीं, यही तो देखते रहना है बस.

अगर आपके क्रेता या विक्रेता से आपकी डिटेल्स मिलान नहीं होती हैं, तो उनके पीछे-पीछे घूमना ही तो है बस.

अगर आपके छोटे सप्लायर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनका जीएसटी भी आपको ही भरना है बस.

अगर कोई भूल-चूक रह गई, तो जुर्माना ही तो भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही तो जाना पड़ सकता है बस.

घर चलाने के लिए इतना नहीं कर सकते आप? धिक्कार है आपके व्यापारी होने पर!

अब ये दूसरी कहानी पढ़िए, जो एक बालक और एक शिक्षक के बीच संवाद पर आधारित है.

चिंटू – मास्टर जी, ये स्टेशन चलाने में भी बुलेट ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी चाहिए क्या? जो बेच डाले!!

मास्टर जी – अरे नहीं! स्टेशनों की हालत ख़राब है. सरकारी कर्मचारी काम तो करते नहीं, तो प्राइवेट लोगों को दे दिए हैं. वो इन्हें चमका देंगे.

चिंटू – और फिर स्टेशन में 5 रुपए के फुल्के के 50 रुपए मांगेंगे उसका क्या?

मास्टर जी – सेना के जवान सीमा पे रोज़ पाकिस्तानियों की गोलियां खा रहे हैं, किसान ख़ुद को लटका दे रहे हैं और तुम देश हित में इतना सा भी नहीं सह सकते. मल्टीप्लेक्स में भी तो दे ही रहे हो 5 के 50!

चिंटू – मास्टर जी, क़ायदे की बात करो. सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का निजीकरण होने से जो भुगत रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा क्या? लूट के अड्डे बन चुके हैं और अब रेलों के बाद स्टेशन भी. 2 करोड़ लोग रोज़ सफ़र करते हैं ट्रेनों में. ग़रीब आदमी की मौत है. ज्यूरी सिस्टम और राईट टू रिकॉल रेल मंत्री का क़ानून डाल देते तो 6 महीने में ही रेल मंत्री इन्ही स्टेशनों को इसी स्टाफ़ और इसी ख़र्चे में एयरपोर्ट जैसा बना देता.

मास्टर जी – वो तो ठीक है. पर बात हो चुकी है. मोदी साहेब ने साफ़ बोल दिया है कि ज्यूरी सिस्टम-राईट टू रिकॉल का तो नाम भी मत लो. तो फिर ऐसी हालत में तो बेचने ही पड़ेंगे न. और वैसे भी राष्ट्रवादी लोग भी इनको बेचने का समर्थन ही कर रहे हैं!!

चिंटू – अयं !! ये कौन सी क़िस्म के राष्ट्रवादी हुए?

मास्टर जी – राष्ट्रवादी की कोई दो चार क़िस्में थोड़े ही है. अपने संघी. वे मोदी साहेब के समर्थन में हैं. उनके कार्यकर्ता नए पैंट-शर्ट पहन के बेल्ट लगा कर दोनो हाथ ऊपर उठाकर बोल रहे हैं कि -- आप बेचो. हम साथ हैं. अब तुम बित्ते से आदमी क्या

राष्ट्रवादियों से ज़्यादा अक़्लमंद हो!

चिंटू – काहे के राष्ट्रवादी? इनको भी इस पंगत में जिमने को मिल रहा है, तो समर्थन कर रहे हैं. मुफ़्त में नही. राष्ट्रवाद इनके ठेंगे पर है.

मास्टर जी – संघ के कार्यकर्ताओं को इसमें क्या मिल रहा है .

चिंटू – अरे जो भी कम्पनी ठेके लेती है, तो आगे कई छोटी कम्पनियों को ठेके (सब कांट्रैक्ट) दे देती है. तो संघ के मझौले नेता ये ठेके ले लेते हैं और अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को काम दिला देते हैं. इस तरह से जब ये तरबूज़ कटता है, तो फांके सब आपस में बांटते हैं. इनके राष्ट्रवाद की जड़ यही है.

मास्टर जी – तो भी सबको इससे पैसा और काम नही मिलता है न? तो संघ के शेष सभी छोटे कार्यकर्ता क्यों इन फ़ैसलों का समर्थन करते हैं?

चिंटू – अरे जब स्थानीय स्तर पर इनके भाई साहब लोग इस सब का समर्थन कर रहे हैं, तो छोटे-छोटे कार्यकर्ता क्या खाकर इनका विरोध करेंगे? उन्हें भी आगे बढ़ना है. तो उन्हें अपने भाई साहब लोगों का वरदहस्त चाहिए. ऐसा करके सब अपने-अपने निजी हितों के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं. देशहित से इनको कोई सरोकार नहीं है. स्टेशन तो दूर की बात है, ये लोग तो शिक्षा, चिकित्सा, रेल, बीमा, रक्षा, दूरसंचार, निर्माण से लेकर मीडिया तक सभी क्षेत्र विदेशियों को बेचने का समर्थन कर रहे हैं. कृषि में भी इनको विदेशी निवेश चाहिए और जब इनसे पूछा जाता है कि ये विदेशी कंपनियां जो मुनाफ़ा कमाएंगी उसके बदले में हम डॉलर कहां से देंगे, तो ये लोग भारत माता की जय, गाय हमारी माता है, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे जुमले सुनाने लगते हैं.

मास्टर जी – मतलब! भारत माता की जय नही है क्या?

चिंटू – हां भई जय है तो ! एक विदेशी कम्पनी ने भारत में कारोबार करके 700 करोड़ रुपए कमाए. अब वो हमें ये रुपए पकड़ा कर कहेगी कि इसके बदले में 10 करोड़ डॉलर दो, तो हम उन्हें डॉलर देने की जगह कहेंगे कि भारत माता की जय है, इसलिए डॉलर-टॉलर कुछ नही मिलेगा!! यूं?

मास्टर जी – हां तो अब चाह क्या रहा तू?

चिंटू – क़ानून बनाओ कि जो भी विदेशी कम्पनी भारत में धंधा करेगी, उसे मुनाफ़े के रुपयों के एवज़ में डॉलर नही मिलेंगे. जितना वे एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही डॉलर मिलेगा. और रेल, रक्षा, दूरसंचार, कृषि, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में एफडीआइ रद्द हो. इससे भारत माता की जय होगी. नारे से नहीं होगी .

अंग्रेजी कानून प्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, न्यायिक गुलामी है, जिसे संविधान के रूप में भारतीयों पर थोपा गया है.

...संविधान हटाओ , भारत बचाओ

अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सरकार के कान में उनकी भी आवाज पहुंच पाती है, जो छद्म राष्ट्रवाद की जुबान नहीं बोलते. इन सवालों को लोगों की नजर में लाना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

शिवराज जी, किसानों को रासुका का डर दिखाकर ख़ामोश नहीं किया जा सकता है

क्या किसानों के खिलाफ सचमुच एक बड़ी साजिश हो चुकी है या हो रही है? सवाल सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाले गए एक महत्वपूर्ण शासकीय आदेश को न अखबारों में जगह मिली और न ही टेलीविजन में उसका प्रचार हुआ. उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी के पास पहुंची. शायद मध्य प्रदेश की सरकार इतनी ताकतवर है कि वह अपने किसी भी कारनामे को आसानी से छिपा सकती है. सरकार सोचती है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि देश के अखबारों और टेलीविजन को सत्ता या धन के बल पर सच्चाई छिपा सकती है. अब आपको बताते हैं कि हम यह क्यों लिख रहे हैं?

19 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश निकाला है. राजपत्रित शासनादेश, जिसमें जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी को भी शांति भंग की आशंका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं. 1 जुलाई से 3 महीने तक यह आदेश पहले चरण में प्रभावी हो गया है. आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार को यह आदेश निकालना पड़ा? वहां पर किस से शांति भंग का अंदेशा है? शांति भंग का अंदेशा सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों से है, जिन्होंने वही मांग की, जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे 2014 में किया था. उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि उनकी कर्ज माफी हो और उन्हें उनकी फसल का लागत मूल्य से 50 प्रतिशत जुड़कर भुगतान किया जाए. उनकी फसल खरीदी जाए. अब इस मांग के बदले उन्हें लाठियां और गोलियां खानी पड़ीं और जेल जाना पड़ा.

मध्य प्रदेश किसानों के लिए नया कब्रगाह बन गया है. हमने चौथी दुनिया में 1 साल पहले कई अंकों में विस्तार के साथ मध्य प्रदेश के किसानों की हालत के बारे में लिखा था. यह अनुमान लगाया था कि वहां पर आने वाले समय में किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर सकते हैं. जब हमने यह रिपोर्ट लिखी थी, तब तक न जाने कितने किसान आत्महत्या कर चुके थे. हमारे संवाददाता उन किसानों के घर पर गए. उन्होंने किसानों की आत्महत्या के कारणों को जाना, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ. इधर मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के दौरान ही कई किसानों ने आत्महत्या की है. किसानों की मांग और आत्महत्या ने उनके बीच चिंता और गुस्से की लहर पैदा कर दी है. वहां गांव–गांव में किसान न केवल उत्तेजित और क्रोधित हुआ है, बल्कि संगठित भी हुआ है. शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों के इस गुस्से को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की डंडे से दबाना चाहती है. यही कारण है कि उसने जिलाधिकारी को किसानों को बड़ी संख्या में डराने के लिए एक जुलाई से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बंदूक दिखाकर आसानी से खामोश किया जा सकता है. इसीलिए इस काले कानून को लागू करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया और इसका प्रचार देश में नहीं होने दिया.

हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि किसी पार्टी के राजनेता ने इस पर बयान क्यों नहीं दिया? मीडिया ने इस खबर को क्यों नहीं दिखाया? इसके नहीं दिखाने का कारण किसानों के प्रति विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. हालत यह है कि देश के उन हिस्सों में भी किसान आंदोलन फैल गया है, यह गुस्सा फैल गया है, जहां पर अब तक आंदोलन नहीं होता था.

हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि किसी पार्टी के राजनेता ने इस पर बयान क्यों नहीं दिया? मीडिया ने इस खबर को क्यों नहीं दिखाया? इसके नहीं दिखाने का कारण किसानों के प्रति विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. हालत यह है कि देश के उन हिस्सों में भी किसान आंदोलन फैल गया है, यह गुस्सा फैल गया है, जहां पर अब तक आंदोलन नहीं होता था. उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ और झारखंड का नाम लिया जा सकता है. यहां पर भी किसानों ने निराश होकर आत्महत्या करना शुरू कर दिया है. भारत सरकार और उसके नीति आयोग के पास समय ही नहीं है कि वह किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे, चाहे वो उनकी कर्ज की समस्या हो या फिर उनके फसल की कीमत न मिल पाने की समस्या हो. इस वजह से किसान निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं. सरकार जिस तरह से कर्ज माफी कर रही है, उसमें किसान का सचमुच कितना कर्ज माफ हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय हो सकता है. वास्तविकता यह है कि कहीं–कहीं पर किसान को ब्याज में 7 रुपए से 28 रुपए तक की छूट मिल रही है. मध्य प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे. अब इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी जुड़ गए हैं. गुजरात के किसान नेता हार्दिक पटेल का कहना है कि गुजरात में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें बड़ी संख्या पटेल समुदाय की है. इसके बावजूद प्रदेश की सरकार के कान पर न कोई जूं रेंगी और न ही केंद्र सरकार पर कोई असर हुआ. अब ऐसा लगता है कि किसान निराश हो गए हैं. उसका प्याज, टमाटर और आलू सड़ रहा है, अनाज की पूरी कीमत नहीं मिलती. उसके दरवाजे पर बैंक का नोटिस चिपक जाता है और वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आत्महत्या कर लेता है. शायद अब यह उसकी नियति बन गई है कि उसके वोट पर चुने गए विधायक और सांसद उसकी समस्याओं पर कहीं बात नहीं करते.

क्या प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे अपने मंत्रियों को इस विषय को प्राथमिकता पर लेने का कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं. जबकि होना यह चाहिए कि सरकार सबसे पहले किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे. उनका पूरा कर्ज माफ करे. किसानों के फसल की वह कीमत तय करे, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने किया था. साथ ही देश के हर ब्लॉक में वहां पर पैदा होने वाली फसल के आधार पर कोई उद्योग लगाने का फैसला करे. इसके लिए सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर वह फैसला करती है, तो खुद किसान अपने ब्लॉक में उद्योग लगा सकते हैं, बस सरकार की लालफीताशाही, घूसखोरी और भ्रष्टाचार बीच में ना आए. लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इससे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है और किसान अपने पैरों पर न केवल खड़ा होता है, बल्कि आत्मनिर्भर भी होता है. हमारा डर है कि अगर किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया, तो क्या पुलिस इसे संभाल पाएगी? मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर पहला कदम उठाया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि बाकी राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे. तो फिर अब किसान क्या करें? क्या खेतों में फसल बोना बंद कर दें और सिर्फ उतनी ही फसल पैदा करें, जितनी उसके परिवार के लिए काफी है. तब देश में वही होगा, जो मई–जून में मुंबई में हुआ था. किसानों ने दूध सहित बहुत सारे सामान मुंबई पहुंचने से रोक दिए थे, जिससे कीमत काफी बढ़ गई थी. क्या सरकार पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है? मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नीति आयोग से कहें कि वह एक किसान नीति बनाए, एक किसान आयोग बनाए, जिसका संवैधानिक दर्जा हो और जिसका सीधा संवाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से हो. अगर यह नहीं होगा तो किसान की आवाज कभी सरकार के कान तक नहीं पहुंचेगी. एक मजेदार वाकया है कि जितना कर्जा उद्योगपतियों का माफ हुआ है और जितना पैसा बैंक ने उद्योगपतियों का माफ किया है, उससे बहुत कम पैसे में किसानों का कर्ज भी माफ हो सकता है और उनके लिए उद्योग धंधों की व्यवस्था भी की जा सकती है. पर यह कितनी विडंबना है कि उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं और बैंक उनके कर्ज को माफ कर देता है. वहीं किसान दो लाख और तीन लाख रुपए के लिए अपनी जान दे देता है, फिर भी सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी है, किसानों के पक्ष में नहीं. जबकि सरकार को किसानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए. अभी समय है कि सरकार कुछ कर सकती है. सबसे पहले मध्य प्रदेश में किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वापस होना चाहिए और दूसरी सरकारों को इस तरह के कदमों से बचना चाहिए. यह बहुत अजीब बात है कि इस सरकार से किसान और व्यापारी दोनों नाराज हैं. यह नाराजगी आज सरकार नहीं समझ पा रही है, कल जब उसे समझ आए तो हो सकता है, तब तक बहुत देर हो चुकी हो.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

किसानों की दुर्दशा सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए

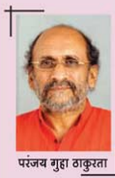

परंजय गुहा ठाकुरता

भारत के किसान इस बात से नाराज हैं कि चुनावों के दौरान उनकी आमदनी दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं किया गया. 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई, तो किसानों की आमदनी दोगुनी कर देगी, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी और काला धन वापस लाएगी. चुनावी वादों की क्या गति होती है, ये इस देश में किसी से छिपा हुआ नहीं है. लेकिन इस सरकार के वादे का अंतर ये है कि इन्होंने एक ऐसे नेता का भी सपना दिखाया, जो हर काम को पूरा करने वाला बताया गया. इसलिए अक्सर भूल जाने वाली जनता इस बार अपने उस नेता को वादों की याद दिला रही है. भाजपा पूरे देश में किसानों के गुस्से को महसूस कर रही है और किसान ये बता रहे हैं कि उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है. नोटबंदी ने भी इन समस्याओं को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों ने 10 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल की. ये पूरे देश के लिए और खास तौर पर भाजपा के लिए चैंकाने वाला था. आम तौर पर असंगठित और कुछ नहीं बोलने वाले किसान एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर सामने आकर अपनी बात रख रहे थे. हड़ताल करने वाले किसानों ने स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी. साथ ही नोटबंदी और अधिक उपज की वजह से कीमतों में आई कमी से होने वाले नुकसानों की भरपाई की मांग की. अधिक उपज की समस्या इन क्षेत्रों में दो साल के सूखे के बाद आई है. इसलिए ये आंदोलन अपेक्षाकृत बेहतर सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों महाराष्ट्र के पुणे और नाशिक और मध्य प्रदेश के उज्जैन से उभरा न कि सूखाग्रस्त मराठवाड़ा, विदर्भ, चंबल और बुंदेलखंड से. प्रकृति की मार के अलावा और भी कई समस्याओं से देश की किसानी जूझ रही है. लागत में हो रही बढ़ोतरी, उपज की कीमतों में कमी, सरकारी मदद में कमी और बाजार में बढ़ती अस्थिरता ने कृषि समस्याओं को और बढ़ा दिया है. खेतों के स्वामित्व में कमी और उत्पादकता में कमी से किसानों की आमदनी घटी है. इससे खेती घाटे का काम बन गया है. इससे छोटे और सीमांत किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर और गांवों के श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.

दोनों राज्यों में भाजपा की अगुवाई वाली सरकारें इन विरोध–प्रदर्शनों से ठीक से निपटने में नाकाम रहीं. पहले इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये विपक्ष की साजिश है. फिर ये कहा कि विरोध करने वाले असली किसान नहीं हैं. इससे आंदोलन और बढ़ा. महाराष्ट्रसरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति में हेरफेर करने की. लेकिन अंततः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झुकना पड़ा.

सरकार को छोटे व सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की कर्जमाफी, अगले सीजन के लिए तुरंत कर्ज देने, दूध की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी करने और इसका 70 फीसदी हिस्सा किसानों को देने की घोषणा करनी पड़ी. उन्होंने ये भी कहा कि वे केंद्र सरकार को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 50 फीसदी अधिक तय हो सके. ये महत्वकांक्षी घोषणाएं जमीनी स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि न तो कर्ज माफी के लिए असली जरूरतमंद किसानों की पहचान करना आसान होगा और न ही सही उत्पादन लागत निकाल पाना. साथ ही इन घोषणाओं की अपनी आर्थिक चुनौतियां भी हैं. दरअसल, ये नीतियों में बदलाव का मामला है. भाजपा ये मानती रही है कि कृषि में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए. मध्य प्रदेश में मौत की संख्या सात होने के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान सीमित कदम उठाते ही दिख रहे हैं. इनमें कर्ज पर ब्याज माफी और बातचीत का न्योता शामिल है. इससे प्रदर्शनकारी शांत होने के बजाए और मजबूती से विरोध करते दिख रहे हैं.

मूल बात ये है कि भाजपा को ग्रामीण भारत और कृषि की ओर ध्यान देने की जरूरत है. कारोबारी और शहरी लोगों के अनुकूल होने की पहचान रखने वाली भाजपा को ग्रामीण वोट जातिगत जोड़तोड़ और अर्थव्यवस्था व कृषि का कायापलट करने के वादे पर मिले हैं. यही वादे अब उसे सता रहे हैं. अभी जो संकट दिख रहा है, वो लंबे समय से सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का परिणाम है. इसके लिए सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन अभी जो मांगें उठ रही हैं, उनका सामना उसे ही करना होगा. पहले भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं का विरोध किया था. इनमें रोजगार गारंटी योजना भी शामिल है. लेकिन खुद भाजपा की सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून में जिन संशोधनों की कोशिश की और नोटबंदी का निर्णय लिया, उससे ये पता चलता है कि अब भी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाह रही है. रिजर्व बैंक ने 7 जून को जो मौद्रिक नीति जारी की, उसमें भी ये बताया गया कि कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आने की वजह से किसानों को आनन–फानन में औने–पौने कीमतों पर अपना उत्पाद बेचना पड़ा. नोटबंदी के बाद जिस तरह से नगदी का संकट गांवों, छोटे शहरों और बाजारों में हुआ, उससे कृषि उत्पादों की कीमतें घट गईं. ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दिख रहा है. आने वाले दिनों में कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज होने की आशंका है.

एक कटु तथ्य ये भी है कि महाराष्ट्र के उसी अहमदनगर जिले से इस बार किसानों की हड़ताल शुरू हुई, जहां मराठा मोर्चे की शुरुआत हुई थी. दोनों अभियानों की मांगें अलग थीं और तरीके भी अलग थे. लेकिन दोनों ने ही बहुत कम समय में गति पकड़ी. ये किसी भी सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए. एक मजबूत विपक्ष के अभाव में लोगों के बीच के बढ़ते गुस्से ने इस सरकार को काबू में रखने की कोशिश की है.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

अदालत के फ़ैसले पर क़ानून का सवाल : डीएनए पुष्टि के बाद भी कोर्ट क्यों नहीं घोषित करती पिता

...तो पिता कौन?

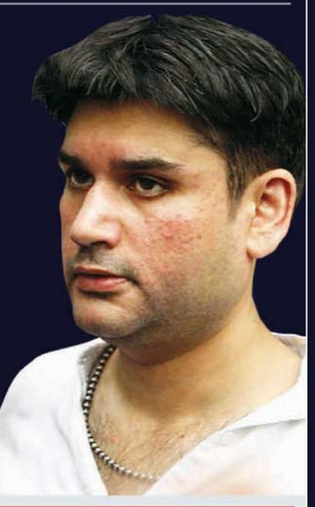

- डीएनए जांच में जैविक पिता साबित होने के बाद भी एनडी तिवारी नहीं हुए रोहित के कानूनी पिता
- कानून विवाहित व्यक्ति को देता है पिता की मान्यता, स्त्री से रिश्ता बनाने वाले पर-पुरुष को नहीं
- मुलायम नहीं हैं प्रतीक के कानूनी पिता, मुलायम और प्रतीक मामले में भी खड़ा होगा यही बखेड़ा

- समाज को संबंधों की नई परिभाषा गढ़ने की तरफ ले जा रहा है डीएनए और सरोगेसी का विज्ञान
- सरोगेसी के कमाऊ धंधे में धकेली जा रही हैं गरीब और मजबूर महिलाएं, यूपी तक फैला कारोबार
- पश्चिमी देशों में सरोगेसी पर है बैन, 'प्रजनन-पर्यटन' का केंद्र बनते जा रहे हैं भारतवर्ष के शहर

प्रभात रंजन दीन

नारायण दत्त तिवारी के जैविक पुत्र रोहित शेखर के पैतृक अधिकार को लेकर जो कानूनी पेंच फंसा हुआ है, वही पेंच आने वाले समय में मुलायम सिंह के दूसरे पुत्र प्रतीक यादव को लेकर भी फंसने वाला है. भारत का कानून सामाजिक पिता को ही कानूनी पिता मानता है. जैविक (बायोलॉजिकल) पिता को भारतीय कानून मान्यता नहीं देता. ऐसे में नारायण दत्त तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने की अदालती जिद ने कानून को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब संविधान पीठ को देना होगा और सामाजिक या बायोलॉजिकल में से किसी एक पक्ष में कानूनन खड़ा होना होगा. प्रख्यात कानूनविद्, फॉरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ, सामाजिक चिंतक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. जीके गोस्वामी ने ऐसे तकनीकी और कानूनी सवाल उठाए हैं, जिनसे देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था ही कठघरे में आ गई है.

रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी के बहुचर्चित मामले में रोहित शेखर ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर नारायण दत्त तिवारी को अपना पिता बताया था और इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी. रोहित शेखर की मां उज्जवला शर्मा 1979 में रोहित के जन्म के समय बीपी शर्मा से विवाहित थीं. दोनों का विवाह-विच्छेद वर्ष 2006 में हुआ. अदालत ने न्यायिक-सक्रियता दिखाते हुए नारायण दत्त तिवारी का जबरन डीएनए टेस्ट तो करा लिया और डीएनए टेस्ट के आधार पर नारायण दत्त तिवारी को रोहित शेखर का जैविक पिता भी साबित कर दिया. लेकिन न्यायालय नारायण दत्त तिवारी को रोहित शेखर का कानूनी पिता घोषित नहीं कर सका. यह अजीबोगरीब तथ्य है, जिसे आम नागरिकों को जानना चाहिए. आम नागरिकों ने तो यही समझा कि डीएनए (डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड) टेस्ट में जैविक पिता घोषित होने के बाद नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के पिता हो गए और उसे नारायण दत्त तिवारी का स्वाभाविक सामाजिक पैतृक अधिकार प्राप्त हो गया. नहीं... ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. डीएनए टेस्ट से केवल इतना ही हुआ कि किसी महिला की निजता भंग हुई और रोहित को यह कन्फर्म हो गया कि उसके जैविक पिता बीपी शर्मा नहीं, नारायण दत्त तिवारी हैं. इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कानूनन रोहित शेखर अभी भी बीपी शर्मा का ही बेटा है. सामाजिक नजरिए से देखें तो कोर्ट ने पितृत्व कानून को बिना सोचे-समझे नारायण दत्त तिवारी के नहीं चाहते हुए भी उनका डीएनए टेस्ट कराया और कानून और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से रोहित शेखर को अधर में लाकर छोड़ दिया.

डॉ. जीके गोस्वामी कहते हैं कि भारतीय कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 के तहत पितृत्व निर्धारण के लिए एकमात्र प्रावधान धारा-112 के अंतर्गत है. इसके अनुसार बच्चे का पिता वह व्यक्ति होगा जो बच्चे के जन्म के समय उसकी माता से कानूनी रूप से विवाहित होगा अथवा विवाह-विच्छेद के 280 दिन के अंदर बच्चे का जन्म हुआ हो. कानून ऐसा मानता है कि नियमानुसार विवाहित पति-पत्नी से जन्मे बच्चे ही वैध होंगे. कानून की यह भी परिकल्पना है कि पिता के शुक्राणु से ही बच्चा जन्मेगा. लेकिन वास्तविक जीवन में विवाहेतर संबंधों के कारण या कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत जैविक पिता (शुक्राणु दाता) एवं सामाजिक पिता अलग-अलग हो सकते हैं. वर्तमान समय में एकल पुरुष अथवा स्त्री भी कृत्रिम रूप से बच्चे को जन्म दे रहे हैं. अकेला व्यक्ति बच्चे को गोद भी ले सकता है. ऐसे में पितृत्व (पैरेंटेज) निर्धारण एक गूढ़ विषय हो गया है, जिसे बदलते सामाजिक परिवेश में पुराने कानून से संचालित करना दुर्लभ कार्य होकर रह गया है.

(शेष पृष्ठ 11 पर)

>
>
> भारतीय कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 के तहत पितृत्व निर्धारण के लिए एकमात्र प्रावधान धारा-112 के अंतर्गत है. इसके अनुसार बच्चे का पिता वह व्यक्ति होगा जो बच्चे के जन्म के समय उसकी माता से कानूनी रूप से विवाहित होगा अथवा विवाह-विच्छेद के 280 दिन के अंदर बच्चे का जन्म हुआ हो. कानून ऐसा मानता है कि नियमानुसार विवाहित पति-पत्नी से जन्मे बच्चे ही वैध होंगे.
>
> *-डॉ. जीके गोस्वामी, प्रख्यात कानूनविद्, फॉरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी*

समाज पर आफ़त की तरह टूटेगा सरोगेसी का फैशन

यह जानते हुए भी कि भारतवर्ष में पितृत्व की कानूनी मान्यता के आधार दूसरे हैं, इस देश में सरोगेसी का धंधा अंधाधुंध चल रहा है. पिता के मेडिकली अनफिट होने पर दूसरे पुरुष का शुक्राणु लेकर किराए की कोख में बच्चे विकसित किए जा रहे हैं. ऐसे लाखों बच्चे हर साल देश की धरती पर आ रहे हैं, जिनके कानूनी पिता कोई और हैं और जैविक पिता कोई और. ये बच्चे बड़े होकर पैतृक अधिकार के तहत डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उन नस्लों में कौन सी मानसिकता विकसित होगी और वह कितनी प्रतिक्रियावादी होगी, इसकी वीभत्स कल्पना की जा सकती है. भारतवर्ष अराजकताओं का देश है, इसलिए सारे धंधे यहां निर्बाध चल रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ. यूपी से लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिले हों या हरियाणा के, सब जगह 'प्रजनन-पर्यटन' बेतहाशा फल-फूल रहा है. सब तरफ आईवीएफ सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं. यूरोप अमेरिका से कई गुना सस्ते दर पर भारत में किराए की कोख (सरोगेट माताएं) उपलब्ध है. टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी पर पश्चिमी देशों में प्रतिबंध होने की वजह से भी भारतवर्ष बेहतर विकल्प बना हुआ है. इसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, कानपुर, लखनऊ के अलावा मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बेंगलुरू, गुजरात, हैदराबाद और कोलकाता के आईवीएफ सेंटर प्रजनन-पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं. दिल्ली में ही तमाम आईवीएफ केंद्र भरे पड़े हैं. अवैध रूप से चलने वाले सरोगेसी के धंधे की तो कोई गिनती नहीं है. अवैध इसलिए क्योंकि सरोगेसी की मूल कमाई डॉक्टर झटक लेते हैं और किराए की मां बनने वाली महिला को बहुत कम पैसे देते हैं. गरीब महिलाएं विवशता में इस धंधे में शामिल हो रही हैं. गरीब महिलाओं को सरोगेसी का धंधा वेश्यावृत्ति के धंधे से अच्छा और साफ-सुथरा लगता है. गरीब महिलाओं की विवशता का फायदा डॉक्टर उठा रहे हैं. जितने क्लिनिक उतना धंधा. डॉक्टर ही किराए की कोख का इंतजाम करते हैं. मोटी रकम पर डॉक्टर इसका ठेका लेते हैं. लखनऊ में कई डॉक्टरों के लिए सरोगेसी का धंधा ही उनकी कमाई का मुख्य स्रोत है. किराए की मां को फीस देने से लेकर बच्चा होने तक का ख्याल डॉक्टर और उनके गुर्गे रखते हैं. ग्राहक से किराए की मां का सीधा सम्पर्क नहीं होने देते. बच्चा पाने वाले परिवार का कोई एक व्यवित ही डॉक्टर की निगरानी में किराए की मां का बीच-बीच में हाल-चाल ले सकता है. बच्चा पाने के बाद ग्राहक उन महिला की तरफ रुख भी नहीं कर सकता. इस बात की उसे खास तौर पर हिदायत दी जाती है. किराए की मां बनने वाली महिला को नौ महीने तक बच्चा गर्भ में रखने के एवज में लाख डेढ़ लाख रुपए मिलते हैं, बाकी रकम डॉक्टर रख लेते हैं. विदेशियों के लिए यह फायदे का जरिया है, इसलिए पश्चिम यूरोपीय देशों और दक्षिण एशियाई देशों खास तौर पर जापान से लोग भारत आकर किराए की कोख से बच्चा पैदा करा कर ले जाते हैं. जानकार कहते हैं कि यह धंधा 25 अरब रुपए के सालाना कारोबार के रूप में विकसित हुआ है. भारत में सरोगेसी के इस कदर बढ़ने का मुख्य कारण इसका सस्ता और मान्य होना है. आज देश भर में कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ और सरोगेसी मुहैया कराने वाले करीब दो लाख से अधिक क्लिनिक हैं. भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है. कानून के अभाव को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने भारत में एआरटी क्लिनिकों के प्रमाणन, निरीक्षण और नियंत्रण के लिए 2005 में दिशा-निर्देश जारी किए थे. लेकिन इसे कोई मानता नहीं और बड़े पैमाने पर सरोगेट मांओं के शोषण और जबरन वसूली का धंधा बेतहाशा चल रहा है. यूपी की राजधानी लखनऊ में सरोगेसी का धंधा खूब पनपा है. अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स में सक्रिय दलाल गरीब महिलाओं को गर्भधारण के लिए पैसे का झांसा देकर चंगुल में फंसा रहे हैं. दलालों और अस्पताल के अमानुषिक रवैये से परेशान सीतापुर की एक महिला ने अभी हाल ही सरोगेसी के धंधा का भंडाफोड़ किया. महिला ने पुलिस में शिकायत की कि तेलीबाग इलाके के एक नर्सिंग होम में सरोगेसी का धंधा चलता है और वह खुद भी इस धंधे से जुड़ी थी. एक मामले में उसे दो लाख रुपए देने का झांसा दिया गया था. गर्भधारण के दरम्यान महिला के इलाज पर जो खर्च हुआ, उस पैसे को लेने के लिए अस्पताल संचालक ने महिला और उसके पति को बुरी तरह पीटा. सरोगेसी के धंधे में गरीब महिलाओं के भीषण शोषण के बावजूद देश में हर साल करीब 15 से 20 लाख बच्चे किराए की कोख से पैदा हो रहे हैं. गरीब और मजबूर महिलाओं की कोख को किराए पर लेकर सम्पन्न भारतीय और विदेशियों के लिए बच्चों को पैदा कराया जा रहा है. सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त करने की रेट भी अलग-अलग है. अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्टार अस्पतालों और सेंटरों में इसकी रेट 50 लाख रुपए तक है. सामान्य सेंटर और अस्पतालों में सेरोगेट मदर की रेट 10 से 15 लाख रुपए और लुकाछिपी से चलने वाले सेंटरों पर ग्राहक की आर्थिक औकात से रेट तय होता है. कई कॉल सेंटर्स भी इस काम में लगे हैं, जो ग्राहकों को उनके सुविधानुसार यूपी, दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य जगह सरोगेट मां और स्थानीय डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं.

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में भी 'किराये की कोख' का धंधा पसरता जा रहा है. सीमा क्षेत्र की गरीब महिलाएं इस धंधे में उतर रही हैं और धंधेबाजों के शोषण का जरिया बन रही हैं. नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपालगंज, पोखरा, बीरगंज और बिहार के रक्सौल, अररिया, किशनगंज जैसे क्षेत्र इस धंधे का केंद्र बने हुए हैं. इन स्थानों पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटक से भी लड़कियां ओवम (अंडाणु) दान करने आती हैं. ओवम को नेपालगंज और पोखरा के टेस्ट ट्यूब सेंटर में फ्रीज करके रखा जाता है. इसके बाद आईवीएफ तकनीक से नेपाली महिलाओं को गर्भधारण कराया जाता है. भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के रुपईडीहा में पकड़ी गई दो महिलाओं ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के समक्ष यह खुलासा किया है. उनसे यह भी उजागर हुआ कि किराये की कोख के कारोबार में दिल्ली और नेपाल के डॉक्टर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि दिल्ली की एक डॉक्टर ओवम डोनेट करने के लिए लड़कियों को यहां भेजती है. पोखरा के कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर इस नेटवर्क को चलाया जा रहा है. पकड़ी गई महिलाओं ने बताया कि नेपालगंज के सेंटर में उन्होंने ओवम डोनेट किया. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मूल की युवतियों का ओवम चीन, जापान और कुछ अन्य देशों में निर्यात भी किया जा रहा है और इससे खूब कमाई की जा रही है. खुफिया एजेंसियां यह भी कहती हैं कि युवतियों का अपहरण करके भी उनसे सरोगेसी का धंधा कराया जा रहा है. गुजरात की 30 साल की प्रेमिला वाघेला की मौत का मसला काफी चर्चा में आया था. वाघेला बच्चे पैदा करने के लिए स्वास्थ्य के आधार पर फिट नहीं थी, लेकिन पैसों के लिए उससे जबरदस्ती यह काम कराया जा रहा था. डिलीवरी के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी. वाघेला की मौत की छानबीन में यह बात सामने आई कि इस धंधे में लगे दलाल विदेश से आने वाले ग्राहकों को महज तीन महीने में बच्चे दिला देते हैं. दलालों के गैंग के डॉक्टरों की मिलीभगत रहती है. यहां तक कि किराए की मां की कोख में एक से ज्यादा एम्ब्रियो डाल कर ये डॉक्टर एक बार में कई बच्चे पैदा कराते हैं और एक साथ कई ग्राहकों को बच्चे बेच देते हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि किराये की कोख का अवैध धंधा तकरीबन दो अरब डॉलर का हो गया है. केंद्रीय मंत्री ने यह भी माना है कि यह धंधा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के शोषण का जरिया बन गया है और गरीब महिलाएं 'बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री' बन गई हैं. उन्होंने कहा कि किराये की कोख अंतिम विकल्प होना चाहिए. ■

...तो पिता कौन?

"समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को प्रतीक के पिता के रूप में कानून मान्यता नहीं देता. प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था, लेकिन मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन वर्ष 2003 में हुआ. पहली पत्नी के निधन के बाद ही 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी घोषित किया. 1994 में प्रतीक यादव के स्कूल फॉर्म में पिता के नाम पर एमएस यादव और पते की जगह मुलायम सिंह यादव के ऑफिस का पता दिया गया था. वर्ष 2000 में प्रतीक के अभिभावक के रूप में मुलायम का नाम दर्ज हुआ."

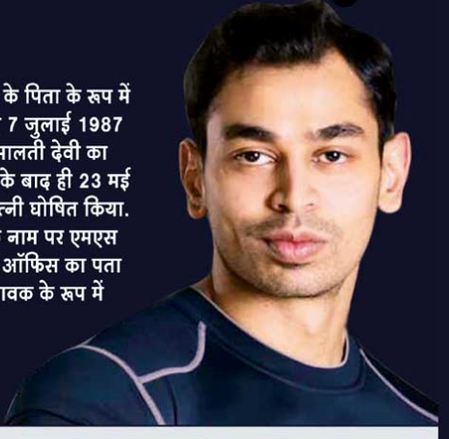

पृष्ठ 10 का शेष

दरअसल, रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी मामले ने इस बहस को नया आयाम दिया कि किसी बच्चे को अपने जैविक पिता को जानने का अधिकार है कि नहीं? लेकिन यह अधिकार माता के यौन अधिकार की निजता (प्राइवेसी) को प्रभावित करता है. चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन भी इस मुद्दे पर चुप है. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नंदलाल वासुदेव बाद्रिक बनाम लता वासुदेव बाद्रिक मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि डीएनए जैसी वैज्ञानिक खोज के बाद बच्चे के पिता का जैविक सत्यापन पुराने कानून में उल्लिखित अनुमान पर न छोड़कर सत्यता पर आधारित होना चाहिए. यह सब मानते हैं कि सत्य की जीत ही न्याय का प्रमाण होता है. लेकिन यह सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि डीएनए टेस्ट में सत्य का पता चलने के बावजूद कानून किसी बच्चे को पैतृक अधिकार क्यों नहीं दिलवा पाता? फिर शीर्ष न्यायालय ही न्याय को अधर में छोड़ कर क्यों टल जाता है? दीपन्विता रॉय बनाम रोनोब्रतो रॉय (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को इस आधार पर मंजूरी दी थी कि डीएनए टेस्ट ने उनके बच्चे को विवाहेतर संबंध से पैदा होना साबित कर दिया था. अब तो संवैधानिक न्यायालय विभिन्न वादों में डीएनए

डीएनए टेस्ट से केवल इतना ही हुआ कि किसी महिला की निजता भंग हुई और रोहित को यह कन्फर्म हो गया कि उसके जैविक पिता बीपी शर्मा नहीं, नारायण दत्त तिवारी हैं. इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कानूनन रोहित शेखर अभी भी बीपी शर्मा का ही बेटा है. सामाजिक नजरिए से देखें तो कोर्ट ने पितृत्व कानून को बिना सोचे-समझे नारायण दत्त तिवारी के नहीं चाहते हुए भी उनका डीएनए टेस्ट कराया और कानून और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से रोहित शेखर को अधर में लाकर छोड़ दिया.

टेस्ट के आधार पर न केवल पितृत्व परीक्षण को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, वरन सम्पत्ति विवादों में भी वादीगण डीएनए का सहारा लेकर धारा-112 के प्रावधानों के प्रतिकूल न्यायालय से फैसले प्राप्त कर रहे हैं. देश का पितृत्व कानून विचित्र किस्म की गैर-कानूनी गुत्थियों में फंस गया है और डीएनएट टेस्ट की इजाजत देने वाली अदालतों के पास भी इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है. डॉ. गोस्वामी का मानना है कि ऐसे बदलते सामाजिक एवं वैज्ञानिक परिवेश में बच्चे के पितृत्व परीक्षण को फिर से पारिभाषित किए जाने की आवश्यकता है.

डॉ. गोस्वामी कहते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का कानून पर प्रभाव सर्वविदित है. वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी एवं 1986 में डीएनए फिंगरप्रिंट ने बच्चे के वंशजता के अधिकार पर गहरा प्रभाव डाला. विज्ञान के चमत्कार से कृत्रिम प्रजनन तकनीक (असिस्टेड रिप्रोडक्श न टेक्नोपलॉजी) और सरोगेसी लाखों ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले कर आई, जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे. सरोगेसी का शाब्दिक अर्थ है, स्थानापन्न. यानि किसी अन्य के शुक्राणु, अंडाणु अथवा कोख से संतान की उत्पत्ति. इस विधि ने बच्चे के दो से अधिक माता-पिता संभव कर दिए जिससे माता-पिता के निर्धारण में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई. इस जटिलता को डीएनए टेस्ट की खोज ने नए आयाम दिए.

1990 के दशक में न्यायालयों में डीएनए टेस्ट के माध्यम से बच्चे के पितृत्व निर्धारण के लिए शक और संदेह की पुष्टि के लिए पतियों की ओर से याचिकाओं की बाढ़ आ गई थी. गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने पांच निर्देश जारी कर इस पर लगाम लगाई. लेकिन बाद के दौर में खुद अदालतों ने ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की. नारायण दत्त तिवारी का डीएनए टेस्ट जबरन कराया जाना भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना ही है.

...पर एनडी तिवारी रोहित के क़ानूनी पिता नहीं हैं

डीएनए टेस्ट में नारायण दत्त तिवारी के रोहित शेखर का जैविक पिता प्रमाणित होने के बावजूद वे रोहित के कानूनी पिता साबित नहीं हो सकते. रोहित के कानूनी पिता बीपी शर्मा ही रहेंगे. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर 27 जुलाई 2012 को एनडी के जैविक पिता साबित होने के बाद रोहित की मां उज्जवला शर्मा ने मई 2014 में नारायण दत्त तिवारी से बाकायदा शादी कर ली. इसके बावजूद रोहित एनडी तिवारी के कानूनी पुत्र नहीं हुए, क्योंकि रोहित के जन्म के समय बीपी शर्मा और उज्जवला पति-पत्नी थे. दोनों की शादी 1963 में हुई थी, रोहित का जन्म 1979 में हुआ और दोनों का तलाक वर्ष 2006 में हुआ. वर्ष 2007 में रोहित शेखर ने अपने जैविक पिता की आधिकारिक पुष्टि के लिए सिविल सूट के जरिए अदालत में याचिका दाखिल की थी. 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित शेखर की इस जिज्ञासा को उसका वाजिब अधिकार माना और नारायण दत्त तिवारी का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मंजूरी दे दी. एनडी के ना-नुकर करने पर अदालत ने जबरन खून का सैम्पल निकालकर उसकी जांच कराने का फरमान जारी किया और टेस्ट रिपोर्ट आने पर उसे सार्वजनिक भी कर दिया. गौतम कुंडू बनाम प. बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश की ऐसी-तैसी हो गई. हालांकि इस जरिए रोहित शेखर के जैविक पिता के बारे में तो आधिकारिक पुष्टि हो गई, लेकिन कानूनी सवाल वहीं का वहीं रह गया कि इससे क्या रोहित शेखर को कानूनी पिता के रूप में नारायण दत्त तिवारी का नाम मिल गया? क्या रोहित शेखर को पितृत्व अधिकार मिल गया? इस सवाल का जवाब 'ना' है और अदालतें इस सवाल का जवाब देने में अक्षम हैं. ■

स्कूलों में बच्चों के पहचान-पत्र पर लगेगा डीएनए चिप

जैविक पिता की पहचान जानने के अधिकार की जागरूकता समाज में इस तरह पैठ बनाती जा रही है कि अब बच्चे के पैदा होते ही उसका और उसके पिता का डीएनए मैच करा लेने की प्रक्रिया अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है. इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद बच्चों के डीएनए चिप युक्त पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था भी लागू कर दी जाएगी. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नवजात बच्चों का डीएनए टेस्ट आसान होता है. बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड पर डीएनए-चिप लगाए जाने के बारे में पूछने पर उक्त अधिकारी ने कहा कि बच्चों के डीएनए चिप में माता-पिता का नाम, स्थाई पता समेत उसके जन्म लेने का स्थान और तारीख दर्ज रहेगी. बच्चों की यह पहचान पितृत्व अधिकार को कानूनी रूप से सरल बनाने के साथ-साथ भविष्य में पासपोर्ट और मतदाता परिचय पत्र जैसी तमाम जरूरतों में कारगर तरीके से काम आएगा. इस कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम हो रहा है. देश के बड़े शहरों से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, चंडीगढ़, गुड़गांव जैसे भारत के मंझोले शहरों में भी बच्चे के पिता की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट का चलन बढ़ता जा रहा है. इन शहरों में बच्चे के जैविक पिता की जांच के लिए पैटरनिटी केंद्र खुलते जा रहे हैं. यहां पुरुष बच्चे और अपना ब्लड-सैंपल डॉक्टरों के माध्यम से दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद की प्रयोगशालाओं में भेज रहे हैं. यूपी के मंझोले शहरों के अस्पतालों में हर महीने 10 से 15 मामले पैटरनिटी टैस्ट के आ रहे हैं. दस हजार रुपए की फीस और टेस्ट के लिए तीन एमएल खून देना होता है, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आती है. नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल (एनबीएच) से सम्बद्ध कोई भी सेंटर डीएनए परीक्षण के लिए खून के नमूने ले सकता है. यदि बच्चों और पिता के नमूने मेल नहीं खाते, तो यह तलाक का आधार बन जाता है. पैटरनिटी टेस्ट बाकायदा कॉमर्शियल हो चुका है. कोई भी दम्पति अपना संशय मिटाने के लिए पैथोलाजी लैब से टेस्ट करा सकते हैं. इसके लिए कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करने की भी जरूरत नहीं रही, एनएबीएच से सम्बद्ध किसी भी लैब की रिपोर्ट को अदालत भी मान्यता देती है. ■

क्या है डीएनए टेस्ट

डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच परिवार के रिश्तों का सबूत प्रदान करता है. इस टेस्ट से रक्त संबंध और एक ही परिवार से होने का पता चलता है. एक पिता का डीएनए हमेशा अपने बच्चों के डीएनए से मैच होता है. दादा का डीएनए अपने पोते के डीएनए से मैच होता है. डीएनए टेस्ट इन कारणों से भी कराया जा रहा है:

1. **आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन)** - 'सरोगेसी' से बच्चे पैदा करने का धंधा भारत में बहुत फल-फूल रहा है. देश में प्रजनन केंद्रों की बढ़ती संख्या इसके बढ़ते धंधे का प्रमाण है. अब तो भारत प्रजनन-पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है. किसी युगल को अगर यह संदेह हो कि आईवीएफ प्रयोजन के लिए उनके वास्तविक ओवम और स्पर्म का इस्तेमाल फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं किया गया है, तो मैटरनिटी डीएनए टेस्ट या पैटरनिटी डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है.
2. **अस्पताल में बच्चे की अदला-बदली का संदेह**- अगर माता-पिता को संदेह है कि अस्पताल में उनके बच्चे की अदला-बदली हुई है, तो वह मैटरनिटी डीएनए टेस्ट या पैटरनिटी डीएनए टेस्ट के द्वारा इस आशंका को दूर कर सकते हैं.
3. **पत्नी पर विश्वास की कमी** - डीएनए पैटरनिटी टेस्ट कराने का सबसे आम कारण आपसी संदेह है. पति पैटरनिटी डीएनए टेस्ट से यह भी जानना चाहता है कि बच्चा उसका है या नहीं. कई बार यह टेस्ट परिवार के विवाद को सुलझाने के लिए और संदेह के आधार पर तलाक आने की स्थिति को रोक लेता है तो कई बार यह टेस्ट निर्णायक विभाजन करा देता है.
4. **विरासत साबित करने के मामले में** - विरासत साबित करने के कई मामलों में भी डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ती है.
5. **आव्रजन (इमीग्रेशन) के संदर्भ में** - स्थाई निवास या नागरिकता देने से पहले प्राथमिक आवेदक और उनके परिवार के बीच के संबंध को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है.

प्रतीक यादव के सामने भी आएगा पितृत्व क़ानून का रोड़ा

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के समक्ष भी पितृत्व अधिकार का कानूनी संकट खड़ा होने वाला है. समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को प्रतीक के पिता के रूप में कानून मान्यता नहीं देता. प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था, लेकिन मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन वर्ष 2003 में हुआ. पहली पत्नी के निधन के बाद ही 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी घोषित किया. 1994 में प्रतीक यादव के स्कूल फॉर्म में पिता के नाम पर एमएस यादव और पते की जगह मुलायम सिंह यादव के ऑफिस का पता दिया गया था. वर्ष 2000 में प्रतीक के अभिभावक के रूप में मुलायम का नाम दर्ज हुआ. साधना गुप्ता इटावा के बिधुना तहसील की रहने वाली हैं. 4 जुलाई 1986 को साधना गुप्ता की शादी फर्रुखाबाद के चंद्रप्रकाश गुप्ता से हुई थी. इनकी शादी के बाद 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ था. इसके दो साल बाद साधना और चंद्रप्रकाश अलग-अलग हो गए थे. देश में लागू पितृत्व कानून के मुताबिक प्रतीक यादव अभी भी चंद्र प्रकाश गुप्ता का ही बेटा है. गोद लेने के लिए भी चंद्र प्रकाश गुप्ता की औपचारिक सहमति अनिवार्य होगी. लिहाजा, आने वाले समय में यह मसला भी कानूनी पेंच में फंसने वाला है. ■

गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा था, (1) भारतवर्ष की अदालतें नियमित तौर पर या धड़ल्ले से किसी का डीएनए टेस्ट नहीं करा सकतीं. (2) महज सतही और शक की पुष्टि के आधार पर डीएनए टेस्ट के आवेदन की सुनवाई बिल्कुल न हो. (3) डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जाए जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा- 112 के तहत पितृत्व निर्धारण में जरूरी अड़चन खड़ी हो गई हो. (4) डीएनए टेस्ट की जांच का आदेश करने के पहले न्यायालय को यह विचार कर लेना होगा कि आदेश का परिणाम क्या होगा. ऐसा न हो कि डीएनए टेस्ट से बच्चा दोगला और मां चरित्रहीन साबित हो जाए. (5) किसी को दबाव में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए उसका खून नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इन पांच दिशा-निर्देशों का किस तरह उल्लंघन हुआ, नारायण दत्त तिवारी का केस इसका सटीक उदाहरण है. नारायण दत्त तिवारी के बार-बार मना करने के बावजूद अदालत ने उन पर दबाव बनाया और यहां तक कहा था कि उनके घर जाकर जबरन उनका खून निकाल कर जांच के लिए भेजा जाए. डीएनए जांच से रोहित शेखर के जैविक पिता की पुष्टि तो हो गई, लेकिन इससे उज्जवला शर्मा की यौन-निजता भी भंग हुई और रोहित शेखर के पिता की कानूनी वैधता भी साबित नहीं हो पाई. खैर, ऐसे कई उदाहरण और हैं, जिनमें अदालतों ने शीर्ष अदालत के आदेशों को ताक पर रख कर अपना आदेश जारी किया. अदालतें पुरुषों पर डीएनए टेस्ट का दबाव देती हैं, लेकिन महिलाओं पर दबाव नहीं देतीं. इस मामले में अदालतें खुद लैंगिक भेदभाव का रवैया रखती हैं.

डॉ. जीके गोस्वामी कहते हैं कि बच्चे को उसे जन्म देने वाले के बारे में जानने का पूरा हक है, लेकिन इस जानकारी को मुहैया कराने में सामाजिक मर्यादा का धागा न टूटे, इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, अन्यथा पूरे समाज का ताना-बाना बिखर कर रह जाएगा. जन्म देने वाले के बारे में जानने का अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है और यह जानना व्यक्ति का अधिकार भी है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि पितृत्व के बारे में जानने का अधिकार एक जटिल कानूनी अवधारणा है. मूलत: संबंध और प्रजनन धर्मानुसार सिविल कानून से नियंत्रित होते हैं. वंशानुगत शुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रजनन में विवाहेतर तीसरे व्यक्ति का योगदान कानून की दृष्टि से प्रतिबंधित है. यही वजह है कि कानूनन विवाहित जोड़े के अतिरिक्त अन्य से जन्मा बच्चा अवैध कहलाता है और सामाजिक भय के कारण ही कई बार अविवाहित माताएं ऐसे नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं. समाज और कानून की नजर में ऐसे बच्चे अवैध हो जाते हैं, जबकि दार्शनिक जॉर्ज बरनार्ड शॉ का महत्वपूर्ण कथन है कि बच्चा अवैध नहीं हो सकता, बल्कि बच्चे को जन्म देने वाले माता-पिता का संबंध अवैध हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

किसानों का तीर्थ है पीपरा कोठी

यदि मुख्यमंत्री ईमानदारी से किसानों की आमदनी बढ़ाने की चिंता करते हैं, तो मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को बिहार में क्रियान्वित कराने की प्रतिबद्धता भी दिखाएं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी राशि दी जाती है. बिहार सरकार के पास वर्ष 2016-17 में 85.23 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें 31 मार्च 2017 तक 62 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च नहीं कर सकी. किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चिंता सरकार को योग से ज्यादा करनी चाहिए.

राकेश कुमार

कृषि के विकास के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता है. बिहार का तराई क्षेत्र चम्पारण दोहरी मार का शिकार होता रहा है. नेपाल से निकलने वाली नदियों का कहर हर साल किसानों के सपनों को भी बाढ़ के पानी के साथ बहाकर ले जाता है. ऐसे मे पीपरा कोठी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से चम्पारण के कृषकों में खासा उत्साह दिख रहा है. विगत 9 जून को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने बाबा रामदेव के साथ पूर्वी चम्पारण जिला के पीपरा कोठी स्थित भारतीय अनुसंधान केन्द्र में गुड़ प्रसंस्करण इकाई एवं मधुमक्खी कॉलोनी का उद्घाटन किया. मौके पर उपस्थित किसानों की महती सभा को सम्बोधित करते हुए मंत्री राधामोहन सिंह ने राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की भी जानकारी दी.

राज्य सरकार नहीं कर रही सहयोग

राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रति चिंतित हैं, दूसरी तरफ बिहार में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी नहीं होने दे रहे हैं. इस संबंध में जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो बात को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं. मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि बिहार को सूक्ष्म सिंचाई के मद में वर्ष 2014-15 में 35 करोड़ और 2015-16 में 10 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2016-17 के अंत तक 31.71 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर पाए. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्य क्रियाकलापों के लिए 2015-16 में 18.60 करोड़ रुपए निर्गत किए गए, लेकिन राज्य ने केवल 5.16 करोड़ रुपए ही खर्च किए. 2016-17 में 21.60 करोड़ रुपए निर्गत किए गए, जिसमें से 10.8 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी पिछले तीन वर्षों में जो राशि दी गई, उसमें भी 143.22 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए. एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को नकारते भी हैं. यदि मुख्यमंत्री ईमानदारी से किसानों की आमदनी बढ़ाने की चिंता करते हैं, तो मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को बिहार में क्रियान्वित कराने की प्रतिबद्धता भी दिखाएं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी राशि दी जाती है. बिहार सरकार के पास वर्ष 2016-17 में 85.23 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें 31 मार्च 2017 तक 62 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च नहीं कर सकी. किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की चिंता सरकार को योग से ज्यादा करनी चाहिए.

चम्पारण को बाबा रामदेव का तोहफा

इस मौके पर बाबा रामदेव ने भी कृषि को लाभप्रद बनाने के गुर सिखाए. बाबा रामदेव के अनुसार किसानों के लिए पशुधन बहुत महत्वपूर्ण है. गन्ना किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी मिल बन्द होने से निराश होने की जरूरत नहीं है. गुड़ प्रसंस्करण के लिए अब सस्ते में उपकरण उपलब्ध हैं. आप सभी अपने गन्ने का गुड़ तैयार करें और जितना भी गुड़ तैयार होगा, उसे पतंजलि खरीद लेगी. इससे किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होगा. वहीं बाबा रामदेव ने पूर्वी चम्पारण के मेहसी प्रक्षेत्र के लीची की भी जमकर तारीफ की. इसके साथ ही उन्होंने चम्पारण में लीची प्रसंस्करण इकाई लगाने की भी घोषणा की. बाबा रामदेव केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के आमंत्रण पर चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर तीन दिवसीय प्रवास पर मोतिहारी आए थे.

क्या है समेकित कृषि

राष्ट्रीय समेकित कृषि अनुसंधान केन्द्र देश भर के जल-जमाव वाले क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए कार्य करती है. इसमें मुख्यत: समेकित मत्स्य प्रणाली, कृषि वानिकी, कुटकुट, बतख, बकरी पालन के साथ-साथ मखाना, सिंघाड़ा तथा अन्य जलीय फसलों पर शोध कार्य किया जाता है, ताकि किसानों की आजीविका में सुधार हो सके. पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में देश का पहला शोध संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जो जल-जमाव वाले क्षेत्रों एवं खेतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का कार्य करेगी. केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और वैज्ञानिकों की नियुक्ति भी हो गई है.

अगले छह माह में प्रयोगशाला सह प्रशासनिक भवन का निर्माण भी पूरा हो जाएगा. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से खेती पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए चंद्रहिया, चिंतामनपुर, खैरीमल जमुनिया और पट्टी जसौली पंचायतों में आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि प्रणाली इकाइयों का प्रदर्शन चल रहा है. इस परियोजना के तहत जल प्रबंधन से भूमिहीन किसानों की आजीविका, खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए भी काम किया जाएगा. वहीं पूर्वी चम्पारण में मात्स्यिकी में विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन, संरक्षण और खेती की उन्नत तकनीक पर भी कार्य शुरू किया जा रहा है. इस योजना के तहत मोतिहारी की शान कहे जाने वाले मोतीझील का खर-पतवार प्रबंधन, जल संचयन, जीवों के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है. इस योजना से न केवल मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह अनोखा प्रयोग साबित होगा. वहीं भटहां करिया मन, सिरसा मन, रूलही मन और मझरिया मन में भी मात्स्यिकी विकास योजन की स्वीकृति दी गई है, जिससे वहां मछली उत्पादन और मत्स्यजीवियों की आमदनी में इजाफा हो सके.

किसानों का तीर्थ बन रहा पीपरा कोठी

चम्पारण का पीपरा कोठी 20 वीं शताब्दी में अंग्रेज निलहों के अत्याचार का केन्द्र माना जाता था। अंग्रेज निलहों की यहां कोठी थी, इसी से इसका नाम पीपरा कोठी पड गया। अंग्रेजो के अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध किसानों ने आवाज उठाई थी। महात्मा गांधी को किसानों के बुलावे पर आना पडा। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने चम्पारण से सत्याग्रह शंखनाद किया था। यह कालचक्र हीं है कि कभी पीपरा कोठी के नाम से दहशत में आ जाने वाले किसानों के लिए पीपरा कोठी कृषि का तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। केन्द्र में बडे-बडे कृषि वैज्ञानिकों का निरन्तर आना होता है। बाबा रामदेव सहित बडी संख्या में कृषि वैज्ञानिक यहां आ चुके है।

पीपरा कोठी कैसे बन रहा किसानों का तीर्थस्थल

विगत तीन वर्ष के दौरान पीपरा कोठी के कृषि विकास केन्द्र में मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र की स्थापना की गई है. इससे क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों को लाभ मिल सकेगा. वहीं दलहन की पैदावार बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के मकसद से कृषि विज्ञान केन्द्र में दलहन के उन्नत बीज उत्पादन हेतु दलहन बीज उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है. यही नहीं बांस की विभिन्न प्रजातियों को भी विकसित किया जा रहा है. बंजर और बेकार पड़ी भूमि पर भी बांस के पैदावार से किसानों को काफी लाभ मिल सकता है. कृषि विज्ञान केन्द्र में ही मिट्टी की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है. मिट्टी की जांच से किसानों को बेवजह खाद देने से मुक्ति मिल रही है. जरूरत के अनुसार सही उर्वरक देने से जहां पैदावार बढ़ेगी, वहीं खाद पर किसानों का अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़ेगा. इससे किसानों को निश्चित रूप से ज्यादा मुनाफा होगा. भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से पीपरा कोठी के कृषि विज्ञान केन्द्र में गुड़ प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है. इससे गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर निर्भरता कम होगी और उनके शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा. इससे किसान अपने गन्ने को बाजार में कृषि उत्पाद के रूप में पहुंचा सकेंगे. स्वाभाविक तौर पर इससे किसानों का मुनाफा बहुत हद तक बढ़ जाएगा. कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है मवेशी. यहां पशुओं के नस्ल सुधार के लिए पशुपालन विकास केन्द्र की भी स्थापना की गई है. हरियाणा और अन्य जगहों से यहां उन्नत नस्ल के पशुओं का सीमेन उपलब्ध कराया जा रहा है. उम्मीद है कि तीन से चार वर्षों में क्षेत्र में पशुधन में गुणात्मक वृद्धि होगी. वहीं दुग्ध उत्पादन में भी जबरदस्त वृद्धि होगी. दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी चारा विकास केन्द्र की स्थापना की गई है. यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बिहार में दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता काफी कम है, जिससे पशुपालकों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है. मशरूम बीज फार्म इकाई का कार्य भी सराहनीय रहा है. विगत तीन साल में पांच हजार से ज्यादा कृषकों को मशरूम का बीज मुहैया कराया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के कौशल विकास केन्द्र की भी स्थापना की गई है. आर्या नामक परियोजना के तहत पीपरा कोठी कृषि विज्ञान केन्द्र ने दो सौ ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. इस क्रम में अब तक 60 युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है.

पीपरा कोठी कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में ही पांच एकड़ भूमि पर मदर डेयरी का स्थापना-कार्य शुरू होने जा रहा है. जुलाई में इसका शिलान्यास होगा. शुरू में 20 हजार लीटर की क्षमता का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसका बाद मे विस्तार किया जाएगा. प्लांट लग जाने से जहां दुग्ध उत्पादकों को ज्यादा कीमत मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी शुद्ध दूध मिलेगा. यही कारण है कि पीपरा कोठी बदल रहा है और धीरे-धीरे यह किसानों के तीर्थ के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

कोसी में सजने लगी दिल्ली जाने की महफिल

संजय सोनी

लोकसभा चुनाव होने में अभी करीब दो साल का वक्त है, लेकिन कोसी की राजनीति ने अभी से करवट लेनी शुरू कर दी है. राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील कोसी के दो लोकसभा क्षेत्र सहरसा और सुपौल के लिए नेताओं ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है. इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों का मामला अलहदा है, क्योंकि यहां से पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन सांसद हैं. पप्पू यादव ने पिछला चुनाव राजद की टिकट पर जीता था और फिलहाल वे इससे निकाले जा चुके हैं. रंजीता रंजन ने कांग्रेस का दामन थाम सुपौल से जीत का परचम लहराया था. इन तीन साल में सूबे की राजनीति काफी बदली है और अब मौजूदा महागठबंधन में भी भारी दरार के संकेत मिल रहे हैं. दूसरी तरफ भाजपा 2014 की हार का हर हाल में बदला लेने को तैयार है. पार्टी से जुड़े कई महारथी अभी से दिल्ली की टिकट के लिए पसीना बहा रहे हैं. तय है कि पिछले चुनाव की तुलना में 2019 का चुनाव बिल्कुल नए सत्ता समीकरणों के घेरे में होगा. कोसी की धरती पर जो नेता इन समीकरणों को साधने में सफल होगा, वही दिल्ली का टिकट लेने में कामयाब होगा.

चंद्रशेखर | दिनेश चंद्र यादव | विश्वमोहन कुमार | किशोर कुमार मुन्ना | नीरज कुमार बबलू | संजीव कुमार झा | पप्पू यादव | रंजीता रंजन | विजेंद्र प्रसाद यादव | यदुवंश यादव

मधेपुरा व सुपौल लोकसभा क्षेत्र की जो तस्वीर 2014 के लोकसभा चुनाव में बनी थी, वह 2019 आने के पहले ही बदल गई है. जो कभी जदयू व राजद के साथ थे, वे आज भाजपा के साथ हैं, तो कोई खुद अपनी डफली बजाते नजर आ रहे हैं. भाजपा अपनी पुरानी तस्वीर बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वहीं भाजपा से छातापुर के विधायक नीरज कुमार भी 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर सियासी कसरत में जुट गए हैं. वैसे कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा के लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा से अभी जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद हैं. इनकी जीत लालू प्रसाद के राजद के टिकट व कार्यकर्ताओं के बल पर हुई थी. लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है. राजद से सांसद के रूप में निर्वाचित पप्पू यादव ने दल से निष्कासित होने के बाद न सिर्फ जाप बनाया, बल्कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सैलाब भी कोसी की धरती पर पैदा कर लिया है. वहीं सुपौल लोकसभा सीट पर सांसद पप्पू यादव की धर्मपत्नी कांग्रेस के टिकट से सदन पहुंची थीं, लेकिन फिलहाल पार्टी आचार संहिता को लेकर पति-पत्नी राजनीतिक मंच पर अकेले ही दिखाई पड़ते हैं. आम जनता को भी दल से ज्यादा अपने सांसद पर गुमान है. ये दोनों सांसद ऐसे हैं जिन्होंने आम जनता को भरोसा दिया है कि न तो उनके लिए दिल्ली दूर है और न ही अपना क्षेत्र. जब किसी को सांसद से मिलना हो वे आसानी से मिल भी लेते हैं और सांसद भी एक छोटे जनप्रतिनिधि की तरह अपने शहर व गांव की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभाते रहते हैं. इधर, इनको पटखनी देने के लिए छातापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू भी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में अभी से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं. विधायक नीरज लगातार चौथी बार सुपौल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से विधायक रहे हैं. पहले ये राधोपुर विधानसभा क्षेत्र से फरवरी 2005 व अक्टूबर 2005 में जदयू के टिकट पर दो बार विधायक बने. परिसीमन में जब राधोपुर विधानसभा खत्म होकर निर्मली विधानसभा क्षेत्र बन गया तो 2012 में छातापुर से जदयू ने टिकट दिया और ये तीसरी बार छातापुर से विधायक बने. इसके बाद नीतीश कुमार व जीतनराम मांझी प्रकरण में जब जदयू में गुटबंदी शुरू हुई तब उन्होंने पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह के गुट में जाकर उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया. इस बीच पार्टी से निष्कासित होने के बाद वे भाजपा के साथ चले गए और चौथी बार 2015 में ये छातापुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े और जीते भी.

पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव की भी नज़र अपनी पुरानी सीट पर है, लेकिन उम्मीद है कि पार्टी उन्हें खगड़िया से ही लड़ाना बेहतर समझेगी. मधेपुरा के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी यह ऐलान कर रखा है कि अगर शहर सहरसा के बंगाली बाजार स्थित रेलवे ढाला पर आरओबी का निर्माण नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं आऊंगा. अब देखना है कि आरओबी बनती है या फिर वे वोट मांगने आते हैं या नहीं.

इस वजह से नीरज कुमार न केवल कोसी में भाजपा विधायक के रूप में छा गए बल्कि अपनी गतिविधियों से पार्टी व पार्टी नेताओं के बीच भी स्वच्छ छवि बनाने में कामयाब रहे. यही वजह है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के अंदर वे अपनी दावेदारी को मजबूत मान रहे हैं. लोकसभा में अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए ही छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू सहरसा में वीर कुंवर सिंह की मूर्ति लगाने के बहाने इलाके भर से राजपूतों सहित अन्य जातियों की गोलबंदी कर देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष यह साबित कर दिया कि वे भाजपा से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नीरज कुमार को पूर्व विधायक संजीव कुमार झा व भाजपा के मनोनीत जिला अध्यक्ष नीरज कुमार गुप्ता का भी भरपूर सहयोग मिला. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव के अलावा संभावित उम्मीदवारों में छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व विधायक संजीव कुमार झा, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, 2014 के लोकसभा चुनाव में राजग के प्रत्याशी रहे विजय कुमार सिंह कुशवाहा, राजद सह महागठबंधन से मधेपुरा के विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर व जदयू से राज्यसभा सांसद शरद यादव का नाम अभी से हवा में तैर रहा है. जदयू सांसद शरद यादव को राजद के टिकट पर चुनाव लड़े पप्पू यादव ने पराजित किया था. इसके बाद बिहार में राजद, कांग्रेस व जदयू का विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना और जदयू के अंदर सांगठनिक फेरबदल भी हुआ. इसके बावजूद शायद ही 2019 लोकसभा चुनाव में राजद, जदयू व कांग्रेस का महागठबंधन बिहार में नजर आए.

वैसे राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि जाप के सांसद पप्पू यादव को भी राजग गठबंधन 2019 लोकसभा चुनाव में समर्थन दे सकता है. इसलिए भाजपा से उम्मीदवारी की दावेदारी करने वाले संभावित उम्मीदवार सहरसा नगर परिषद चुनाव के बाद नगर सरकार बनाने में सभी राजनीतिक कटुता को भुलाते हुए जदयू नेता सह पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव की पत्नी श्रीमती रेणु सिन्हा की ताजपोशी आसानी से कर दी गई. उपसभापति के पद पर भी सांसद राजेश रंजन के करीबी रहे उमेश यादव को आसानी से विजय प्राप्त हो गया. यह तिकड़म आगामी लोकसभा चुनाव में एक-दूसरे को कमजोर करने के लिए ही रचा गया. इस तिकड़म में पहले सांसद पप्पू यादव को कोसी में कमजोर करने की रणनीति बनी, फिर सांसद पप्पू यादव भी यादव कार्ड खेलने में सफल हुए. शहर के विकास एवं कई टर्म से नगर परिषद पर काबिज पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव के कुनबे को परिवर्तन की लड़ाई के बहाने पूर्व विधायक संजीव कुमार झा, विधायक नीरज कुमार बबलू, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना एवं सांसद रंजन ने अलग-अलग रहते हुए भी एक साथ लड़ने का प्रयास किया. लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में एक-दूसरे से कमजोर साबित न हो जाएं, इसका भी ख्याल रखा गया. यही वजह है कि इस लड़ाई में विरोध का कुनबा बिखर गया और पूर्व विधायक संजीव कुमार झा विरोध का झंडा लेकर अकेले मैदान में डटे रहे. कहने का मतलब यह है कि सारा तिकड़म 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही रचा गया, ताकि नगर सरकार बनाने का क्रेडिट किसी को अकेले ही न मिल जाए. इसके चक्कर में कोसी में राजनीति के माहिर समझे जाने वाले पूर्व मंत्री सह सिमरी बख्तियारपुर के जदयू विधायक दिनेश चन्द्र यादव को न चाहते हुए भी क्रेडिट मिल गया. खैर, अभी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद शरद यादव का मधेपुरा लोकसभा से मोहभंग नहीं हुआ है. यही वजह है कि पप्पू यादव से पराजित होने के बाद भी वे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अपने पुराने रिश्ते बनाए रखते हैं. अपने पुराने ठसक के साथ जदयू कार्यकर्ताओं के साथ मिलना-जुलना और सांगठनिक पदाधिकारियों के साथ बैठकबाजी आज भी उनकी दावेदारी पुख्ता करती है. अगर शरद की दावेदारी कमजोर पड़ी और सीटिंग के आधार पर महागठबंधन में राजद की चली तो प्रो. चंद्रशेखर राजद के सबसे प्रबल उम्मीदवार साबित हो सकते हैं. लेकिन प्रो. चन्द्रशेखर यादव की गतिविधि सहरसा जिले में कोई खास नहीं दिखती है, जबकि पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना भी पिछली बार मधेपुरा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. उनको मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अनुभव है और भाजपा के अंदर अभी उनका उड़नखटोला भी खूब उड़ रहा है. वैसे पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव की भी नजर अपनी पुरानी सीट पर है, लेकिन उम्मीद है कि दल उन्हें खगड़िया से ही लड़ाना बेहतर समझेगी. मधेपुरा के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी यह ऐलान कर रखा है कि अगर शहर सहरसा के बंगाली बाजार स्थित रेलवे ढाला पर आरओबी का निर्माण नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं आऊंगा. अब देखना है कि आरओबी बनती है या फिर वे वोट मांगने आते हैं या नहीं.

इधर, सुपौल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से कामेश्वर चौपाल व वर्तमान सांसद रंजीता रंजन के बीच लड़ाई का परिणाम पार्टी और आम जनता भी देख चुकी है. महागठबंधन में उठापटक हुई तो जदयू से बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव को भी मैदान में उतारा जा सकता है. जबकि भाजपा से विश्वमोहन कुमार व राजद से सुपौल राजद के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव की दावेदारी किसी से कम नहीं आंकी जा रही है. वैसे रंजीता रंजन की लड़ाई व दावेदारी मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर निर्भर है. अगर पप्पू यादव का राजग से तालमेल होता है तो सुपौल व मधेपुरा से लोकसभा सीट की तस्वीर पुरानी भी रह सकती है. जदयू के विजेन्द्र प्रसाद यादव व राजद के यदुवंश कुमार यादव दोनों की यादव बिरादरी में पैठ है. कहा जा सकता है कि सुपौल लोकसभा से महागठबंधन व राजग के संभावित उम्मीदवारों का भविष्य महागठबंधन के भविष्य पर ही निर्भर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

मठों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर विवाद

सुनील सौरभ

बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बोधगया सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, लेकिन इन दिनों विदेशी बौद्ध मठों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर विवाद पैदा हो गया है. बौद्ध मठों में होटल व रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन विदेशी बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध श्रद्धालु व भिक्षु आज सुख-सुविधाओं से लैस जीवन जी रहे हैं. विदेशी श्रद्धालु भी इन होटल में मिल रही सुविधाओं को पसंद करते हैं. इससे बोधगया के होटल व्यवसाय को काफी नुकसान हो रहा है. इससे सरकारी राजस्व की भी क्षति हो रही है. बौद्ध मठ अपने यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के संबंध में जिला प्रशासन को फॉर्म सी भरकर भी नहीं देते हैं. इन्हीं सब बातों को देखते हुए बोधगया होटल एसोसिएशन व बोधगया मुखिया संघ ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. इसमें दो दर्जन से अधिक विदेशी बौद्ध मठों, बिहार सरकार के मुख्य सचिव और संबधित विभाग के उच्चाधिकारियों समेत गया के जिला पदाधिकारी को भी पार्टी बनाया गया है.

बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने एक वर्ष पूर्व 1 जुलाई 2016 को गया के जिला पदाधिकारी को विदेशी बौद्ध मठों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद बौद्ध मठों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. बौद्ध मठों द्वारा किसी सरकारी जांच एजेंसी को भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. कागजात मांगने पर कहा जाता है कि संबंधित देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावास से कागजात मांगा जाए. लेकिन अब जिला प्रशासन ने बौद्ध मठों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है. बौद्ध गया स्थित सभी 55 बौद्ध मठों को नोटिस जारी कर पूरी जानकारी मांगी गई है. इसमें सहयोग नहीं करने वाले बौद्ध मठों पर नियम के तहत शिकंजा कसने की तैयारी की गई है. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार और बोधगया मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश यादव ने याचिका में बौद्ध मठों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी, बौद्ध मठों के व्यावसायिक उपयोग और पर्यटकों का सही ब्योरा नहीं रखने जैसे नियमों की अवहेलना करने की बात कही है. हाईकोर्ट ने बौद्ध मठों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. इस संबंध में बोधगया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि 10 ऐसे बौद्ध मठ हैं, जो परवाना की जमीन पर बने हैं, जबकि 10 से अधिक बौद्ध मठ अनधिकृत ढग से बनाए गए हैं. जिला पदाधिकारी ने ऐसे मठों को चिन्हित करने का आदेश जारी किया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि बौद्ध मठ अपने परिसर में अवैध तरीके से होटल और अतिथिशाला चला रहे हैं, जिसका असर स्थानीय होटल कारोबारियों पर पड़ रहा है. बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने बताया कि नियमानुसार मठों को अधिकतम 10 कमरे बनाने की इजाजत है, लेकिन विदेशी बौद्ध मठों ने सौ से अधिक कमरे बना रखे हैं. इनमें होटल, रिसॉर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. ऐसे में पर्यटक उनके मठों में ठहरना पसंद करते हैं और बोधगया में होटल कारोबार ठप हो रहा है। वहीं धर्म की आड़ में ये मठ सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है. ऐसे कई मठ हैं, जिन्होंने नियम कानून को धत्ता बताते हुए निर्माण कार्य कर लिया है. एक अन्य होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी बौद्ध मंदिरों या मठों में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जहां भी इन मठों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, वहां जरूर कार्रवाई होनी चाहिए.

हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. अब फार्म सी भरकर विदेशियों को ब्योरा नहीं देने वाले बौद्ध मठ, होटल संचालक तथा निजी मकान मालिकों की जांच शुरू कर दी गई है. 20 जून 2017 को पुलिस ने बोधगया के भागलपुर गांव के एक मकान मालिक जितेन्द्र सिंह पर विदेशी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. उसने अपने मकान में एक जापानी महिला को ठहरा रखा था, लेकिन इसकी सूचना फॉर्म सी के माध्यम से नहीं दी थी. इसके बाद से बोधगया के होटल व मठ संचालकों में हड़कंप मचा है. अब सभी लोगों की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है.■

feedback@chauthiduniya.com

मजबूत दिमाग के साथ चाहिए मजबूत शरीर...
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Dr. PRABHASH KR.
MBBS, MS-ORTHO
आन्या हॉस्पीटल एवं ट्रामा सेन्टर, रौजा रोड, सासाराम | सदर अस्पताल, सासाराम (ऑर्थोपेडिक्स)
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeptidase Tab
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
सासाराम सदर अस्पताल में कार्यरत एवं आन्या हॉस्पीटल एवं ट्रामा सेन्टर से संबंध रखने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभाश कुमार से बातचीत के दरम्यान आज के वर्किंग स्टाइल पर चर्चा हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि आप तभी स्वस्थ हैं जब आपका दिमाग के साथ-साथ शरीर भी स्वस्थ्य हो जिसके लिए जरूरी है कि भगवान के द्वारा प्रदत इस शरीर पर आप ध्यान दें जितना जरूरी है स्वस्थ्य दिमाग उतना ही जरूरी है स्वस्थ्य शरीर उसके लिए जरूरी है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में रूपया पैसा उपार्जन से वक्त निकालकर अपने शरीर को सुडौल और सुगठित बनाने के लिए कार्य करें अर्थात बैलेन्स डायट के साथ-साथ सुबह कि मॉर्निंग वाक,योगाभ्यास व जिम वर्कआउट को अवश्य शामिल करें। हालाकि शारीरिक स्ट्रक्चर मजबूत रखने के लिए बच्चे को मां के गर्भ से ही आयरन कैलशीयम आदि दिया जाता है उसके बाद बच्चे के भोजन में भी प्रोटीन कैलशीयम आयरन, आदि का ख्याल रखा जाता है कि बच्चे को बैलेंस डायट मिले लेकिन पढ़ाई के वक्त ज्यादा नहीं खेल-कूद पाना और उसके बाद जॉब में आने के बाद ज्यादा समय बैठे रहना और खराब दिनचर्या की वजह से ही आजकल 40 के बाद लोगों के शरीर में दर्द मोच, पीठ दर्द गर्दन में दर्द, कमर में दर्द जोड़ों में दर्द आदि समस्या देखी जा रही है। कमर में दर्द की मुख्य वजह हड्डी के बीच डिस्क में गैप होना या नष्ट होना है। अन्य वजहों में पुरानी चोट, या शरीर में मिनरल का पुरा नहीं मिलना अर्थात डिमिनिरलाइजेशन है। इसके अलावा अन्य कारणों में यूरिक एसिड का बढ़ जाना भी है डॉ. प्रभाश ने बताया कि ज्यादातर इस तरह के केस भी देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। जैसे मछली, दाल, चना दाल आदि तथा ऐसे मरीजों को झुककर वेट नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां आने पर लोगों को एक कुशल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स से सलाह लेनी चाहिए। डॉ. प्रभास ने मोटापे से भी बचने के सलाह दी क्योंकि ओवर वेट के कारण हड्डीयों पर असर पड़ता है। डॉक्टर प्रभास ने बताया कि हप्ते में कम से कम चार-पांच दिन सुबह में लगभग चार किलोमीटर पैदल तो अवश्य चलना चाहिए. साथ ही कैलसियम युक्त भोजन तो अवश्य लेना चाहिए. दुध, सोयाबिन और मछली का सेवन तो अवश्य करना चाहिए■ भारती
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

तीन साल में चले ढाई कोस

अनंत विजय

साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में बदलाव की आहट सुनाई दी थी. आजादी के बाद पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपी थी. बहुमत के अलावा एक और बात जिसको रेखांकित किया जाना आवश्यक है, वो ये कि इस सरकार को बौद्धिक समर्थन के लिए वामपंथियों की आवश्यकता नहीं थी. केंद्र में बनी नई सरकार का वैचारिक धरातल भी कांग्रेस से अलग था. आजादी के बाद से कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े संस्थानों पर वामपंथ की तरफ झुकी विचारधारा लेखकों, कलाकारों आदि का बोलबाला था. 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये तय हो गया था कि इन संस्थाओं में भी बदलाव होंगे, हुए भी. लेकिन जिस तरह का बदलाव अपेक्षित था, वो सरकार बनने के तीन साल बाद भी हो नहीं पाया है. सरकार पर आरोप लगे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को चुन-चुन कर इन संस्थाओं की कमान सौंप रही है. यहां ये याद दिलाना आवश्यक है कि जब गजेन्द्र चौहान को फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का चेयरमैन नामित किया गया, तो खासा हो-हल्ला मचा था. गजेन्द्र चौहान की योग्यता पर सवाल उठाए गए. वामपंथी मित्रों से योग्यता के आधार पर नियुक्ति की बात सुनना बहुत ही हास्यास्पद लगता है. उन्होंने हमेशा से योग्यता पर प्रतिबद्धता को तरजीह दी है. अपनी विचारधारा में दीक्षित होने वालों को पहले वो सहेजते थे. बहुधा अपने प्रतिबद्ध लेखकों को बड़ा बनाने का सारा

नरेंद्र मोदी की सरकार पर दूसरा बड़ा आरोप, जो वामपंथियों का है, वो है पाठ्यपुस्तकों आदि में बदलाव करने की योजना पर काम करने का. उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार की मंशा देश के इतिहास को बदलने की है. इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर विवाद उठाने की कोशिश लगातार की जाती रही है. सवाल वही है कि अगर इतिहास लेखन में एक पक्ष रेखांकित होने से रह गया, तो क्या उसको देश के इतिहास में जगह देने की कोशिश करना गलत है. क्या भारतीय चिंतन पद्धति से इतिहास लेखन में कोई बुराई है. सरकार पर इतिहास के भगवाकरण का आरोप लगाने वाले इन मित्रों को पश्चिम बंगाल सरकार के वर्षों पूर्व जारी एक प्रपत्र को देखना चाहिए.

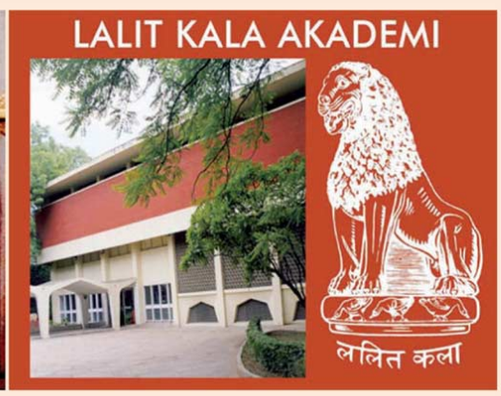

उपक्रम करने के बाद फिर नियुक्ति आदि करते रहे थे. पहले किसी लेखक को चुनते थे और उसको पुरस्कार, सम्मान आदि देकर बड़ा बना देते थे और फिर किसी संस्थान को उनके जिम्मे सौंप देते थे. ये इतने योजनाबद्ध तरीके से होता था ताकि लगे कि सरकार ने प्रतिबद्धता को नहीं बल्कि प्रतिभा को जगह दी है. लेकिन ये कोई नियम नहीं था. कई बार तो मनमाने तरीके से भी नियुक्तियां कर दी जाती थीं. यहां ये स्मरण करना उचित होगा कि मार्च 2009 में सुरभि बनर्जी को कोलकाता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया गया था. उस वक्त सुरभि बनर्जी जी की ज्ञात योग्यता इतनी ही थी कि उन्होंने ज्योति बसु की जीवनी लिखी थी. तब किसी कोने अंतरे से इस नियुक्ति को लेकर आवाज नहीं उठी थी. तब योग्यता आदि के बारे में भी सवाल नहीं उठे थे. ना ही सरकार पर किसी तरह का कोई आरोप लगा था. ये तो एक उदाहरण है, इस तरह की ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई होंगी.

नरेंद्र मोदी की सरकार पर दूसरा बड़ा आरोप, जो वामपंथियों का है, वो है पाठ्यपुस्तकों आदि में बदलाव करने की योजना पर काम करने का. उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार की मंशा देश के इतिहास को बदलने की है. इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर विवाद उठाने की कोशिश लगातार की जाती रही है. सवाल वही है कि अगर इतिहास लेखन में एक पक्ष रेखांकित होने से रह गया, तो क्या उसको देश के इतिहास में जगह देने की कोशिश करना गलत है. क्या भारतीय चिंतन पद्धति से इतिहास लेखन में कोई बुराई है. सरकार पर इतिहास के भगवाकरण का आरोप लगाने वाले इन मित्रों को पश्चिम बंगाल सरकार के वर्षों पूर्व जारी एक प्रपत्र को देखना चाहिए. पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 अप्रैल 1989 को अपने पत्रांक एसवाईएल/89/1 के द्वारा राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया था. उस निर्देश में लिखा था- मुस्लिम काल की कोई आलोचना या निंदा नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम शासकों और आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र कभी नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही ये आदेश भी दिया गया था कि इतिहास की पुस्तकों से क्या-क्या हटाना है. क्या ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस समय पश्चिम बंगाल में किस विचारधारा या पार्टी की सरकार थी. अब अगर पूर्व में इतिहास के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की गई हो, तो इतिहास का पुनर्लेखन करने की योजना बनाना कैसे गलत हो सकता है.

अब अगर हम इन आरोपों से इतर हटकर पिछले तीन सालों में साहित्यक और सांस्कृतिक संस्थाओं के काम-काज पर नजर डालें, तो बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता है. साहित्य अकादमी में तो चुने हुए अध्यक्ष होते हैं. वहां किसी तरह के बदलाव की ज्यादा गुंजाइश है नहीं. जो भी बदलाव वहां देखने को मिल सकते हैं वो अगले साल होने वाले सामान्य परिषद के चुनाव में ही देखने को मिल सकते हैं. ललित कला अकादमी में काफी दिनों तक विवाद आदि चला. नई सरकार आने के बाद बर्खास्त किए गए विवादित सचिव सुधाकर शर्मा की बहाली और फिर उनको हटाए जाने को लेकर संस्कृति मंत्रालय भी विवादों के घेरे में आया. ललित कला अकादमी इतनी विवादित हो चुकी थी कि जब उसका नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में लिया, तो ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ. हर बात को अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे से जोड़कर देखने वाले और सांस्कृतिक संगठनों पर भगवा झंडा फहराने का आरोप जड़ने वाले बयानवीर भी इस मसले पर लगभग खामोश रहे.

दरअसल, इन अकादमियों में स्वायत्तता के नाम पर जारी अराजकता को रोके जाने की सख्त आवश्यकता है. साहित्य और कला को लेकर जिस तरह के स्वायत्त संस्था की कल्पना की गई थी, उसका इमरजेंसी के बाद क्षरण हो गया. भीष्म साहनी की अगुवाई में प्रगतिशील लेखक संघ ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया. जिसके एवज में इंदिरा गांधी ने साहित्यक सांस्कृतिक संस्थाओं को कालांतर में वामपंथियों के हवाले कर दिया. उसके बाद इन संस्थाओं में पुरस्कारों से लेकर विदेश यात्राओं की रेवड़ियां अपने अपनों को बंटने लगी. अभी हाल के दिनों में ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष अशोक वाजपेयी की उस वक्त की विदेश यात्राओं को लेकर कई बातें सामने आई हैं, जिसकी भी जांच किए जाने की जरूरत है. साहित्य और कला को लेकर जिस तरह की स्वायत्तता की कल्पना इनकी स्थापना के वक्त की गई थी, उसको फिर से स्थापित करने की जरूरत है. यूपीए सरकार के दौरान इन संस्थाओं के कामकाज को लेकर एक हाई पॉवर कमेटी का गठन हुआ था. उसके पहले संसदीय कमेटी ने इन संस्थाओं के क्रियाकलापों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. इस रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया था. उस वक्त भी इन संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात तो हुई थी, लेकिन इसपर कितना काम हो पाया, ये कम से कम सार्वजनिक तो नहीं ही हो पाया है. इस सरकार के सामने अब चुनौती ये है कि नियुक्तियों से आगे जाकर इन संस्थाओं के कामकाज को ठीक करे. यहां व्याप्त गड़बड़ियों पर उंगली रखने की जरूरत है. अगर ऐसा हो पाता है, तो साहित्य-संस्कृति के लिए बड़ा काम होगा अन्यथा तो सब चल ही रहा है और चलता भी रहेगा. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

आरटीआई : कुछ ज़रूरी जानकारियां

लोगों के मन में अब भी आरटीआई को लेकर कई सवाल और कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं. उन सवालों के समाधान और आरटीआई से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम यहां सवाल जवाब की शक्ल में कुछ बातें आपको बता रहे हैं, जो निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी...

क्या मुझे सूचना मांगने की वजह बतानी होगी?

बिल्कुल नहीं. आपको अपना नाम, पता एवं फोन नंबर के अलावा कोई भी अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत नहीं है. क़ानून में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि आवेदक से संपर्क के लिए ज़रूरी जानकारी के अलावा और कोई भी जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए.

देश में बहुत से ऐसे क़ानून हैं, जिनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता. क्या ये क़ानून काम करेगा?

ये क़ानून काम कर रहा है. स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा क़ानून बना है, जो अधिकारियों की लापरवाही पर तुरंत उनकी सीधी जवाबदेही तय कर देता है. यदि संबंधित अधिकारी आपको तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके बाद सूचना आयुक्त 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगा सकता है. यदि उपलब्ध कराई गई सूचना ग़लत है, तो अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. आपके आवेदन को फालतू बताकर जमा करने और अधूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए भी जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाती है.

यदि सूचना नहीं मिलती तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपको सूचना नहीं मिली या आप सूचना से असंतुष्ट हैं, तो आप प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील डाल सकते हैं.

प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है?

हर सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद के एक अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है. सूचना न मिलने या ग़लत सूचना मिलने पर पहली अपील इसी अधिकारी के पास की जाती है.

क्या प्रथम अपील के लिए कोई फॉर्म है?

नहीं, प्रथम अपील के लिए कोई फार्म नहीं है. (लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने फॉर्म निर्धारित किए हैं). प्रथम अपील अधिकारी के पते पर आप सादे काग़ज़ पर आवेदन कर सकते हैं. इसमें आप अपने पूर्व आवेदन की एक प्रति और यदि लोक सूचना अधिकारी की ओर से आपको कोई जवाब मिला है, तो उसकी भी एक प्रति अवश्य संलग्न करें.

क्या प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क अदा करना पड़ता है?

नहीं, प्रथम अपील के लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए शुल्क निर्धारित किया है.

मैं कितने दिनों में प्रथम अपील दाख़िल कर सकता हूं?

अधूरी या गलत सूचना पाने के 30 दिनों के भीतर अथवा यदि कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, तो सूचना के अधिकार का आवेदन जमा करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दाख़िल कर सकते हैं.

यदि प्रथम अपील दाख़िल करने के बाद भी संतोषजनक सूचना न मिले तो?

यदि प्रथम अपील दाख़िल करने के बाद भी आपको सूचना न मिले या संतोषजनक सूचना न मिले, तो आप मामले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं.

दूसरी अपील क्या है?

सूचना के अधिकार क़ानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दूसरी अपील दाखिल करना अंतिम विकल्प है. दूसरी अपील आप सूचना आयोग में कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभाग के ख़िलाफ़ अपील दाख़िल करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है. सभी राज्य सरकारों के विभागों के लिए राज्यों में ही सूचना आयोग है.

दूसरी अपील के लिए क्या कोई फॉर्म सुनिश्चित है?

नहीं, दूसरी अपील दाख़िल करने के लिए कोई फॉर्म सुनिश्चित नहीं है (लेकिन दूसरी अपील के लिए कुछ राज्य सरकारों के अपने निर्धारित फार्म हैं) अपील के लिए आप केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग के पते पर साधारण काग़ज़ पर आवेदन कर सकते हैं. दूसरी अपील दाख़िल करने से पूर्व अपील के नियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ें. यदि अपील नियमों के अनुरूप नहीं होगी, तो वो ख़ारिज़ की जा सकती है. राज्य सूचना आयोग में अपील करने के पूर्व वहां के नियमों को ध्यान से पढ़ें.

दूसरी अपील के लिए मुझे कोई शुल्क अदा करना पड़ेगा?

नहीं, आपको कोई शुल्क नहीं देना है (हालांकि कुछ राज्यों ने इसके लिए शुल्क निर्धारित किया है).

मैं कितने दिनों में दूसरी अपील दाख़िल कर सकता हूं?

पहली अपील दाखिल करने के 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील का निर्णय आने की तारीख़ से 90 दिनों के अंदर आप दूसरी अपील दाख़िल कर सकते हैं.

सूचना के अधिकारों के दायरे में कौन-कौन से विभाग आते हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है. ऐसे सभी निकाय, जिनका गठन संविधान के तहत या उसके अधीन किसी नियम के तहत या सरकार की किसी अधिसूचना के तहत हुआ हो, इसके दायरे में आते हैं. साथ ही वे सभी इकाइयां, जो सरकार के स्वामित्व में हों, सरकार द्वारा नियंत्रित हों अथवा सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित हों, आरटीआई के दायरे में आती हैं.

क्या सरकारी गोपनीयता क़ानून, 1923 सूचना के अधिकार के आड़े नहीं आता?

नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 सहित किसी भी अधिनियम के ऊपर है. सूचना का अधिकार क़ानून बनने के बाद सिर्फ़ वही सूचना गोपनीय रखी जा सकती है, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 8 में की गई है. इसके अलावा किसी सूचना को किसी कानून के तहत गोपनीय नहीं कहा जा सकता.

क्या फाइल नोटिंग की प्राप्ति निषेध है?

नहीं, फाइल नोटिंग सरकारी फाइलों का एक अहम भाग है और सूचना के अधिकार कानून में इसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 31 जनवरी, 2006 के एक आदेश में भी इसे स्पष्ट किया गया है. ■

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:

rti@chauthiduniya.com

जयंती विशेष

अपनी दूरदर्शिता से भारतीय राजनीति को सही दिशा देने वाले

'किंगमेकर कामराज'

जन्मदिन- 15 जुलाई 1903
पुण्यतिथि- 2 अक्टूबर 1975

कामराज को तमिलनाडु के गांवों में शिक्षा का जनक माना जाता है. अंग्रेजों के जमाने में वहां शिक्षा सात प्रतिशत थी, जो कामराज के कार्यकाल में 37 प्रतिशत तक पहुंच गई. राजगोपालाचारी के कार्यकाल में वहां 12 हजार स्कूल थे, जो कामराज के समय में बढ़कर 27 हजार हो गए. उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई के दिन बढ़ाए, अनावश्यक छुट्टियों में कटौती की गई और पाठ्यक्रम बदले गए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि हो सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय राजनीति में 'किंग' तो बहुत हुए, लेकिन 'किंगमेकर' के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति को जाना जाता है और वे थे कुमारास्वामी कामराज. एक सुविधाविहीन बालक भी अपने जुनून के बल पर कैसे सियासत का सरताज बन सकता है, कामराज इसकी मिसाल थे. के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के एक छोटे से पिछड़े गांव विरुद पट्टी में हुआ था. उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने ग्रह-नक्षत्र देखकर कहा था कि बालक कामराज की कीर्ति सूर्य के समान चमकेगी. हालांकि उस समय की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते ज्योतिषी की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया. वे हिन्दू समाज की सबसे ज्यादा दबी हुई जातियों में से एक नादर जाति से थे. के कामराज के पिता नतन मायकार कुदुमबम्ब नारियल का धंधा करते थे और मां शिवकामी गृहिणी थीं. बालक कामराज 6 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई. उस समय कामराज ने स्कूली पढ़ाई शुरू ही की थी. कामराज की पढ़ाई चलती रहे इसलिए उनकी मां ने अपने गहने बेचकर जुटाए गए पैसे महाजन के पास रख दिए, ताकि सूद से पैसे मिलते रहें. लेकिन वे भी अपर्याप्त साबित हुए और 1914 में कामराज को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी. घर का खर्च चलाने की चिंता भी इन पर आ पड़ी, इसलिए उन खेलकूद के दिनों में ही वे अपने मामा की दूकान पर बैठकर काम करने लगे. कामराज एक सफल व्यापारी बनना चाहते थे, लेकिन नियति ने तो उन्हें किसी और क्षेत्र के लिए चुना था.

कामराज की उम्र 15 साल थी, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ. इस नरसंहार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. इसी दौरान उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के होमरूल आंदोलन के बारे में सुना. कामराज के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बैठे गुस्से को गांधी जी के विचारों ने भी एक दिशा दी और वे आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए. जाने-माने वक्ता एवं प्रखर सांसद एसएस सत्यमूर्ति उनके राजनीतिक गुरु थे. दक्षिण भारत में छुआछूत एक भयंकर बीमारी के रूप में फैली थी. गांधीजी ने अछुतोद्धार के लिए जब आंदोलन चलाया, तो कामराज गांधीजी के प्रथम सत्याग्रही बने. उसके बाद तो गांधीजी का कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो नागपुर का झंडा सत्याग्रह आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन, कामराज सभी में भाग लेते रहे. अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके बाद तो जेल जाना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया. कुल मिलाकर वे छह बार जेल भेजे गए. के कामराज को जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया, उस समय उनकी आयु 28 वर्ष थी. कामराज ने तमिलनाडु की राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़कर भाग लिया. 1934 में जब कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ा, तो कामराज ने उसमें खूब योगदान दिया. 1937 में वे विरुद नगर चुनाव क्षेत्र से भारी बहुमत से चुने गए. ये स्थान सदा से अंग्रेजों के पिट्ठुओं का गढ़ रहा था. फरवरी 1940 में वे तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर 1954 तक रहे. अगस्त 1942 में जब बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन सम्बंधी प्रस्ताव पारित किया गया, तो उस समय कामराज तमिलनाडु प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे. इस प्रस्ताव को वहां लागू कराने का दायित्व उन्हीं पर था. बम्बई में सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे. लेकिन कामराज बम्बई से मद्रास आते हुए स्टेशन से पहले ही उतर गए और अपने साथियों को आदेश देकर अगले दिन स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया. कामराज एआईसीसी की कार्यकारी समिति में 1947 से 1969 में कांग्रेस में दरार पड़ने तक एक सदस्य की तरह या विशेष आमंत्रित अतिथि की तरह थे. मद्रास विधान मंडल के लिए वे 1946 में दुबारा निर्वाचित हुए. 1946 में ही उन्हें भारत की संविधान सभा के लिए चुना गया. फिर 1952 में कामराज संसद के लिए निर्वाचित हुए.

कामराज 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने. वे सी राजगोपालाचारी को हरा कर मुख्यमंत्री बने थे. कामराज को तमिलनाडु के गांवों में शिक्षा का जनक माना जाता है. अंग्रेजों के जमाने में वहां शिक्षा सात प्रतिशत थी. कामराज के कार्यकाल में 37 प्रतिशत तक पहुंच गई. राजगोपालाचारी के कार्यकाल में वहां 12 हजार स्कूल थे, जो कामराज के समय में बढ़कर 27 हजार हो गए. उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई के दिन बढ़ाए, अनावश्यक छुट्टियों में कटौती की गई और पाठ्यक्रम बदले गए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि हो सके. कामराज ने ही स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत की. अशिक्षा खत्म करने के लिए उन्होंने कक्षा 11 तक मुफ्त अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया. उन्हीं के प्रयासों से 1959 में आइआइटी मद्रास की स्थापना हुई. कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए. उन्होंने पांच बड़े नहरों का निर्माण कराया, जिससे 150 लाख एकड़ खेतों में सिंचाई होने लगी. उन्हीं के कार्यकाल में भेल (त्रिची में), नेवेली लिइट कॉरपोरेशन और मनाली रिफाइनरी लिमिटेड की स्थापना हुई. कामराज 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे.

कामराज न तो ज्यादा पढ़े-लिखे थे, न ही संभ्रांत वर्ग से थे और न ही रूप-रंग से आकर्षक थे, लेकिन 1964 और 1966 में दो-दो बार प्रधानमंत्री के चयन में उन्होंने जिस विलक्षण बुद्धि, धैर्य, संयम और श्रेष्ठ आचरण का परिचय दिया वो बेमिसाल है. कामराज को कई लोग दक्षिण का गांधी भी कहते हैं. ये इत्तेफाक ही है कि 1975 में गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही इस महान नेता की मृत्यु हो गई. मरणोपरांत 1976 में इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया.

संगठन के स्तर पर कमजोर होती जा रही कांग्रेस को देखते हुए उन्होंने 1963 में पंडित नेहरू को सलाह दी कि मुख्य कांग्रेसी नेताओं को मंत्री पद छोड़कर संगठनात्मक कार्य करना चाहिए. इस सलाह को 'कामराज योजना' कहा जाता है. कांग्रेस कार्यकारी समिति ने इस योजना का समर्थन किया और दो महीने के भीतर ही इसे लागू कर दिया गया. इस योजना के अन्तर्गत छह मुख्यमंत्रियों और छह केंद्रीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए. अक्टूबर 1963 में कामराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया. वे अध्यक्ष पद पर थे तभी तत्कालिन प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई. नेहरू जी के बाद नया प्रधानमंत्री चुनने की बड़ी जिम्मेदारी कामराज की थी. कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कामराज को दो बार प्रधानमंत्री चुनने का अवसर मिला और दोनों बार उन्होंने तमाम सियासी चालों को मात देते हुए देश को एक मजबूत नेतृत्व दिया.

शासन और सरकार के मामले में कामराज की प्रतिबद्धता कितनी स्पष्ट थी, इसे इस प्रसंग से समझा जा सकता है- प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्रीजी के चयन की आहट पाकर इंदिरा गांधी ने कामराज को इस आशय का पत्र भेजा कि देश अभी शोक मना रहा है, 13 दिनों का राजकीय शोक है, इसलिए यह सही नहीं होगा कि अभी नेहरू का उत्तराधिकारी चुना जाए. कामराज को जब ये पत्र मिला उस समय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही थी. पत्र मिलते ही कामराज ने बैठक स्थगित कर दी. वे भांप गए कि कुछ गड़बड़ है. वे वहां से सीधे तीन मूर्ति भवन चले गए, जहां शोक में सबलोग बैठे थे. कामराज भी वहां जाकर बैठे. इंदिराजी का पत्र उनके पॉकेट में था. फिर कुछ देर बाद जब वे वहां से निकलने लगे, तो दो-तीन सीढ़ी ही उतरे होंगे कि इंदिराजी लगभग दौड़ती हुई उनके पास आईं और पूछा, आपको मेरा पत्र मिला है? उन्होंने अपना पॉकेट दिखाया और कहा कि हां मिला है. तब इंदिराजी ने पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हैं? इसपर कामराज का उत्तर था, वे आपके पिता थे, इसलिए आपके दुख का एहसास है. लेकिन हम सब आज अनाथ हैं, क्योंकि वे हमारे भी पिता थे. हम आपकी भावना और दुख की घड़ी में साथ हैं. लेकिन एक पार्टी के रूप में हमारा दायित्व है कि पंडितजी के उत्तराधिकारी का तत्काल बगैर विवाद के चयन हो, अन्यथा पूरे देश-विदेश में एक संशय और गलत संदेश जाएगा कि भारत में हो क्या रहा है? हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते. हम यह नहीं होने दे सकते हैं. इसलिए हमलोग अपने निर्णय पर आगे बढ़ रहे हैं. इसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने. 19 महीने बाद जब ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया, तो कामराज के सामने एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनने की नई चुनौती आ खड़ी हुई. फिर से पुराना गुट हरकत में आया. मोरारजी देसाई और इंदिराजी के बीच चयन होना था. ये भी चर्चा थी कि कामराज खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे. लेकिन कामराज के नेतृत्व में सिंडिकेट के नेताओं ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री वो बने, जिसकी अखिल भारतीय पहचान हो और फिर इंदिरा गांधी को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया.

कामराज न तो ज्यादा पढ़े-लिखे थे, न ही संभ्रांत वर्ग से थे और न ही रूप-रंग से आकर्षक थे, लेकिन 1964 और 1966 में दो-दो बार प्रधानमंत्री के चयन में उन्होंने जिस विलक्षण बुद्धि, धैर्य, संयम और श्रेष्ठ आचरण का परिचय दिया वो बेमिसाल है. कामराज को कई लोग दक्षिण का गांधी भी कहते हैं. ये इत्तेफाक ही है कि 1975 में गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही इस महान नेता की मृत्यु हो गई. मरणोपरांत 1976 में इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

ज़रूरी है घरेलू गंदे पानी का सदुपयोग

चौथी दुनिया ब्यूरो

हमारे घरों की साफ-सफाई, बाथरूम, किचन, सिंक, शॉवर्स और कपड़ों की धुलाई आदि से जो पानी निकलता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है. एक बार उपयोग करने के बाद हम दुबारा उस पानी को प्रयोग में नहीं लाते हैं और वो नालियों में बहता हुआ बेकार चला जाता है. उसके बाद पीने के अलावा पानी से जुड़े दूसरे कार्यों के लिए भी हम फिर से भूमिगत जल पर निर्भर हो जाते हैं. आज के समय में जिस तरह से पानी की कमी होती जा रही है और भूमिगत जल का स्तर दिन-ब-दिन और नीचे होता जा रहा है, हमें अब इसे बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए. इसके लिए हम घरेलू गंदे पानी को पुन: उपयोग में लाने का काम कर सकते हैं. हम यहां जिस घरेलू गंदे पानी की बात कर रहे हैं, उसका अभिप्राय मलमूत्र रहित उस दूषित जल से है, जो आमतौर पर किचन, साफ-सफाई और कपड़ों की धुलाई से निकलता है. ये घरेलू दूषित जल अपशिष्ट जल की अपेक्षा कम रोगजनक होते हैं. इसलिए इस जल को उपचारित करना ज्यादा आसान होता है और टॉयलेट फ्लशिंग, फसलों की सिंचाई जैसे कामों में ये पुन: उपयोगी साबित हो सकता है.

पूरी दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले 1000 एमसीएम पानी में से उपयोग के बाद करीब 800 एमसीएम पानी गंदे पानी के रूप में निकलता है. इसमें से करीब 465 एमसीएम को ही ट्रीट किया जाता है, बाकी का पानी या तो नालों के माध्यम से यमुना में पहुंच जाता है या ऐसे ही सड़कों मुहल्लों का गंदा करता है. ये पानी एक तरह से बर्बाद हो जाता है. लेकिन अगर चाहा जाय, तो इसे ट्रीट करके इसका घरेलू इस्तेमाल किया जा सकता है. घरेलू साफ-सफाई के साथ-साथ खेती-किसानी में सिंचाई के रूप में भी इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है. हाल ही में ऐसी एक अध्ययन रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें घरेलू गंदे पानी से सिंचाई पर बल दिया गया था. उत्तराखंड के जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और देहरादून के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया. इसमें ये बात सामने आई कि कृषि वानिकी में सिंचाई के लिए घरेलू दूषित जल के उपयोग से कम अवधि में तैयार होने वाली प्रजातियों के वृक्ष लगाने से एक साथ कई फायदे हो सकते हैं. ये अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि इस पहल से एक तरफ तो गंदे पानी के निपटारे में मदद मिलेगी, वहीं कृषि वानिकी में सिंचाई के लिए पानी की कमी और जैव ईंधन की कमी को भी इसके जरिए दूर किया जा सकेगा.

इस अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया था कि यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस हाइब्रिड), पॉपलर (पॉपलस डेल्टोइड्स), नग्रा (व्हाइट विलो) और बकाइन (चाइनाबेरी ट्री) के वृक्ष एक प्लाट में नियंत्रित रूप से लगाए गए. इन वृक्षों की सिंचाई के लिए समान्य साफ जल नहीं बल्कि घरेलू दूषित जल का उपयोग किया गया. इसके बाद इनकी तुलना उन पेड़ों से की गई जो सामान्य साफ जल से सिंचित किए गए थे. तुलना में ऐसा पाया गया कि घरेलू दूषित जल से सिंचित पेड़ों का जैव द्रवयमान (बायोमास) और उसकी आर्थिक उपयोगिता सामान्य साफ पानी से सिंचित पेड़ों से अधिक है. इसके आर्थिक मूल्यांकन से शोधकर्ताओं ने पाया कि ताजे पानी से सींचे गए पेड़ों की अपेक्षा घरेलू दूषित जल से सिंचित पेड़-पौधों से ज्यादा लाभ हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

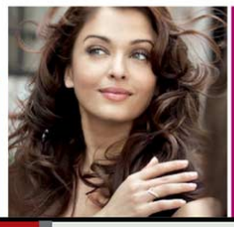

सिंगर बनने जा रही हैं ऐश्वर्या

आजकल बॉलीवुड में ज्यादातर स्टार्स खुद अपनी फिल्म में खुद गाना गाते नज़र आ रहे हैं. सलमान खान, श्रद्धा कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा के बाद अब ऐश्वर्या राय भी सिंगिंग में हाथ आजमाने वाली हैं. ऐश्वर्या राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म *फैनी खान* में नज़र आएंगी. इस म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर लीड रोल में हैं. दोनों पर्दे पर साथ नज़र आएंगे, लेकिन इन्हें बतौर कपल नहीं दिखाया जाएगा. दोनों को स्क्रीन पर साथ देखने के अलावा ऐश्वर्या फैन्स के लिए यह फिल्म एक और ख़ास चीज लेकर आ रही है. इस फिल्म में पहली बार ऐश्वर्या गाना गाने वाली हैं. रिपोर्ट की मानें तो ऐश्वर्या इस फिल्म से सिंगिंग डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म की को-प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा ने बताया कि लोग ऐश्वर्या की आवाज सुनकर हैरान रह जाएंगे.■

जुलाई में आने वाली फिल्में

जुलाई महीने में एक से बढ़कर एक फिल्मों की लाइन लगी हुई है. जुलाई के पहले सप्ताह में श्रीदेवी की *मॉम* और कार्तिक आर्यन, परेश रावल की *गेस्ट इन लंदन* रिलीज हो चुकी है. इसके अलावा इस महीने कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें *जग्गा जासूस, मुन्ना माइकल, डैडी, हसीना पारकर, मुबारकां, इंदू सरकार* और *लिपिस्टिक अंडर माई बुर्क़ा* फिल्में शामिल हैं. आइए जानते हैं इस महीने कौन सी फिल्म किस तारीख को रिलीज होने जा रही है.

14 जुलाई 2017

जग्गा जासूस

कलाकार
रणबीर कपूर और कटरीना कैफ

डायरेक्टर
अनुराग बासु

21 जुलाई 2017

मुन्ना माइकल

कलाकार
टाइगर श्रॉफ, निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन

डायरेक्टर
शब्बीर खान

डैडी

कलाकार
अर्जुन रामपाल और फ़रान अख्तर

डायरेक्टर
आशिम अहलूवालिया

28 जुलाई 2017

हसीना पारकर

कलाकार
श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर

डायरेक्टर
अपूर्वा लाखिया

मुबारकां

कलाकार
अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, इलियाना डीक्रूज और अथिया शेट्टी

डायरेक्टर
अनीज बज्मी

इंदू सरकार

कलाकार
कृति कुलहरी, नील नितिन मुकेश और अनुपम खेर

डायरेक्टर
मधुर भंडारकर

लिपिस्टिक अंडर माई बुर्क़ा

कलाकार
कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक और सुशांत सिंह

डायरेक्टर
अलंकृता श्रीवास्तव

बॉलीवुड में बायोपिक बनाने की होड़

आज के दौर में शाहरुख हों या सलमान, आमिर खान हों या रणबीर कपूर हर बिग स्टार बायोपिक को ही तरजीह दे रहे हैं. यहां तक कि सुल्तान के बाद सलमान खान भी जल्द गामा पहलवान की टीवी सीरीज लेकर आने वाले हैं. इस फेहरिस्त में नया नाम अजय देवगन का भी जुड़ गया है. ऐसी ख़बर है कि अजय देवगन बाबा रामदेव पर बन रही बायोपिक में उनकी भूमिका निभाएंगे. इस किरदार को पहले विक्रांत मेस्सी निभाने वाले थे. लेकिन किन्हीं कारणों से वे इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ पाए. अब उनकी जगह खुद अजय देवगन ने ले ली है.

प्रवीण कुमार

पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के कई स्टार अभिनेताओं ने बायोपिक फिल्मों पर ख़ासा ध्यान दिया है. वैसे तो अगर बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों पर नज़र डालें तो अच्छी ख़ासी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी. इनमें पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, दंगल, भाग मिल्खा भाग, सरबजीत, गांधी माई फादर, भगत सिंह आदि फिल्में शामिल हैं.

आज के दौर में शाहरुख हों या सलमान, आमिर खान हों या रणबीर कपूर हर बिग स्टार बायोपिक को ही तरजीह दे रहे हैं. यहां तक कि सुल्तान के बाद सलमान खान जल्द गामा पहलवान की टीवी सीरीज लेकर आने वाले हैं. इस फेहरिस्त में नया नाम अजय देवगन का भी जुड़ गया है. ऐसी ख़बर है कि अजय देवगन बाबा रामदेव पर बन रही बायोपिक में उनकी भूमिका निभाएंगे. इस किरदार को पहले विक्रांत मेस्सी निभाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ पाए. अब उनकी जगह खुद अजय देवगन ने ले ली है.

अजय फिलहाल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बादशाहो के बचे काम में बिजी हैं. इसके बाद वे बाबा रामदेव की बायोपिक की तैयारी कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बायोपिक में अभिनेत्रियों की ओर से श्रद्धा कपूर ने मोर्चा संभाला हुआ है. उनके खाते में दो फिल्में हैं. गौरतलब है कि इस साल ऐसी कई बायोपिक हैं, जो आपके लिए कास्टिंग के लिहाज से बड़ा सरप्राइज लेकर आई हैं. इसके अलावा कुछ फिल्में अगले साल आ सकती हैं.

अक्षय कुमार : अक्षय कुमार तो इस समय बॉलीवुड में ऐसे अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जो जिस फिल्म पर हाथ रख दें, वह सोना बन जाती है. आख़िर हो भी क्यों ना, वे एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में जो देते जा रहे हैं. रीमा कागती के निर्देशन में बन रही फिल्म *गोल्ड* में अक्षय कुमार को फाइनल कर लिया गया है. इस फिल्म में अक्षय हॉकी कोच बलबीर सिंह की भूमिका में नज़र आएंगे. अक्षय इसके बाद एक और बायोपिक करते नज़र आएंगे और यह बायोपिक गुलशन कुमार के जीवन पर आधारित होगी. यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी.

रणबीर कपूर : राजकुमार हिरानी के निर्देशन में रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक में टाइटल किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का नाम होगा *अनटाइटल्ड संजय दत्त बायोपिक*. यह इस साल की सबसे बहुप्रतिक्षित बायोपिक है.

श्रद्धा कपूर : भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पर बन रही बायोपिक *हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई* में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी. यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी. इसके अलावा श्रद्धा कपूर को भारतीय बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल के जीवन पर बन रही बायोपिक में भी चुना गया है. उन्होंने अभी से अपने इस किरदार की तैयारी भी शुरू कर दी है.

सोहेल खान : सलमान खान के बैनर तले बन रहे इस टीवी शो में सोहेल खान गामा पहलवान की भूमिका में दिखाई देंगे. यह पहली बार है जब सलमान खान किसी टीवी सीरीज बायोपिक का निर्माण करेंगे.

राजकुमार राव : इस वेब सीरीज में राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. वे पहली बार सुभाष चंद्र बोस की भूमिका में दिखाई देंगे. इसके साथ दर्शकों को पहली बार वेबसीरीज के तौर पर इस तरह की बायोपिक देखने को मिलेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

क्या आप जानते हैं इन भारतीय फिल्मों का इतिहास

चौथी दुनिया ब्यूरो

आज भारतीय सिनेमा को एक सदी से ज्यादा समय बीत चुका है. एक समय था जब भारतीय फिल्मों को विदेशों में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी. लेकिन आज समय बदल गया है और भारतीय सिनेमा आज जिस मुकाम पर है उसकी तारीफ ख़ुद विदेशी लोग भी करते हैं. फिल्मी दुनिया में हॉलीवुड के बाद अगर किसी फिल्मी ब्रांड का नाम आता है तो वह है सिर्फ बॉलीवुड. भारतीय सिनेमा को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बॉलीवुड के लगभग सभी नए-पुराने अभिनेता और अभिनेत्रियों का अहम योगदान रहा है. भारतीय सिनेमा की पहली फ़िल्म 1913 में *राजा हरिश्चंद्र* बनी थी. उसके बाद भी बहुत सी फ़िल्में आईं जिन्होंने कुछ-कुछ सालों में भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा दोनों बदली. आइए जानते हैं, कुछ भारतीय फिल्मों का इतिहास जो शायद कम ही लोगों को पता होगा.

1) आलम आरा

क्यूरेटर, फ़िल्म इतिहासकार और लेखक अमृत गंगर कहते हैं, हिन्दी सिनेमा की टाइम लाइन बनानी मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं हैं. रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन कुछ बातें सब जानते हैं. भारत में वो फ़िल्म जिसमें पहली बार आपको लोग बोलते हुए दिखाई दिए वो फिल्म थी *आलम आरा*. 1931 की *आलम आरा* ज़्यादातर रात में शूट होती थी, ताकि दिन में होते शोर और ट्रेन की आवाज़ ना रिकॉर्ड हो.

2) एक करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म

1943 की फ़िल्म *किस्मत* में नज़र आए अशोक कुमार और मुमताज़ शांति. बताया जाता है कि उस समय इस फिल्म की कमाई इसलिए हुई क्योंकि वो वक़्त ऐसा था. कहानी में देश भक्ति की भावना थी. ये फ़िल्म कोलकाता के एक सिनेमा घर रॉक्सी में 186 हफ़्तों तक लगी रही और ये रिकॉर्ड तोड़ा *शोले* ने. यह पहली फ़िल्म थी जिसने एक करोड़ की कमाई की. साथ ही वो पहली *लॉस्ट ऑड फाउंड* कहानी थी. 1917 में आई *लंका दहन*. मुख्य कलाकार अन्ना सालुंके ने राम और सीता दोनों के किरदार निभाए. किसी भारतीय फ़िल्म में डबल रोल की शुरुआत करने वाले सालुंके पहले भारतीय कलाकार थे.

3) भारत की पहली रंगीन फ़िल्म

अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है तो बहुत कम लोगों को ही इस बारे में पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली भारतीय रंगीन फ़िल्म अगर कोई मानी जाती है वो है *किसान कन्या*. इससे पहले कुछ कलर फ़िल्में बनी थी लेकिन वो पहली फ़िल्म थी जिस पर भारत में ही प्रयोग किया गया था. टेक्नोलॉजी का आयात हुआ. पहले फ़िल्में बाहर प्रोसेस होती थी. ये फ़िल्म मूक फ़िल्म थी. तब ना कलर रील होती थी ना लैब, तो एक-एक सीन को हाथ से कलर किया जाता था. 1961 के साथ कलर फ़िल्में लगातार आईं, जिनमें से एक है शम्मी कपूर और सायरा बानो की फिल्म *जंगली*.

4) पहली बार प्लेबैक सिंगिंग

वह फ़िल्म जिसमें पहली बार गाना गाया गया वो है *धूप छांव*. ये एक बंगाली फ़िल्म की रीमेक थी. इस फ़िल्म के पहले भी प्लेबैक में एक्सपेरीमेंट हुए लेकिन यहां था *सिस्टेमैटिक प्लेबैक*. इसका असर ऐसा हुआ कि जो सितारे पहले एक्टिंग करते और गाते भी थे उनका वक़्त ख़त्म हुआ और गायक आए.

5) पहली महिला निर्देशक

पहली महिला निर्माता-निर्देशक रहीं फ़ातमा बेगम. वो स्टेज पर भी एक्टिंग करती थीं. वो मूक फ़िल्में बनाते थीं. उनकी एक बेटी भी सुपरस्टार थी- जुबेदा. जुबेदा ही नज़र आई *आलम आरा* में. उनकी कंपनी का नाम था *फ़ातमा फिल्म कंपनी*.

6) 1930 के दशक में लिप-लॉक सीन्स

1930 के दशक की शुरुआत में फ़िल्में आईं जिनमें आपको पहली बार फ़िल्म में चुंबन देखने को मिला. एक फ़िल्म थी *मारथंडा वर्मा*. यह उस वक़्त आई भारत की पहली अंग्रेज़ी फ़िल्म थी, जिसमें देविका रानी और हिमांशु राय थे. फ़िल्म का नाम था *करमा*. इसे हिन्दी में *नागिन की रागिनी* के नाम से रिलीज़ किया गया. *करमा* पहली फ़िल्म थी जिसकी शूटिंग के लिए लोग भारत से बाहर लंदन गए. सालों बाद आई राजकपूर की *संगम* फ़िल्म भी बाहर शूट हुई.

7) पहली फ़िल्म जिसपर लगी बैन

जब यहां ब्रिटिश राज था तब उन्हें ऐसी फिल्मों से दिक्कत होती थी जो उनके खिलाफ थी. 1921 की मूक फ़िल्म *भक्त विदुर* में एक हिंदू पौराणिक चरित्र का किरदार था-विदुर, जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, इसलिए इस फ़िल्म को बैन किया गया.■

feedback@chauthiduniya.com